खण्ड-366, अंक-8
शनिवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1906
(31 मार्च, 1984 ई0)

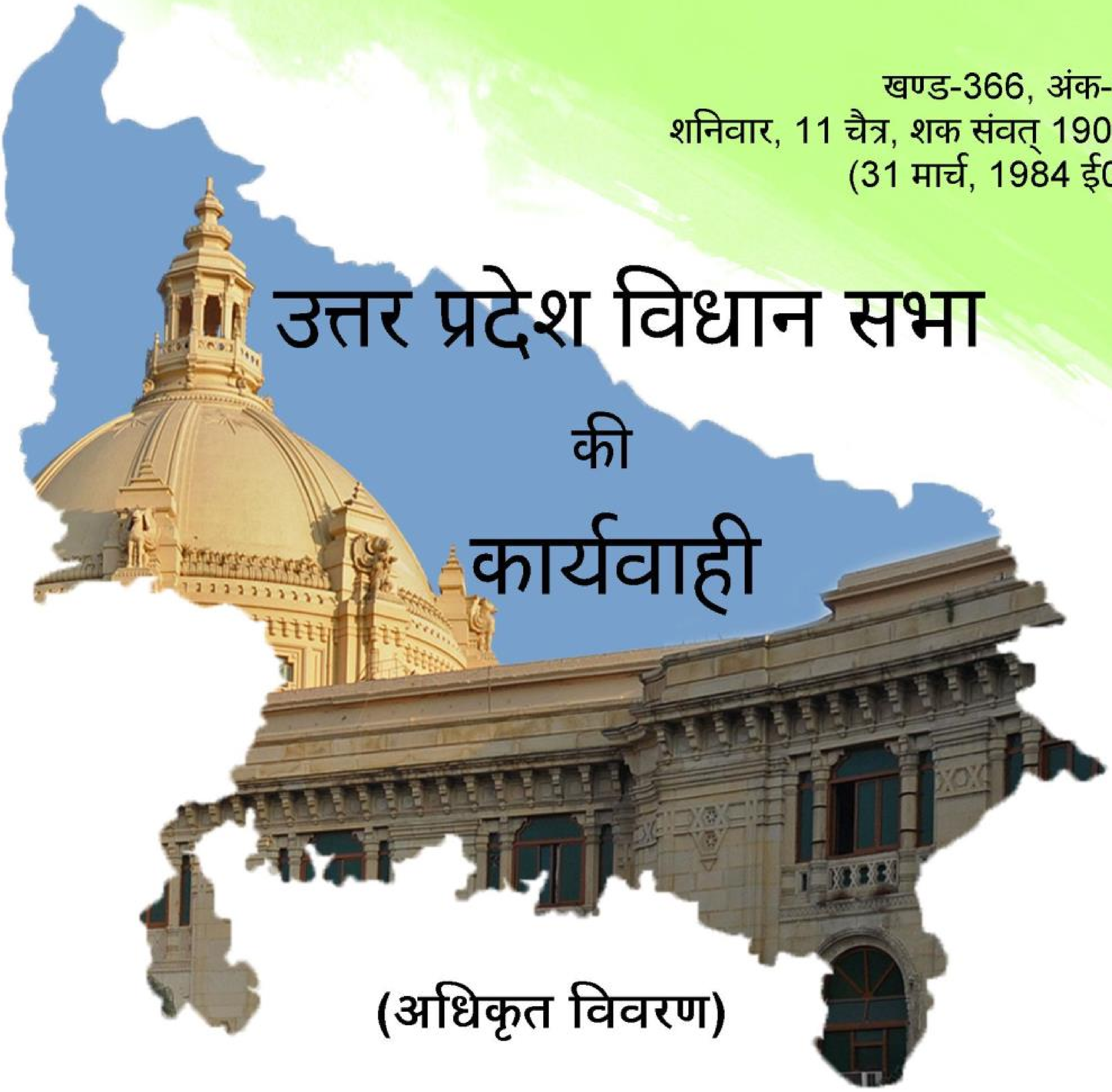

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या]
उपस्थित सदस्य	1–5
साहूपुरी विद्युत केन्द्र (वाराणसी) में आग लग जाने से हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	6–14
आज का एम0एल0ए0 राम अवतार फिल्म न दिखाए जाने के सम्बन्ध में सूचना	14–15
साहूपुरी विद्युत केन्द्र (वाराणसी) में आग लग जाने से हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा	15–29
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	29
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग (स्वीकृत)	29–50
अनुदान संख्या–28 निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29–न्याय विभाग (स्वीकृत)	50–67
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार का स्थगन	67
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 (पारित)	
जनपद बुलन्दशहर में औरंगाबाद–बादशाहपुर तालाब नामक प्रस्तावित ड्रेन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	68–82
नत्थी	83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 31 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–310

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
उदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया

चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र भान सिंह, श्री — बांदा
चन्द्र शेखर द्विवेदी, श्री — लखनऊ
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री — जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायन, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धूप प्रसाद राय, श्री — देवरिया
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नरायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
फखरे आलम, श्री — बदायूं
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलदेव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़

बिहारी लाल, श्री नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री देवरिया
भीखा लाल, श्री उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री बलिया
मंगलदेव, श्री गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), गोंडा
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा आगरा
महेश उपाध्याय, श्री आगरा
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोण्डा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोण्डा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रवीन्द्र, श्री आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 जौनपुर
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर

रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी-गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर,	पौड़ी-गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच

सुमन लता, श्रीमती कानपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री जालौन
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री हमीरपुर

हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

साहूपुरी विद्युत केन्द्र (वाराणसी) में आग लग जाने से हुई क्षति के संबंध में चर्चा

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, आज आपको मैं पुनः बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह वाराणसी स्थित साहूपुरी विद्युत केन्द्र में आग लग जाने से हुई क्षति के सम्बन्ध में माननीय रेवती रमण सिंह ने सूचना दी थी और उसके साथ-साथ अन्य माननीय 13-14 सदस्यों ने भी सूचना दी थी और माननीय रेवती रमण सिंह का किसी वजह से नाम नहीं छपा है, माननीय किरन पाल सिंह का छपा है।

श्री ऊदल–

नाम तो मेरा भी नहीं छपा है, मान्यवर।

श्री किरन पाल सिंह–

सबसे पहले मैंने सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय रेवती रमण सिंह को सुना था। माननीय ऊदल जी बोले थे, माननीय रेवती रमण सिंह जी बोले थे। कुल 14 माननीय सदस्यों की सूचना थी, मैंने सबको स्वीकार कर लिया था। आज सबको शांतिपूर्वक चर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विद्युत परिषद् के गठन के बाद जो प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं थीं, जो प्रदेश की जनता ने उम्मीद रखी थी, उन उम्मीदों पर क्रमशः धीरे-धीरे विद्युत परिषद् ने पानी फेर दिया। मान्यवर, यह साहूपुरी में आपकी यह अकेले ही घटना नहीं है। यह विद्युत परिषद् अपने को इस प्रदेश की जनता का, इस सदन का उत्तरदायी मानता है कि नहीं मानता है, यह देखने की बात है। मान्यवर, अगर आप देखें, तो विगत वर्षों में धीरे-धीरे विद्युत परिषद् निरंकुश हो गया है, स्वायत्तता के नाम पर विद्युत परिषद् में आज जो कुछ हो रहा है...

श्री अध्यक्ष–

माननीय विद्युत मंत्री जी, जो आपके अधिकारीगण हैं, वह कोई अधिकारी दीर्घा में यहां पर हैं?

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कोई नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, इस विधान मण्डल में मैं उत्तरदायी हूं। मेरा उत्तरदायित्व है। मैं किसी की सहायता नहीं चाहता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यहां पर विद्युत विभाग के अधिकारीगण भी रहना चाहिए। यह सदन की गरिमा की बात है।

श्री अध्यक्ष–

अधिकारी दीर्घा में उनको रहना चाहिए।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, साहूपुरी में आग लग जाने से पूरे उत्तर प्रदेश में दो दिनों तक बिजली नहीं रही, सम्पूर्ण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। मान्यवर, अगर आप विद्युत परिषद् का अवलोकन करें, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की लगभग 3000 करोड़ की पूंजी लगी हुई है। तीन हजार करोड़ की पूंजी विद्युत परिषद् पर लगी है, लेकिन न तो यह सदन के प्रति, न इस मंत्रिपरिषद् के प्रति और न प्रदेश की जनता के लिये उत्तरदायी है। उसका कुछ ऐसा स्वरूप बना लिया है कि मान्यवर, पिछले 7-8 सालों में विद्युत परिषद् को एक हजार करोड़ का घाटा हुआ है तीन हजार करोड़ की पूंजी लगी और उसमें से एक हजार करोड़

का घाटा हो चुका है, आज तक विद्युत परिषद् इस कर्मठता एवं कार्यक्षमता से कार्य कर रहा है। अगर आप अवलोकन करें, जैसा मंत्री जी ने हमारे तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया था। आज अन्य प्रदेशों का प्लान्ट लोड फैक्टर 49 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश का 40 प्रतिशत है। इसमें जो मशीनें बन्द हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है, उनको जोड़ लिया जाय तो हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 42-43 प्रतिशत हो जायेगा। जब कि हमारे देश का 38-39 प्रतिशत है। मान्यवर, विद्युत इतना जन जीवन को प्रभावित करने वाली चीज है, जब विद्युत सप्लाई बन्द हो जाती है, तो पूरा जन जीवन अस्त वयस्त हो जाता है। पंजाब और हरियाणा में 16-17 घंटे सप्लाई हो रही है और हमारे प्रदेश में 4 घंटे 5 घंटे केवल विद्युत आपूर्ति हो रही है, वह भी अबाध गति से नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे विचार से समय कम है, इसका ध्यान दिया जाय और जो प्रस्तावक हैं, उनको 15 मिनट और अन्य माननीय सदस्यों को 10 मिनट दिया जायगा।

श्री रेवती रमण सिंह–

मुझे 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना साहब यहां तशरीफ ले आयें, कुछ काम की बात करनी है।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बहाना क्या बनाते हैं कि ओबरा में आग लग गई, इसलिए विद्युत आपूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। जब ओबरा में आग नहीं लगी थी तो भी यही स्थिति थी। ओबरा का बहाना बनाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात है। मान्यवर, ओबरा की तीन इकाइयों में आग लगी। कहा गया कि 10·11 में आग लगी। सम्भवतः इस सदन को मालूम नहीं है कि 9वीं इकाई भी नहीं चल रही है। 10, 11 के अलावा 9वीं भी क्षतिग्रस्त हुई है। अगर नहीं है, तो पिछले तीन महीने से 9वीं इकाई क्यों नहीं चल रही है? केवल ओबरा में आग से 2 सौ करोड़ का नुकसान इस प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा है। बड़ी विचित्र बात यह है कि मंत्री जी ने उसकी जांच करवायी। मुख्य सचिव जो प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर होता है, उसके अन्डर में एक कमेटी का गठन किया गया, उसने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दिया। बजाय उस पर कार्यवाही करते, उस पर सी0 बी0 आई0 की जांच करवा दिया। निलम्बित किसको किया? एक असिस्टेंट इंजीनियर, और 2-3 छोटे कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया। न तो महाप्रबन्धक को निलम्बित किया गया, न चेयरमैन को निलम्बित किया गया। छोटे कर्मचारियों को उसका दण्ड दे दिया गया।

मान्यवर, आप आगे देखें कि इन्होंने जो लक्ष्य रखे थे विद्युत परिषद में उन लक्ष्यों के बारे में कहां तक कामयाबी हुई है इन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा था वह 5,000 का था। 1979-80 में जो पांच हजार का लक्ष्य था उसको इन्होंने चार हजार कर दिया था उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। एक सवाल मैंने पूछा था। कि कितनी ऐसी हरिजन बस्तियां हैं, क्योंकि रेडियो और अखबारों में बराबर यह आता है कि 22-23 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो गया, तो मैंने पूछा था कि कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो गया है और किन इलाकों में हुआ है। किन्तु यह बता नहीं पाए कि कितने का विद्युतीकरण हुआ है इसका आज तक

सर्वेक्षण नहीं हुआ कि कितने का विद्युतीकरण हो गया है। मान्यवर, न ग्रामीण बस्तियों का न हरिजन बस्तियों का न नलकूपों का विद्युतीकरण हुआ है। 50 हजार जो इन्होंने आंकड़े रखे उसमें 36 हजार कर दिया। इसी के साथ-साथ मान्यवर, सरकारी नलकूपों का सवाल था 23 सौ नलकूपों में बिजली लगानी थी जिसमें केवल 13 सौ का ऊर्जीकरण हुआ है इसके साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् का गठन इसलिए भी किया गया था कि जो इंजीनियर गड़बड़ी करें उनको रोका जाए, उनकी गड़बड़ी को देखा जाय और जांच की जाए। जो मौजूदा चेयरमैन हैं इन्होंने आदेश पारित कर दिया है कि क्षेत्रीय लेखा कार्यालय खोल दिया जाएगा। बजाए विकेन्द्रीकरण के उनका केन्द्रीकरण किया जा रहा है प्री आडिट जो था उसको समाप्त कर दिया गया है जिससे इंजीनियर जो गड़बड़ी करते हैं उसकी जांच पहले संभव हो सके।

मान्यवर, इस समय प्रदेश सरकार का करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का सूद बकाया है विद्युत परिषद् पर, जबकि प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपया माफ भी कर दिया है लेकिन मान्यवर, विद्युत परिषद देने में अक्षम है उसकी कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं जहां मान्यवर, 1979-80 में 180.54 करोड़ का घाटा था वह 1982-83 में 229 करोड़ का हो गया इसी तरह से नयी तापीय इकाइयां इस प्रदेश में लगाई जा रही थी जिससे इस प्रदेश की विद्युत की कमी को दूर किया जा सकता था और इस प्रदेश को सक्षम बनाया जा सकता था। विद्युत उत्पादन में पहली इकाई मान्यवर, टांडा की 1982-83 में आने वाली थी दिसम्बर, 83 हो गया लेकिन मान्यवर, उसका कुछ पता नहीं है, दूसरी इकाई जून, 84 में आने वाली थी, तीसरी दिसम्बर, 84 में आने वाली थी उसका पता नहीं है, विद्युत का संकट गहरा होता जा रहा है। जो अगस्त, 82 की घोषणा थी कि पहली यूनिट आ जाएगी वह आई नहीं, वहां आग लग गई। आग लग जाने से 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नानपारा में पहली यूनिट जून, 83 को दूसरी यूनिट दिसम्बर, 83 को आने वाली थी और तीसरी दिसम्बर, 84 को आने वाली थी जिसकी निकट भविष्य में आने की संभावना भी नहीं है मैं उन आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं और खास-तौर से ऊर्जा मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि जब तक आपका मौजूदा विद्युत परिषद रहेगा, उसके जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, जो भी मेम्बर हैं, तब तक मान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि विद्युत परिषद के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, उन्हें पूरा किया जा सके। इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई, मान्यवर, तो आने वाले दिनों में प्रदेश को और गम्भीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा मंत्री जी नियमों के अनुसार आपको संक्षेप में इसका उत्तर देना चाहिये। आपको बाद में भी मौका मिलेगा और उनको प्रस्तावक को भी मिलेगा। मैंने माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया है। काफी बोलने वाले हैं, समय एक घंटा है, अतः केवल पांच मिनट में बोलें।

श्री बृहमदत्त–

मान्यवर, यह चर्चा शुरू हुई है कुछ सूचनाओं से, जो साहूपुरी कन्ट्रोल में आग लगने के कारण हुई। सबसे पहले मैं तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो साहूपुरी कन्ट्रोल में हुई। मैं जानता हूं कि इसमें सभी चीजों पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी आपको पानी भिजवाया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, मेरे पास स्ट्रैप्सिल्स हैं, मैं दे दूंगा।

(हंसी)

मान्यवर, साहूपुरी कन्ट्रोल में रात के लगभग 8 बजे 26 मार्च को जो मिनिमम प्वाइन्ट सर्किट ब्रेकर होता है, जो 32 के0 वी0 मेगावाट का फीडर है, बर्स्ट हो गया। उस समय उसका असर तीन खम्भों पर पड़ा, जो पोटेंशियल ट्रान्सफारमर के खम्भे थे और बिजली ट्रिप हो गयी। यहां से साहूपुरी कन्ट्रोल का पूर्वी इलाका प्रभावित हुआ। लेकिन, आग पर पूरा कन्ट्रोल कर लिया गया और उससे बहुत नुकसान नहीं हुआ। नुकसान करीब 4 लाख का हुआ। आठ बजे रात को आग लगी और प्रातः काल करीब 6 बजे से उन लाइनों को फिर वैकल्पिक लाइनों से चलाया गया। यह बहुत गम्भीर बात मैं नहीं मानता। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि ओबरा का भी जिक्र हुआ और साधारणतया सारी कार्यवाही का जिक्र हुआ। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करना है तो विद्युत परिषद की व्यवस्था को ठीक करना होगा। विद्युत परिषद् इस सरकार के प्रति उत्तरदायी है, विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी है और इस प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन माननीय मंत्री जी मेरी सूचना के अनुसार वह अपने को इंडिपेंडेंट कहते हैं। कहते हैं कि हमारा सरकार से सम्बन्ध है ही नहीं। न नियमों का पालन करते हैं और न सुनते हैं। मेरी बात तो कम से कम सुनें।

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं और हर व्यक्ति अपने को चाहे जितना बड़ा समझता हो, उसको यह समझा दिया जायगा कि आप प्रदेश की 12 करोड़ जनता के प्रति और विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं और मैं यह नहीं मानता कि जब उत्तर प्रदेश शासन विद्युत परिषद को पूरा धन उपलब्ध कराता है, तो हमें उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। लेकिन हम उनके रोजाना के काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं है। स्वायत्त शासी मैं उनको उस हद तक मानता हूं कि रोजाना का काम करें, लेकिन हमारे नियंत्रण और देखरेख में करें, इसका प्रबन्ध मैं कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं। कई चीजें हैं जिनसे मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं।

उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहां जो नियोजन हुआ, विधान परिषद और विधान सभा में आया और जो हमारी जल-विद्युत की योजना थी, उनका प्रबन्ध ठीक नहीं था। हमारे माननीय सदस्य कहते थे कि पंजाब और हरियाणा की भांति, तो वहां की विद्युत आपूर्ति भाखड़ा नांगल डैम के द्वारा होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं, किन्तु भाखड़ा जैसी स्टोरेज की केपेसिटी नहीं है।

सबसे पहला काम हम यह कर रहे हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम एक भाखड़ा नांगल डैम की तरह दो भाखड़ा नांगल डैम की योजनायें बनायें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जो हमारी योजनायें चल रही हैं, जैसे टांडा, ऊंचाहार आदि, ये समय से पूरी हों, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि जो हमारे विद्युत गृह लगे हुए हैं, खास तौर से ताप विद्युत गृह, उनका प्लान्ट लोड फैक्टर हम सुधारें। इस संबंध

में मान्यवर, हमने प्रयास किया है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वह थोड़ा सा पुरानी सूचना के ऊपर कह रहे थे। प्लान्ट लोड फैक्टर, इसका मतलब होता है कि एक मशीन द्वारा कितनी विद्युत पैदा की जाती है, में सुधार आया है। पिछले वर्ष फरवरी माह में प्लान्ट लोड फैक्टर 45 फीसदी था, वह अब इस वर्ष फरवरी के महीने में 59.6 प्रतिशत हो गया है। प्लान्ट लोड फैक्टर निर्भर करता है अच्छे कोयले और बुरे कोयले पर और उसकी देख-रेख पर। मैं इस बात को मानता हूं कि जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए और उनको वहां रहना चाहिए।

मान्यवर, एक और चिन्ता की बात है और माननीय सदस्यों की उस चिन्ता से मैं सहमत हूं। जो हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण है, इसकी पद्धति ठीक नहीं है। इसमें लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है। इसके लिए जो बहुत रुपया हमें मिलता था, वह हम नहीं ले पाये। लगभग 50-60 करोड़ रुपए हम नहीं ले पाए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने पिछले वर्ष का बकाया रुपए उपलब्ध कराने की पेश-कश की है। हम इस बार प्रयास करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों में जो हम पिछड़ गये थे, उन्हें हम पूरा करेंगे। जिसमें गांवों में विद्युतीकरण, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण, जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं, उनका विद्युतीकरण और जल आपूर्ति के तहत जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं उनका ऊर्जीकरण आदि को हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि गांवों में आपूर्ति की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाना चाहिए। शाम के समय रोशनी करने के लिए बिजली देने के लिए, इसमें दो फेस की सप्लाई का बन्दोबस्त करने का मौका मुझे सन् 1981 में मिला था। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण कस्बों में इसका प्रबन्ध करेंगे और इस बात की कोशिश भी हम कर रहे हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं, विद्युत परिषद् और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का हमने निर्णय इस प्रकार लिया है कि शुरू में हम मण्डलीय स्तर पर इसको देखेंगे और उसके दो-तीन महीने के बाद जिला स्तर पर हम उपभोक्ता समिति का गठन करने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ता समिति में उद्योग का, कृषि का और हमारे जो साधारण उपभोक्ता हैं, उनमें से प्रत्येक में से एक-एक प्रतिनिधि लेकर हम इस समिति का गठन करेंगे। जो हमारी स्टैन्डिंग कमेटीज हैं ऊर्जा विभाग की, उसमें हम माननीय सदस्यों का सहयोग लेने की भी चेष्टा करेंगे। मैंने यह भी व्यवस्था की है कि हर मण्डलीय विधायक से हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री, राज्य, इस दौरान वार्ता करेंगे, ताकि तमाम जो समस्यायें हैं, वे असली रूप में सामने आ सकें।

मान्यवर, हमने यह भी बन्दोबस्त किया है कि हमारे जिलाधिकारी और हमारे खण्ड विकास अधिकारी सूचना लेकर हमें सूचना देंगे, कि जो विद्युत आपूर्ति दी जाती है, वह उतनी ही है कि नहीं। मैं सभी माननीय सदस्यों से

निवेदन करूंगा कि किसी बीमारी का इलाज तभी हो सकता है, जब हम उसका वास्तविक मूल्यांकन करें। इसके लिए वस्तुस्थिति सही रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यदि हम बढ़ा-चढ़ा कर लें और तथ्यों के ऊपर बातें कहेंगे तो उसका इलाज हो पाना संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में सलाह हुई, जो परिवर्तन आवश्यक हैं, विद्युत परिषद् को उत्तरदायी बनाने के लिए, इस विधान मंडल के प्रति, सरकार के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति, वह कदम हम लोग सारे के सारे उठा रहे हैं। और, यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि विद्युत आपूर्ति में, जिस समय 1980 में यह सरकार बनी, 1979 की तुलना आप करें, तो वर्ष 1983 में इसमें पर्याप्त सुधार आया है। यह भी हमें व्यवस्था करनी है कि जो घटनायें होती हैं, उनको भी हमें ठीक करना है, जो वहां के व्यक्तिगत संवर्ग हैं, उनको ठीक करना है यह कठिन काम अवश्य है, यह बहुत बड़ा संस्थान है लेकिन इस विधान मंडल के, विधान सभा के सदस्यों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, उसके लिए हम पूरे प्रयत्नशील हैं। मैं यह समझता हूं कि मेरा इस समय इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बाकी जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे या आलोचना करेंगे, तो बाद में, मैं, उनका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। लेकिन, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी के काम को छिपाने के लिए या किसी को अनुचित रूप से प्रश्रय देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं केवल इस-लिए खड़ा हुआ हूं कि इस विधान सभा के माननीय सदस्यों का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करूं। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इसकी बाबत रचनात्मक सुझाव आपके होंगे, उन पर अमल किया जायेगा।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो विद्युत आपूर्ति के केन्द्र थे, उनमें आग लगती थी। लेकिन, यह पहली बार हुआ है कि जो वितरण का केन्द्र है, कन्ट्रोल पावर स्टेशन है, उसमें आग लगी। माननीय मंत्री जी ने इसमें लगभग चार लाख की क्षति का अनुमान बताया, यह जो लाइन जलने से हुआ, उसके बारे में बताया। लेकिन, मान्यवर 11-12 घंटे जो विद्युत आपूर्ति सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाती रही जिसके कारण वहां का पूरा जनजीवन, वहां की तमाम कृषि, वहां की रेलें, वहां की पाठशालायें—सारी चीजें बंद हो गईं, विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से, यदि इन सबका नुकसान, उसका भी आंकलन किया जाय, तो यह क्षति करोड़ों से अधिक की आती है। मान्यवर, कहा गया कि दो कम्पनियां होंगी, एक के जिम्मे विद्युत उत्पादन होगा और दूसरे के जिम्मे विद्युत के वितरण का काम होगा। लेकिन, मुझको कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अभि-यन्ताओं ने हड़ताल की, उसकी नोटिस दी, धमकी दी कि यह बात हम नहीं होने देंगे, कोई भी वर्गीय संगठन बनता है, तो वह अपनी वर्ग हिफाजत के लिए, सर-कार की नीति की आलोचना, निन्दा और उसको प्रभावित करने के लिए नहीं लेकिन, एक बार अभियन्ताओं के दबाव में सरकार झुक गयी, और जो शासन का नियंत्रण और अंकुश हुआ करता था, उससे उनको मुक्त कर दिया। उसके बाद शासन की नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया, उसको आप दूर नहीं कर सके, उनके दबाव में । यह जरूर सही है कि कम्पनियां इसलिए बनती हैं कि वह निरपेक्ष और कुछ स्वायत्त की स्थिति बना सकें और काम आसानी से कर सकें ।

शासन नीतिगत मसले तय करता है और सारे प्रशासनिक काम उनके जिम्मे हो जाते हैं । लेकिन, विद्युत परिषद् ने नीति का काम भी अपने जिम्मे ले लिया और प्रशासनिक काम भी अपने जिम्मे ले लिया सभी जितने निगम हैं, सरकार के, चाहे जितनी निन्दा करें आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 संवर्ग की, लेकिन यह हमारे प्रशासन की भुजायें हैं सारे निगम स्वायत्त होने के बावजूद, सरकार, उनके माध्यम से अपना कुछ अंकुश बनाये, कुछ दबाव बनाये और कुछ असर उनके कामों पर रखा है। लेकिन विद्युत परिषद् उससे मुक्त हो गया है । इसकी बाबत एक दलील यह दी गयी कि पूरा का पूरा यह तकनीकी काम है, आई0 ए0 एस0 तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए उनको हटा देने से सारे काम ठीक कर देंगे । मान्यवर, जहां-जहां आग लगी, उसमें कारण यही प्रकाश में आया कि केबिल लाइन पुरानी थी, चूंकि लाइन पुरानी थी, इसलिए वह जल गयी, उसमें आग लग गयी । यह तकनीकी खराबी किसकी लापरवाही से हुई थी, इसके बारे में खोजबीन होनी चाहिए। मान्यवर, मैंने उस दिन भी कहा था कि कठोरता के साथ, इस तरह की लापरवाही बरतने वाले और जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले आदमियों के विरुद्ध आप कड़ाई जब तक नहीं बरतेंगे, मैं समझता हूं, तब तक यह दुरुस्त होने वाला नहीं।

आपने यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है । केवल आपस की गुटबन्दी और जालबट्टा विद्युत परिषद् में है । योग्यता नहीं बल्कि वरिष्ठता, परिषद् का सदस्य बनाने का मापदण्ड है । इसका पुनर्गठन तत्काल होना चाहिए । दो-तीन साल की गतिविधियों ने सिद्ध कर दिया है कि मौजूदा प्रबन्ध अक्षम, नाकाम और बिना किसी योग्यता का है । सबसे अच्छी सुविधायें देकर बाहर से एक व्यक्ति को आपने बुलाया, विद्युत परिषद् का अधिकारी बनाया । उसकी योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व का परिणाम यह है कि सारी जगह नियंत्रण विद्युत परिषद् के अधीनस्थ अधिकारियों पर से खत्म हो गया है । जिस प्रकार सरकार का अंकुश विद्युत परिषद् पर नहीं है, वैसे ही विद्युत परिषद् का अंकुश नीचे के लोगों पर नहीं है। मेरी मांग है कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए । यह सिद्धान्त कि परिषद् पर नियंत्रण केवल इंजीनियर्स का होना चाहिए, यह पुराना हो गया है, आप वहां पर प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार करें, यह सुझाव के आधार पर कहना चाहता हूं । नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली न बना होता तो संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता । केवल ओबरा में विद्युत गृह बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में विद्युत समस्या आपने हल करने की कोशिश की, लेकिन 40 करोड़ की बिजली एक साल में आपने खरीदी है और उत्तर प्रदेश में वितरित की है । जलाशय के बारे में कहा कि भाखड़ा जैसी योजनायें नहीं हैं । बड़ी गंडक, राप्ती, घाघरा सीधे उत्तर प्रदेश में गिरती हैं । यहां जलाशय बनाने से आपको कौन रोकता है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो थर्मल पावर स्टेशन खोल दिया । भालूवाथ, करनाली की योजना थी, विश्व बैंक या जहां से भी हो, कोशिश करके इसको किसी भी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी–

आज की चर्चा के विषय में, साहूपुरी या आंबरा में अग्निकाण्ड महत्वपूर्ण तो है ही, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विद्युत परिषद् की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार किया जाय। जिस प्रकार से सुन्दर शरीर में क्षय रोग लग जाता है तो सारा शरीर गल जाता है, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में विद्युत परिषद् सारे राज्य की प्रतिष्ठा और विकास को चूस रही है। यह सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, उनके सद्प्रयासों और नेकनीयती के बावजूद विद्युत परिषद् की यह हालत है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विद्युत परिषद् की भट्ठी में स्वाहा होता चला जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के बावजूद भी सरकार का विद्युत परिषद् पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह तानाशाहों की विद्युत परिषद् बनी हुई है। तानाशाह, विद्युत परिषद् का संचालन कर रहे हैं। आज जनता और विद्युत परिषद् के बीच में सरकार का एक कार्य है कि सरकार उनके गुनाहों पर पर्दा डालती है और राष्ट्रीय धन को उनके पास झोंकती चली जा रही है, जिसके कारण उनके ऐश-आराम में कोई अन्तर नहीं आया है प्रदेश जल रहा है, सरकार को गालियां खानी पड़ती हैं, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है, मुख्यमंत्री जी को गालियां खानी पड़ती हैं, लेकिन सान्याल के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। मैंने उनको देखा है, कमेटियों में भी देखा है, वह अपने को तानाशाह समझते हैं। मैं विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जिस तरह का काण्ड हुआ है आंबरा और साहूपुरी में, यह राष्ट्रद्रोह है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विद्युत परिषद् के सान्याल के विरुद्ध आप मुकदमा चलवाईये तभी जाकर इस देश और प्रदेश का कल्याण होगा। क्योंकि इसके साथ जितने भी योजनाएं चलाई गयीं हैं सभी निष्फल हुयी हैं और दूसरी बात आप किसी भी जिले में जायें और आप देखेंगे कि वहां विद्युत सचिव का कहना कोई मानने वाला नहीं है, सिवाय सान्याल की बात के मानने के लिए सभी मिलेंगे। इसलिए आज की समस्याओं को देखते हुए जिससे आज पूरा प्रदेश प्रभावित है, इसका हल तभी हो पायेगा जब इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय, क्योंकि यह शासन कोई मोम का नहीं बना हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और अपने इस मामले में चिंता भी व्यक्त की है, लेकिन सिर्फ चिंता व्यक्त करने से कुछ होने वाला नहीं है गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है चाहे आंबरा के सान्याल हों या पुलिस विभाग के दीक्षित हों, यह कोई अनाथालय नहीं है, यहां पर देश और प्रदेश के कल्याण का प्रश्न है इसमें हम सबको जागरूक रहकर काम करना चाहिए। इसलिए मेरी शासन से मांग है कि महाअपराधी आर0 के0 सान्याल के विरुद्ध देशद्रोही का मुकदमा शीघ्र ही चलाया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जिन 14 माननीय सदस्यों ने पहले अपने नाम दिये हैं पहले प्राथमिकता उनको दी जायेगी और यदि बाद में समय मिलेगा तो दूसरों को मौका दिया जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

फिर मान्यवर, 14 लोग ही यहां पर बैठें, बाकी लोग जाएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदल—

मान्यवर, साहूपुरी विद्युत नियंत्रण केन्द्र, वाराणसी में इतनी भयंकर आग लगी और मा0 विद्युत मंत्री उसे गम्भीरता से न लेकर मामूली बात समझ रहे हैं, आठ घंटे तक भयंकर आग लगी रही और 6 दमकल करीब 7 घंटे तक बुझाने में लगे रहे। जिससे हमारे यहां के तमाम जिले, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस और इलाहाबाद आदि प्रभावित रहे और कई रोज तक विद्युत आपूर्ति बन्द रही। इसके अलावा माननीय विद्युत मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हरदुआगंज, पनकी और ओबरा में जो आग लगी इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन आपने अब तक इन मामलों को गम्भीरता से नहीं लिया और बराबर टालते रहे इन मामलों को। फिर आप कह रहे हैं कि बिजली की सप्लाई हम इतने-इतने घण्टे दे रहे हैं यदि आप ईमानदारी से देखें कि गांवों में आज कितने घंटे बिजली मिल रही है, तो मुश्किल से 2, 3 या 4 घंटे ही मिल पाती है और कभी-कभी वह भी बिल्कुल गायब रहती है। यदि आप इस पर भी विश्वास न करें तो आपके जितने राजकीय नलकूप हैं उनका रिकार्ड उठाकर देख लीजिए वह कितने घंटे चले हैं, तो सारी स्थिति का ज्ञान आपको हो जायेगा। इसलिए मैं इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि विद्युत परिषद् कहता है कि मैं एक स्वायत्तशासी संस्था हूं तो क्या स्वायत्तशासी संस्था होने का मतलब यह है कि वह हमेशा करोड़ों रुपये के घाटे में ही चले और आज भी करोड़ों रुपये के घाटे में ही चल रहा है, कभी इस पर आपने सोचा है। यह विद्युत परिषद् सफेद हाथी की तरह से है और हमारे प्रदेश को खाये चला जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि 600 अभियन्ता इसके राजस्व का काम दफतरों में बैठ कर देख रहे हैं। टेक्निकल व्यक्ति दफतर का काम करता है और करोड़ो-करोड़ो रुपये तनखाह में खाये जा रहा है।

एक और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के जितने भी केन्द्र स्थापित हैं जैसे हरदुआगंज, पनकी, ओबरा और रिहन्दडैम इन सबका सामान खराब हो चुका है बदला नही जाता है टाईम से तो मैं पूछता हूं कि यह जिम्मेदारी किसकी है? यह विद्युत परिषद् की क्या जिम्मेदारी नहीं है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब आग लगती है तो विद्युत परिषद् के लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं यह कह कर कि सामान पुराना था जिसे टाइम से बदला नहीं गया। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् का पुनर्गठन होना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए और इनके सभी कार्यकलापों की जांच होनी चाहिए और जांच, करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे और विद्युत परिषद् का पुनर्गठन करे।

आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार फिल्म न दिखाये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष —

माननीय सूचना राज्य मंत्री आज जो आप माननीय सदस्यों को रवीन्द्रालय में पिक्चर दिखा रहे हैं "आज का एम0 एल0 ए0 राम अवतार" तो हमारे सचिवालय के कर्मचारियों ने यह इच्छा जाहिर की है कि वह भी आपके साथ काम करते हैं, अगर स्थान हो और वे भी पास से

पिक्चर देखें तो क्या आप इस बात को पसन्द करेंगे ? इतनी जगह है कि वे उसमें आ सकेंगे या नहीं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार) –

यदि माननीय विधायकों से स्थान बच जायेगा तो निश्चित रूप से वे देख सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

मान्यवर, हममें से काफी लोग आज जा रहे हैं स्थान तो रहेगा ही ।

श्री अध्यक्ष –

मैंने बात की थी रवीन्द्रालय हाल 13, 14 तारीख तक उनको खाली नहीं मिल पा रहा है । दूसरे स्थानों पर हम माननीय सदस्यों को नहीं भेजना चाहते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र) –

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से, जैसा आपने सदन में आदेश दिया वह पिक्चर दिखाने का, उसका प्रबन्ध किया गया है । इस पीठ से जैसा भी आदेश होगा, वह हम करते रहेंगे ।

श्री विजय सिंह राना –

यह कोई विषय सदन में चर्चा करने का है ?

श्री अध्यक्ष –

मैंने माननीय सदस्यों के आग्रह के अनुसार ही यह बात कही थी ।

श्री श्रीपति मिश्र –

अब चर्चा का विषय है या नहीं, जैसा कहा गया है और लोगों को दिखाने के लिए तो अगर स्थान होगा तो उनको भी दिखाया जायेगा । मैं केवल इतना ही माननीय सदस्यों से, आपसे और आपके माध्यम से अन्य सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो सार्वजनिक वितरण के लिए बहुत सी चीजें आती हैं जिनको देखने की, पढ़ने की हर एक को सुविधा प्राप्त है तो उसके लिए हम विशेष रूप से प्रबन्ध करें या हम इसे केवल विधायकों के लिए करें तो दूसरों के लिए क्यों न करें ? इस बात पर जनता उंगली उठा सकती है । इसलिए इस बात को देखते हुए मैं इस पर विचार करूंगा वैसे आपका हुकुम सर आंखों पर है वह शिरोधार्य है, और हमारी भावना आपके सामने प्रेषित है, जैसा आप निर्णय देंगे मैं करूंगा।

श्री अध्यक्ष –

मैं समझता हूं और जैसा कि नेता सदन ने कहा और माननीय अन्य सदस्यों ने भी कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

बहुत सुन्दर आपने कहा है।

साहूपुरी विद्युत केन्द्र (वाराणसी) में आग लग जाने से हुई क्षति के संबंध में चर्चा (क्रमागत)

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

आपने विद्युत परिषद् पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने अभी बताया कि विद्युत पूर्ति के किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश की जनता का हक है, उसको पूरा करने में विद्युत परिषद् असफल रहा है। मान्यवर, अभी कहा गया कि विद्युत परिषद् सफेद हाथी है, प्रदेश के जन साधारण की भावना यह बन रही है कि विद्युत परिषद् सफेद हाथी है और प्रदेश के ऊपर यह भार है। मान्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धर, आज कुछ सुझाव देना अपना कर्तव्य मानता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत परिषद् सरकार के प्रति उत्तरदायी है। मान्यवर, विद्युत परिषद् का जब तक और अधिक उत्तरदायित्व सरकार के प्रति और इस सदन के प्रति नहीं बन जायेगा, तब तक विद्युत परिषद् से कोई आशा करना बिलकुल बेकार है।

मान्यवर, आज विद्युत परिषद् की यह स्थिति है, विद्युत परिषद् स्वयं एक सम्राट बना हुआ है जो सरकार के प्रति उत्तरदायी है परन्तु वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से जो एक कर्मठ मंत्री हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और मैं भी मानने को तैयार हूं कि विद्युत आपूर्ति में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष 1977-78 और 1978-79 के जमाने में प्रदेश अंधकार था, और आज विद्युत की आपूर्ति में सुधार हुआ है। उस समय आपको याद होगा कि 33 प्रतिशत विद्युत उद्योगों को दी जाती थी आज वह बढ़ कर 70 से 75 प्रतिशत हो गई है। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जैसा सुधार होना चाहिए वह नहीं हुआ है। यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, सान्याल हों या कोई दूसरा हो, वह चले जायेंगे तो उनके स्थान पर कोई दूसरा आदमी आकर बैठेगा, तो सुधार कैसे हो जायेगा। सुधार के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विद्युत परिषद् की व्यवस्था में कोई समुचित सुधार किया जाय और जन भावनाओं का आदर किया जाये।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि उपभोक्ता सलाहकार समितियां बनायी जायेंगी, वह 3 महीने में बन जायेंगी। मान्यवर, 3 महीने का समय बहुत अधिक है, उन को आप तत्काल एक महीने के अन्दर विकास खण्ड स्तर पर बना दें जिससे उपभोक्ता अपनी कठिनाईयों को सामने रख सके और सुधार कर सके। आज विद्युत परिषद् में सरकार के न चाहने के बाद भी भ्रष्टाचार है। विद्युत वितरण में बहुत गड़बड़ी की जाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर सब-स्टेशन पर मीटर लगा दें, जिससे मालूम हो कि कितनी बिजली उस स्टेशन पर प्राप्त हुई है और कितनी विद्युत सप्लाई की गयी है। मान्यवर, मैं कनेक्शन स्वीकृति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए बहुत बार दौड़ना पड़ता है और बहुत समय लगता है, इसके लिए एक समय बांध दिया जाय। जनता कनेक्शन स्कीम शासन ने चलायी है जिससे हरिजनों के घर जो अंधकार में हैं उनके घरों में एक बल्ब लग जाये, बिजली का प्रकाश आ जाये, लेकिन विद्युत परिषद् के अधिकारी जनता कनेक्शन नहीं लगाते हैं। जो यह समाजिक दायित्व बिजली बोर्ड का है उसे वह पूरा करे और उनके घरों में बिजली पहुंचाई जाय। सरकार ने जनता कनेक्शन की योजना चला रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एसे आदेश दिये जांय कि जनता कनेक्शनों की जैसे ही दरख्वास्तें मिलें वैसे ही एक माह के अन्दर उनको कनेक्शन दिये जांय और संचालित किये जांय क्योंकि आज उन लोगों में दम नहीं है कि वे विद्युत परिषद् के अधिकारियों को पैसा दे सकें और न ही उनमें यह दम है कि वे बड़े आदमियों की सिफारिश ले जा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाय और आदेश दिये जांय कि जनता

कनेक्शन की दरख्वास्तें प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उनको पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा है कि इस मद के लिये आधे घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाय। वित्त मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतेराज नहीं होगा।

(किसी सदस्य के आपत्ति न करने पर)

(आधे घंटे का समय सर्वसम्मति से और बढ़ा दिया गया।)

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन् थोड़े समय में बहुत कुछ कहना है। आशा है मुख्य मंत्री जी भी हैं और सम्बन्धित मंत्री जी भी हैं, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमन् 132 के0 वी0 का साहूपुरी विद्युत केन्द्र जल गया और इसके पहले ओबरा जल गया, पनकी का जल गया और यह आग लगने का प्रोसेस कन्टीन्यू है। प्रीकोशनरी मेजर भी आप लेते हैं लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आप उसे रोक नहीं पाये और आग लग रही है। सवाल यह होता है कि बिजली बोर्ड की जो आज पोजीशन है और जो आपके सान्याल साहब हैं उनके मुताबिक 3700 मेगावाट जैनरेटिंग कैपेसिटी है और आप जेनरेट कर रहे हैं केवल 1700 मेगावाट। आपकी नीड है 2400 मेगावाट। इसकी मायने यह है कि सारी चीजों में कटौती करने के बाद चाहे कावाल टाउन्स में हो, म्यूनिसिपुल एरिया में हो, इंडस्ट्रियल हो या एग्रिकल्चरल के लिये हो, सबमें कटौती करने के बाद आपकी यह हालत हो गयी है। एक तरफ तो बिजली बोर्ड वाले घाटे के उपर घाटा दिखाते चले जा रहे हैं और उसने यह कह दिया कि चूंकि हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन 60 पैसा पड़ रहा है और हमको 22 से 24 पैसा तक गवर्नमेंट रीइम्बर्स करे। इस तरह से 140 करोड़ का घाटा है। दूसरी तरफ आपने लोनिंग की कैपेसिटी भी बढ़ा दी और कहा कि एक हजार करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं नतीजा यह हुआ कि भोपाल का जो बी0 एच0 ई0 एल0 है उसका पांच करोड़ रुपया आपके बिजली बोर्ड के ऊपर है वह एरियर्स आपने नहीं दिये हैं और वह तकाजा कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने एक तरफ तो लोनिंग बढ़ा दी, वह नुकसान के ऊपर नुकसान करे और दूसरी तरफ आपने बिजली चलाने के रास्ते भी बन्द कर दिये। जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं, जो बिजली बनाने वाली यूनिट हैं वह आपको कैसे आगे दे सकेंगे। नतीजा यह हुआ कि जो आपके सूबे में 23 हजार स्टेट ट्यूबवेल हैं और हजारों की तादाद में प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं कमर्शियल यूनिट्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा और नतीजा यह है कि जो डबल क्रोप का एरिया है उसे 33 प्रतिशत से आगे आप नहीं पाये। 55 प्रतिशत आपका टोटल इरीगेटेड एरिया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और यहां पर कोई दूसरा सोर्स आफ इन्कम नहीं है और कृषि में कुल 30 प्रतिशत डबल क्रापिंग है शार्टेज आफ बिजली की वजह से। यही 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत हो जाय और 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत इरीगेटेड हो जाय तो पर कैपिटा इन्कम में जो आपका 9वां स्थान है, इस तरह से यदि वह दूना हो जाय तो हमारा स्थान तीसरा-चौथा हो जायेगा इन सारी चीजों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये जिम्मेदार आपका बिजली बोर्ड है। जैसा आपने कहा कि वह हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस माननीय सदन में आप जवाब दें तो हमारे सामने अब यह मामला नहीं है कि आप क्या करें आप सान्याल साहब को हटायें या दूसरे को हटायें यह आपका मसला है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि यह आग लगना बंद हो, सैबोटेज बंद हो और सिंचाई के लिये बिजली मिले और डबुल क्रापिंग हमारे यहां हो ताकि हमारी जो औसत आमदनी कम है वह बढ़ जाय और सूबे की गरीबी दूर हो। हम जानते हैं कि हमारी इस गरीबी का मुख्य कारण बिजली बोर्ड है और इस चीज को देख कर सारे प्रबंध करायें उसमें चाहे किसी को हटाये चाहे बिजली बोर्ड को बदलें या कुछ करें। बगैर कुछ किये इस तरह से नुकसान होता रहेगा। आप पर हैवी इलैक्टिकल्स का कर्जा हो गया है इस तरह से एक हजार करोड़ से ऊपर का कर्जा चला गया है और यह नुकसान बढ़ता चला जायेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसलिए इसको कंट्रोल कीजिये और इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिये।

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव इधर से दिया गया था उधर से किसी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल से उदल जी बोल चुके हैं। एक इधर से बोलता है एक उधर से बोलता है जब कि तादाद इधर की ज्यादा है।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि जिन 14 सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव दिया था उन सबको समय देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह कहा था कि जिन 14 माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है प्राथमिकता उनको दूंगा। परिपाटी यह चली आई है कि एक इधर से बोलता है तो एक उधर से बोलता है। यह कामरोको प्रस्ताव दे नहीं सकते तो क्या यह बोलें नहीं?

[समय 12 बजकर 1 मिनट]

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, यह विद्या के सागर हैं

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो आया है इधर से आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विद्यासागर जी, आज यह कोई नयी बात नहीं है। यह पद्धति जो अपनाई जा रही है पहले से चली आ रही है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें, माननीय खैरुल बशर जी, आप भी बैठें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, यह विद्युत आपूर्ति, विद्युत का रखरखाव और विद्युत उत्पादन आज पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर आज पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य चिंता प्रकट कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्य विद्युत परिषद् का जो कार्य है वह बिलकुल संतोषजनक नहीं है। उसके कारण क्या हैं इस पर अलग-अलग तरह के विचार प्रकट किये गये हैं। मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि बाहर के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि विद्युत आपूर्ति और विद्युत उत्पादन करने वाले जो अभियंतागण हैं वे सरकार से मनमाने ढंग से अपने टर्मस मनवाने की स्थित में

हो गये हैं। एक बार टैक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाई चली और उस लड़ाई में टैक्नोक्रेट्स ने हर पदों पर अपने लोगों को बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली और उन लोगों को लाभ हो गया। लेकिन विद्युत परिषद् सफेद हाथी के स्वरूप में उजागर हो गया। आपके जितने निगम हैं उन सब में सबसे अधिक नुकसान इसी परिषद् को है इस बात के लिये जवाब-देह कोई टैक्नोक्रेट नहीं है।

जब कभी सवाल उठता है कि आग लग गयी इसका क्या कारण है तो वे लोग कोई न कोई तकनीकी कारण बता देते हैं। पर उस लैप्स के लिए जिम्मेदार कौन है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए शासन अपने स्तर पर कोई निर्णय करे और उसका कठोरता से पालन करे। सरकार ने एक निर्णय लिया जनरेशन और डिस्ट्रि-ब्यूशन को अलग-अलग किया जाय लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि उस पर जोरदार रूप से बिना धमकी में आये ध्यान दें।

श्रीमन्, इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि बिजली की चोरी और ट्रान्समीशन लासेज के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान में सभी जगहों से ज्यादा हैं, इसलिये यदि यह दोनों चीजें अलग-अलग हो जांय तो बिजली की चोरी पकड़ में आ जायेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों को बिजली पहुंचा दी गयी लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब पद यात्रा पर था तो मालूम हुआ कि गांव सभा को बिजली का बिल भेज दिया गया। तो हरिजनों को जहां बिजली दी गयी और अच्छे ग्राम प्रधान हैं तो कहते हैं कि हम हरिजनों के लिये बिजली का, प्रबंध करके, बिल दे देंगे किन्तु बहुत ग्राम प्रधान कहते हैं कि हम बिल के भुगतान का प्रबंध नहीं करेंगे जिससे बिजली काट दी जाती है। इसलिये मंत्री जी इसमें ध्यान दें।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र हंडिया में माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हंडिया में, ज्ञानपुर में और मेजा तहसीलों में बिजली की आपूर्ति रहती है लेकिन हमारे क्षेत्र में टू फेज बिजली की योजना जो विचाराधीन है उसको लागू करवा दें। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि देहात में लोग पत्र में लिखते थे कि लिखा कम समझना ज्यादा, इसलिये स्टेट इले-क्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में भी कहना कम और समझना ज्यादा इस बात पर मंत्री जी ध्यान रखें तभी सुधार हो सकता है वरना आपकी पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पूरे देश के अंदर पिछले लम्बे समय से एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है कि सार्व-जनिक क्षेत्र के बिजली उद्योग को किसी तरह से व्यक्तिगत क्षेत्र में लाया जाय। जिस दिन ओबरा में आग लगी. . . .

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम सूरत उपाध्याय जी आपने ठीक से धोती बांध लिया है।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मान्यवर, उनकी धोती और आपके गले का पटका का मुकाबला होना चाहिये।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

उपाध्याय जी कह रहे हैं कि धोती के नीचे लंगोटा बांध कर आया हूं इस-लिये धोती खुलेगी नहीं।

(हंसी)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस दिन ओबरा में आग लगी उसके तीसरे दिन भारतीय सेठों की तरफ से मोदी साहब का बयान आया जिसमें मांग की गयी थी कि विद्युत उत्पादन व्यक्तिगत क्षेत्र को दे दिया जाये और इसके लिये उनकी शर्त केवल इतनी थी कि उनको विदेशों से सस्ते दर पर कर्ज लेने के लिये इजाजत हो। मान्यवर, ओबरा का पावर हाउस जो जला था उसके पीछे एक साजिश थी कि उसके एक सप्ताह बाद लीबिया में बी0 एच0 इ0 एल0 के टेंडर खोले जाने थे इसलिये अन्तराष्ट्रीय इजारेदारों का प्रयास था कि भारत को यह टेंडर न मिले क्योंकि भारत के भेल के लीबिया में इस समय 120 के0 वी0 के कुछ ट्रांसफारमर चल रहे हैं और नये 220 के0 वी0 के टेंडर वहां आमंत्रित किये गये थे, इसलिये भारत को बदनाम करने के लिये यह आग ओबरा में लगायी गयी थी। यह आग विद्युत गृहों में नहीं लगती है बल्कि यह तो शक्ति भवन में लगती है। शक्ति भवन में अधिकारी, स्विचगेर के रूप में, बैठते हैं और अन्डरग्राउन्ड केबिल वह मजदूर और कर्मचारी हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हैं और इनके आपसी घर्षण से यह आग पैदा होती है। ओबरा में जब आग लग रही थी तो जो कर्मचारी डयूटी पर था उसने सूचित किया था लेकिन उससे कहा गया कि तुम इस बात की परवाह न करो, ओवरटाइम नहीं दिया जायेगा, इसलिये कर्मचारी डयूटी छोड़कर चला गया था।

अब मान्यवर, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि बिजली के बिलों की वसूली के लिये जूनियर इंजीनियर्स को तैनात किया जाता है, वह पैसा गिनते हैं, फिर उसको बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक में वह पैसा गिना जाता है, तो मेरा कहना है कि इसमें इंजीनियरर्स को मत बिठायें क्योंकि लाखों रूपये खर्च करके बिजली की ट्रेनिंग उनको दी जाती है और उनसे पैसा गिनने का काम लिया जाता है और फिर बैंक गिनता है, इस तरह से करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। मान्यवर, हमने कई बार कहा कि पहाड़ों में यह वसूली जिला सहकारी बैंकों से करवाई जाय लेकिन इसको मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, यह मशीनें पुरानी हो गई हैं, जिनके मरम्मत की जरूरत है। जो केबिल लाईन हैं वह पुरानी हो गई हैं। विद्युत परिषद् के पास इस बात का कोई तखमीना नहीं है कौन मशीन अथवा कितनी मशीनें कितने साल पुरानी हैं और इनको बदलने की आवश्यकता है। यह तो केवल पैसा लेने में लगे हैं, इनका और कोई काम नहीं है।

मंत्री जी ने कहा कि केवल 4 लाख का नुकसान हुआ है और वह भी उन्होंने ऐसे कहा जैसे चाय पीने की कोई बात रही हो। यह बहुत बड़ा नुकसान है और आपरेशन टेबुल पर जो लड़का मरा वह भी बहुत बड़ा नुकसान है और जो कारखाने में उत्पादन लास हुआ है वह भी बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान है। अभी रियासत हुसैन साहब ने जिक्र किया था कि वी0 एच0 ई0 एल0 का विद्युत परिषद् पर 5 करोड़ रुपये का बकाया है, लेकिन मेरी अपनी जानकारी के अनुसार यह 5 करोड़ का नहीं 25 करोड़ का बकाया है और इसीलिए अब यह मेल से लेने के बजाए विदेशों से मशीनें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंत्री जी पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि विदेशों से मशीनें खरीदी जायं। तो उसको न केवल ठीक किया जाए, बल्कि पूरे तरीके से उसका

कन्ट्रोल मंत्री जी अपने हाथ में ले सकें, ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री राम कुंवर सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह चाहता हूं सदस्यों की संख्या 3/4 इधर है और 1/4 उधर है, फिर भी आप बोलने का समय इस प्रकार देते हैं कि एक इधर का और एक उधर का बोले.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग क्यों बेकार में बोल रहे हैं.

(व्यवधान)

यह बात सही है कि 3/4 सदस्य इधर अर्थात् सत्ता पक्ष में हैं और 1/4 उधर अर्थात् विरोध पक्ष में हैं . . . .

(व्यवधान)

परन्तु परम्परा यही चली आती है कि एक इधर से बोले और एक उधर से बोले। फिर भी अध्यक्ष के विवेक पर यह है कि किस तरह से लोगों को वह बुलाए और प्राथमिकता दें। (व्यवधान) खैरुल बशर साहब आप क्यों खड़े हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं बहुत हद तक सहमत हूं श्याम लाल बाजपेयी जी से और उस भावना को समझ रहा हूं। अगर आज चेयरमैन को हम बदल दें, तो उससे ही काम नहीं चलेगा, बल्कि विद्युत परिषद् के पूरे प्रबन्ध मंडल में परिवर्तन करना पड़ेगा। वहां पर जो एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी पहले बैठा था वह होना चाहिए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मैंने तो स्वयं कहा है कि उसे भंग कर दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

हालांकि मैं प्राइवेट सेक्टर का हामी नहीं हूं, लेकिन मेरी धारा बन चुकी है कि अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो इसका काम अच्छी तरह चल सकता है और किसानों और उद्योगों को अधिक बिजली मिलेगी। विद्युत वितरण का काम ठीक होगा। जैसे केन्द्र सरकार ने टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है और उसमें काफी सुधार भी हुआ है। यह एक नीति का मामला है, मैं इसमें अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर कर रहा हूं। आप इस विद्युत उत्पादन को प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो एक अच्छा सुधार होगा। मेरे क्षेत्र में हरदुवागंज पावर हाउस पड़ता है। वहां अभी आग लगी थी और करोड़ों की मशीनें लग गई थी और करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान हुआ था। लेकिन आजतक हरदुवागंज में आग लगने के बाद से किसी को कोई किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई है। इतना ही नहीं जो विद्युत परिषद् के अधिकारी हैं वह स्वच्छन्द तरीके से अपना फैसला लेते हैं। वहां पर हरदुआगंज की प्रीमेसेज में आर0 एस0 एस0 का कैम्प लगा और वहां के होस्टल का इस्तेमाल किया तथा खाने पीने का इन्तजाम भी विद्युत अभियंता परिषद् की तरफ से किया गया। यह लोग वहां पर भी छाये हुये हैं।

मान्यवर, ये इन्जीनियर्स अपने संघ के जरिए जैसा चाहते हैं वह करवा लेते हैं। सरकार को इतना मजबूर कर देते हैं कि सरकार से वे मनचाहे ढंग से अपनी मांगें मनवा रहे हैं। इसके अलावा मान्यवर, फंड्स का इतना अधिक दुरुपयोग हरदुआगंज में होता है कि इसकी जांच होना चाहिए। वहां अभियंता लोग

खूब सरकार के पैसे से रंगरेलियां मचाते हैं (व्यवधान)। इसलिये मेरी मांग है कि विद्युत परिषद् को और उसके पूरे ढांचे को बदला जाना चाहिए।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह आग की घटनायें हर तीसरे व छठे महीने होती रहती हैं और इन अग्निकांडों के बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा इनकी जांच करवाना चाहिये। जांच इस बात की करायी जानी चाहिये कि इसके पीछे कौन सा सुनियोजित षड्यंत्र है, या इसमें केवल अधिकारियों की लापरवाही है।

(व्यवधान)

इस बात की जांच होना चाहिये कि इसके पीछे क्या कारण हैं जिनकी वजह से पावर हाउसेज में तथा विद्युत नियन्त्रण केन्द्र में आग लगी। पिछले दिनों ओबरा में आग लगी, उसके बारे में सब लोगों की राय अखबारों में भी छपी, रोज स्टेटमेंट भी आये कि यह सेबोटेज का केस है। विभागीय इन्जीनियरों ने साथ ही यहां तक धमकी दी कि यदि किसी इन्जीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी तो अच्छा नहीं होगा और उनकी धमकी में आकर सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तो कहा था विद्युत विभाग पर प्रदेश की प्रगति निर्भर करती है, प्रदेश के उद्योग निर्भर करते हैं, और सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। यह विद्युत विभाग निरंतर घाटे पर जा रहा है। 1980 में इसका घाटा 180 करोड़ था जो अब बढ़कर 300 करोड़ हो गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिये किसान पर टैक्स लगाया जाता है, उपभोक्ताओं को टैक्स लगया जाता है, विद्युत की दरें बढ़ाई जाती हैं। यह टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करते हैं, मगर फिर भी वह बढ़ता ही चला जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस सारी समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये और कोई हल निकालना चाहिये।

*श्री राम कुंवर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि विद्युत परिषद् एक सफेद हाथी है। मैं इस शब्द को शत प्रतिशत सही मानता हूं। मान्यवर, बिजली विभाग से गांव में रहने वाले किसानों का बड़ा फायदा हुआ लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों की जो व्यवस्था है उससे सारे गांव वाले कराह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विभाग में महान परिवर्तन लाकर गांव के लोगों को फायदा पंहुचायें और उनको सही प्रकार से सुविधा दी जाय। मान्यवर, हरिजन गांवों की बात कही गयी । हरिजन गांवों की हालत यह है कि दसियों साल हो गये हैं खंभे वहां पर खड़े हैं न कहीं तार हैं और न बिजली उनको दी गयी है। सिर्फ कागज पर लिखा दिया गया है कि बिजली दे दी गयी है। तो ऐसे गांवों की जांच होनी चाहिये और इसमें जो कर्मचारी दोषी पाया जाय उसको दंडित किया जाय। गांव में बिजली दें या न दें। महीने में एक दिन दें या एक हफ्ते दें लेकिन उनसे जो 30 दिन का चार्ज लिया जाता है यह कौन सी समझदारी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाजवादी की बात है। मैं चाहूंगा कि इस पर ठीक से व्यवस्था की जाय ताकि किसान को सुविधा मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीटर रीडर आपका जो है वह गांवों में कभी नहीं जाता है और दफ्तर में बैठे-बैठे 3 रुपये के 300 रुपये कर देता है और 300 रुपये के 3 रुपये बना देता है और बिल भेज देता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो गड़बड़ियां की जाती हैं उनको ठीक किया जाय। बिजली विभाग को ठीक करने के लिये कुछ विरोधी दल के साथियों से सलाह लेकर इस विभाग में महान परिवर्तन करने की व्यवस्था करें। ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद का स्वप्न पूरा हो सके और जनता को राहत मिल सके।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं एक सूचना चाहता हूं कि क्या विद्युत परिषद् के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है?

श्री अध्यक्ष–

अभी विद्युत मंत्री जी बतायेंगे।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जहां-जहां आग रही है और यह जो जनरेशन कम हो रहा है इसका एक कारण है। आप देखेंगे कि इंजीनियर और अधिकारी मिलकर साजिश कर रहे हैं कि विद्युत बोर्ड को पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाय। मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या आपके सेक्रेटरी और चेयरमैन दो दफे जापान गये थे। क्या जापान को जनरेशन देने की सौदेबाजी हो रही है और कई करोड़ रुपये के कमीशन का मामला तय हुआ है। इस संबंध में क्या यहां से एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को गयी थी कि इसका ठेका जापान को दे दिया जाय लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ में नोट लिखकर इसको वापस कर दिया गया। तो क्या यह हो रहा है? जो यहां के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वह मिलकर यह चाहते हैं कि इसका ठेका जापान को दे दिया जाय और कई लोग साजिश में शामिल हैं। तो इसकी जांच आप करा लें।

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आपने दो मिनट का समय दिया है तो इतने कम समय में कम से कम बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस नहीं हो सकती है। आप मुझको 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

5 मिनट का समय नहीं मिलेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, बिजली के संबंध में आज सदन में चर्चा हो रही है। मुझे यह कहना है कि यहां पर जो बहुत से सुझाव इधर और उधर के माननीय सदस्यों के आये उससे यह निर्विवाद साबित हो गया है कि विद्युत परिषद् अंकुश से बाहर है और इसके चेयरमैन ने अपने निकम्मेपन का परिचय दिया है। यह भी साबित हो गया है कि विद्युत परिषद् के लोग इस सदन और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 2 वर्ष पूर्व जब आप विद्युत मंत्री थे तो एक आदेश जारी किया था कुछ उपभोक्ताओं की बिजली काट दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी थी उस संबंध में आपने आदेश किया था। जब मैंने पुनः सवाल किया तो यह लिखकर आ गया कि माफ नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, विद्युत परिषद् में सुधार लाने के लिये एक एडवाइजरी कमेटी बनायी जानी चाहिए जो विद्युत परिषद् में सुधार लाने के लिये सुझाव दे सके।

(श्री रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर–

यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हर दल के लोगों का दृष्टिकोण आ जाना चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। मैं एक एम0 टैक0 इंजीनियर होने के नाते अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इंजीनियर लोग तो पागल होते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह–

आई0 ए0 एस0 लोग निकम्मे होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी आप कृपया बैठें। मैं अपने विवेक से 15 मिनट का समय और बढ़ा रहा हूं।

*श्री खैरुल बशर–

मेरा स्पष्ट मत है कि आग लगी नहीं, लगाई गयी है। इसके अन्दर हिन्दुस्तान के बड़े पूंजीपतियों की खेल सरकार का भी हाथ है, जो बड़े पूंजीपति प्रदेश को लूट रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश के अपराधियों को बिजली के खम्भे में लटका दीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि सान्याल को हटा दो। इससे मसला हल नहीं होगा। सान्याल को गिरफ्तार करो, और इसे विधान सभा के सामने लाकर उसको गोली से उड़ा दो, तब हम अपराधों पर काबू पा सकेंगे और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह नपुंसक सरकार ने सान्याल के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया, तो प्रदेश की जनता इस सरकार को क्षमा नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। इन गद्दारों के खिलाफ मैं कड़ा कदम उठाने की मांग करता हूं कि आग लगाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जायें। यह मंत्रि मंडल सान्याल और बड़े पूंजीपतियों की साजिश का नतीजा है। अगर इस मंत्रि मण्डल ने अपराधियों और इन गद्दारों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, तो प्रदेश की जनता इनको सजा देगी। इन शब्दों के साथ मैं कठोर कदम की मांग करता हूं।

*श्री बृद्धि नारायण सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजली के उत्पादन में सुधार हुआ है लेकिन जहां तक हमारे दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं कि उपभोक्ताओं की कठिनाइयों में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप बड़े उद्योगों को शत-प्रतिशत बिजली देते हैं, वहीं पर मेरे क्षेत्र ज्ञानपुर, वाराणसी में ग्रामीण अंचल में चलने वाले जो कुटीर उद्योग एवं धंधे हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खासतौर से कालीन के अन्य प्रकार के जो धंधे हैं, ग्रामों और कस्बों में होने के नाते कुछ घंटे ही ग्रामीण फीडरों पर बिजली मिलती है, जिससे उन्हें बड़ा घाटा है। मुख्य रूप से जो शिक्षित नवजवान हैं, उन नवजवानों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो ऋण मिला है, जिनसे वे अपने कुटीर, उद्योग-धंधे व लघु उद्योग चलाते हैं, आज उनको बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे उनके ऊपर ऋण का भार बढ़ता जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि जो ग्रामीण उद्योग हैं, मुख्य रूप से गोपीगंज, जंगीगंज, ज्ञानपुर, पाली, सुरमावां, भदोही, महराजगंज आदि बाजारों, जो बहीदा नगर, पाली (भिडूरा), गोपीगंज, उपविद्युत केन्द्रों के समस्त विद्युत सप्लाई फीडरों पर स्थित गांव हैं, इनको 18 घंटे विद्युत आपूर्ति, उपरोक्त परिस्थितिवश दी जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि स्वयं यह बोर्ड जो स्वयं अपनी प्रशासनिक नीति ट्रान्सफर आदि के बारे में बनाये हुए है, वहां पर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है और जो इनके अवर अभियंता, सहायक अभियंता व अभियंता आदि हैं, जहां पर हर महीने इनको पचासों हजार की कमाई होती है और जिन्हें हटाने हेतु नीतिगत आधार पर हम सदस्यगण कहते हैं, इनको नहीं हटाया जाता है। इनके बड़े अधिकारियों व मंत्रियों पर दबाव डालकर वहीं रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाय, जो देखे कि जो 10-10 वर्षों से एक-एक विभाग व एक-एक जनपद में ही कार्यरत हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता, जबकि हटाना नीतिगत है।

श्री यदुनाथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा कि विद्युत परिषद् में आई0 ए0 एस0 बैठा दीजिए। मैं इसका सख्त विरोध कर रहा हूं। बिजली तीन फेस में सप्लाई होती है, लाल, पीला, नीला। मंत्री जी ने कहा कहीं दो फेस से कहीं तीन फेस से बिजली का प्रबन्ध करेंगे। ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल का इस प्रकार से विकास करेंगे उसका समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। जापान जाने में कोई दिक्कत नहीं है वहां से टेक्निकल जानकारी मिलती है। बिजली में आग लगाना कोई ऐसी बात नहीं है, जब माता टीला बांध टूट जाता है तो उस इंजीनियर को निलम्बित करना चाहिए। जो भी आग लगती है वह शनिवार या इतवार को लगती है। चाहे हरदुआगंज हो, चाहे ओबरा हो, चाहे साहूपुरी हो। इतवार और शनिवार को इंजीनियर स्वभाव से ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं करता है, क्रिकेट देखता है, छुट्टी मनाता है। नतीजा यह होता है कि आपरेशन ठीक से नहीं होता है, चाहे उत्पादन केन्द्र हो, चाहे कन्ट्रोल केन्द्र हो, आग लग जाती है। 30-31 में शनिवार इतवार को ओबरा में लगी, 26-27 में साहूपुरी में लगी, हरदुआगंज में जब लगी तो भी इतवार शनिवार था। कभी सुनील शास्त्री, कभी श्रीपति जी और ब्रह्म दत्त जी मंत्री बनकर आ गए।

श्रीपति मिश्र के जमाने में सबसे बड़ी दुर्घटना ओबरा की हुई है। पहले बिजली का तार तांबे का होता था जिसमें क्षमता अधिक होती थी और वोल्टेज धारक क्षमता अधिक होती थी। अब इलम्युनियम का तार लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता कम है। हिन्डालको पर साढ़े 6 करोड़ रुपया बकाया है और हिन्डालको से ही इलम्युनियम लिया जा रहा है, इसकी क्वालिटी को देखा जाय। उ0 प्र0 विद्युत परिषद् की कार्य प्रणाली पर एक समिति बैठायी जाय।

श्री बिहारी लाल–

इस चर्चा पर गम्भीरता से विचार करने वाली बात है । मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं । मेरा तराई का क्षेत्र है । यह विद्युत परिषद् आज हमारे प्रदेश को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है, यह सफेद हाथी है। इस सफेद हाथी पर हमारी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए । जैसा बाजपेयी जी ने कहा मैं उस बात से सहमत हूं । यह हमारी सरकार को बदनाम कर रहा है । पर्वतीय क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन इस विद्युत विभाग के जो कारनामे हैं, बिजली के पोल सड़कों और रास्तों पर पड़े हैं । मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से कि इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो कार्यवाही हो, की जाय।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । मैं आभारी हूं, वित्त मंत्री जी का मैंने कुछ उनसे चाहा था उन्होंने उसे कर दिया । इस सदन के पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जाय, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे । टर्म्स आफ रिफरेंस, क्या छानबीन करना है, क्या किस तरीके से देखना है, यह बाद में तय होगा । 6 सदस्यों की यह कमेटी है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे ।

यह जो है दे दी जायेगी और उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, विद्युत परिषद् के चेयरमैन श्री सान्याल हैं । 1974 में जब वह अल्मोड़ा में उप प्रबंधक के पद पर थे, अल्मोड़ा में उस समय भी आग लगी थी दो बार अल्मोड़ा में आग लगी कितनी जगह और आग लगी । जब अल्मोड़ा में आग लगी तो मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की, तो उन्होंने कहा जिनकी कृपा से आया हूं जब तक वह चाहेंगे रहूंगा । मान्यवर, श्री सान्याल टाटा की नौकरी में हैं, वहां से आये हैं वह टाटा का हित देख रहे हैं इस प्रदेश का हित नहीं देख रहे हैं करोड़ों की सप्लाई उनके द्वारा टाटा को दी जा रही है । मान्यवर, 62 करोड़ की बिजली उन्होंने खरीदी । 1974-75 में आठ करोड़ की खरीदी है । आज के अखबार में है कि इनकम टैक्स वालों ने विद्युत परिषद् के खाते को कुड़क कर दिया है। आज ऐसी स्थिति आ गयी है आज उनके पास वेतन देने को भी पैसे नहीं हैं तो मान्यवर, ऐसे अधिकारी को जो हमारे प्रदेश का अहित कर रहा हो, उसको यहां क्यों रखे हुए हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दोनों तरफ के सदस्यों ने विद्युत परिषद् के कार्यकलापों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की और आपने भी सदन में यह घोषणा की कि एक कमेटी बनाई जायेगी । मैं चाहूंगा कि जो कमेटी में टर्म्स एण्ड रिफरेन्स दें इसमें मैं चाहूंगा कि आप समय भी निर्धारित कर दें । एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि काफी चर्चा इसमें हो गयी है और गम्भीरता से हो गयी है जब माननीय तिवारी जी उधर से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 78-79 में इस प्रदेश में बिजली की बहुत कमी थी मैं बताना चाहूंगा और स्वयं ऊर्जा मंत्री भी इस तथ्य से अवगत होंगे कि इस प्रदेश में उस समय बाहर से 8 करोड़ 66 लाख की बिजली खरीदी गयी थी और आज 1983-84 में अन्य प्रदेशों से सिंगरौली से 62 करोड़ की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली खरीदी गयी थी सिंगरौली की वजह से इस प्रदेश को बिजली मिल रही है। श्रीमन् पांच इकाइयां आ गयीं उनमें उत्पादन होने लगा उनको बिजली मिलने लगी और नानपारा का ऊर्जीकरण जो एक साल पहले किया गया था उसका पता नहीं है । मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा । 1979-80 में कोर्ट का 62 करोड़ रुपया बकाया था जब कोर्ट को ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया तो 170 करोड़ रुपया बकाया था । 62 करोड़ से अब 170 करोड़ रुपया बकाया है ।

मान्यवर, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में जो गम्भीर स्थिति विद्युत की वजह से उत्पन्न हो गई है यही अगर आगे भी बनी रही तो आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से देखेंगे, जिस रोज सदन खत्म हो जायेगा, समाप्त हो जायेगा उस दिन से प्रदेश के अन्य भागों में जो चार घण्टे बिजली मिल रही है वह नहीं मिल पायेगी ।

मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो ऊर्जा की कटौती की हमेशा छूट दे रखी गयी थी, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि चेयरमैन ने एक आर्डर कर बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र की बिजली की कटौती जारी कर दी है । मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । मान्यवर, स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है अगर तत्काल प्रभावी कदम उठाये न गए तो आने वाले दिनों में इस प्रदेश को तमाम दुश्चिन्ताओं का सामना करना पड़ेगा और हालत दद से बदतर होती जायेगी, जो ठीक होने वाली नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्री जी से अपेक्षा रखूंगा कि कमेटी जो रिपोर्ट दे, उसको देख लें तथा पुनर्गठन करें तो ऐसे आदमी को लायें जो कम से कम 3 साल इसके चेयरमैन के रूप में विद्युत परिषद् में काम कर सके, उसके सदस्य अनुभवी हों और अपने क्षेत्र के कार्यों की जानकारी रखते हों और केवल प्रभाव और निहित स्वार्थ के बल पर नियुक्ति न हो सके ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, वह जहां-जहां, जैसे ओबरा में, आग लगी है, वहां जायगी । तो क्या वह कमेटी उन जगहों पर भी जायगी, जहां-जहां इनके स्टोर हैं और जहां खराब माल और ट्रान्सफार्मर खरीदे हुए रखे हैं । क्या वहां जाकर उन सामानों की भी जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह देखना उस कमेटी का काम है।

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, रानीखेत तो मैं स्वयं जा रहा हूं । मान्यवर, विद्युत परिषद् का बजट 19 अप्रैल को प्रस्तुत होगा, और उस समय उस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव आये हैं। लेकिन कुछ गलतफहमियां भी हैं । जो सुझाव आपने स्वयं दिया कि इस सदन के 5 सदस्यों की एक कमेटी बने और वह मुख्य बातों पर विचार करे । मैंने उससे सहमति व्यक्त की । हमारी जो विद्युत के बारे में स्टैन्डिंग कमेटी है, स्थायी समिति है, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि 3 माह में वे एक बार अवश्य मिलें । आम तौर पर स्टैन्डिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती । मैंने यह भी व्यवस्था की है कि ऊर्जा राज्य मंत्री हर मंडल के लोगों को इसी पक्ष में 15 अप्रैल तक बुलाकर उनकी बात सुनें । मैं भी माननीय विरोधी दल के सदस्यों के सुझाव लूंगा । हमारे

जो जोन हैं, क्षेत्र हैं, उनमें चीफ जोनल इन्जीनियर हैं, हम एक उपभोक्ता सलाहकार समिति गठित करेंगे। जिला स्तर पर यह कार्य हम जून में या मई के अन्त तक करने का प्रयास करेंगे, उससे जनप्रतिनिधियों और विद्युत परिषद् के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। विद्युत परिषद् के पुनर्गठन की बात की गयी। उसमें टैक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट की बात कही गयी। तो उसका अन्तर मैं नहीं मानता। हर आदमी विशेषज्ञ नहीं होता है। तकनीकी काम तकनीकी विशेषज्ञ ज्यादा जानता है।

विद्युत परिषद् का लेखा रखने का जो काम है, स्टोर का जो काम है, उसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो इसका ज्ञान रखते हों। इसीलिए वाणिज्य का सदस्य अच्छा इकनामिस्ट होता है। अतः वित्त सचिव और आयुक्त उसका मेम्बर होता है। जो आवश्यकता हम विद्युत परिषद् के संगठन के परिवर्तन में हम जिस समय महसूस करेंगे, उस समय आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे और यथासम्भव निर्णय करेंगे, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि बहुत सारी ताकतों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, मैंने उस सिलसिले में सुझाव दिए हैं कि जब तक कमेटी उस चीज को न देख ले, उसको समाप्त न किया जाय, यथावत रहने दिया जाय। सबसे बड़ी आवश्यकता ज्यादा क्षमता पैदा करने की है। तमाम गलतफहमियां पैदा होती हैं कि निजी क्षेत्र से उत्पादन की बात करने जा रहे हैं। इस देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हैं।

हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विद्युत उत्पादन में एक हजार मेगावाट विद्युत पैदा करने का काम हम निजी क्षेत्रों को भी देंगे लेकिन वितरण का काम हम उनको नहीं देंगे। यहां जापान का भी जिक्र किया गया। मान्यवर, जापान ने जानपारा-बी के लिए एन क्रेडिट देने का निश्चय किया है। संसाधनों को बढ़ाने के लिए चाहे जापान से, आस्ट्रिया से या फिर कनैडा से मिले, केन्द्र सरकार से जो संसाधन हमको मिलेंगे, उन्हें हम लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्राथमिकता बी0 एच0 ई0 एल0 को दे और उनकी मशीनों में हम उनकी सलाह से सुधार करें। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो जल विद्युत योजनायें हैं उन्हें हम पूरा करें। चाहे वह हम केन्द्र के माध्यम से करायें।

शारदा घाटी, काली गंगा आदि का काम हम केन्द्रीय जल विद्युत योजना को देने का फैसला करेंगे। टिहरी डैम के बारे में भी हर प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार आपस में मिल कर एक एथोरिटी बनायें। लखवाड़ा व्यासी आदि जल विद्युत की बहु उद्देश्यीय योजनायें हैं, इन योजनायें को हम बनायेंगे तो इनसे सिचाई का कार्य भी होगा और बाढ़ नियंत्रण का काम भी इनसे होगा। नेपाल सरकार के सहयोग से भी हम जल विद्युत की योजनायें बना रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमने माइक्रो हाडिल के लिए 40 जगहें छांटी हैं, उनसे हम वितरण का काम करेंगे। यदि वहां की ग्राम पंचायतों और सहकारी समितियां भी उनको लेना चाहेंगी, तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मेरा निश्चित मत है कि कोई अव्यवहारिक बात नहीं करनी चाहिए। अब थ्रैशिंग का सीजन आ रहा है, हम इस बात का प्रयास करेंगे कि 2 फेस की बिजली उनको उपलब्ध करवायें।

मान्यवर, गांवों में बिजली के जो खम्बे हैं, कम से कम मुहल्लों में खम्बों पर

कुछ बिजली के बल्ब लगाये जाने चाहिये। हम यह भी जानते हैं कि इसके व्ययभार को गांव वाले वहन करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत परिषद् को डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान हम करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर जो लाइट लगायी जायेगी और उसका, जो खर्चा आयेगा, उसे हम वहन करेंगे। हमने गांवों को कनेक्शन देने के लिए, निजी ट्यूबवेलों को कनेक्शन देने के लिए, राजकीय ट्यूबवेलों को कनेक्शन देने के लिए, जल निगम के ट्यूबवेलों को कनेक्शन देने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उस समय-बद्ध कार्यक्रम पर अमल किया जाय और उपभोक्ता समितियां इस पर अंकुश व निगरानी रखें।

मान्यवर, नये पावर हाउसों का कार्य शुरू करके और जो पुराने पावर हाउस हैं, उनकी उत्पादन क्षमता को अधिक उपयोगी करने और वितरण व्यवस्था को ठीक करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह मैं जानता हूं कि यह एक चुनौती वाला काम है। हमारी दूसरी योजना 1601 करोड़ रुपये की थी। 570 करोड़ से 600 करोड़ के बीच विद्युत विभाग के ऊपर व्यय होना है, इसके ऊपर भी हमें नजर रखनी है और इसके लिए हमको भी जागरूक होना चाहिए।

मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी के दबाव में न आकर और किसी की रू-रियासत में न आकर हम पूरा प्रयास करेंगे कि यथा योग्य आदमी ही उचित स्थान पर रखा जाय और विद्युत आपूर्ति में सुधार लाया जाय। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जब विद्युत विभाग का बजट यहां पर आयेगा तो उस दिन भी निश्चित रूप से हमें इसके प्रत्येक पहलू पर बहस करने का मौका मिलेगा। आज हमें इसके ऊपर चर्चा करने का मौका मिला और जो कुछ अच्छे सुझाव यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उनसे संक्षेप में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उन कदमों के बारे में हम कार्यवाही करेंगे और इन्हें कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। हम दोनों मिलकर इस बात का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जाय। यहां तक कि पूरी व्यवस्था में हम सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष –

मुझे 2 औचित्य के प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आज नियम-56 भी नहीं लिया गया, नियम 51 भी नहीं लिया गया और अन्य प्रश्न भी नहीं लिए गये हैं, इसलिए मैं इन औचित्य के प्रश्नों की छानबीन करके, कि ये नियमों के तहत आ रहे हैं या नहीं और भी अन्य परीक्षण करूंगा, तब जाकर मैं इनको सोमवार के दिन लूंगा।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार) –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग है, इसका मुख्य उद्देश्य

तो यह है कि शासन की उपलब्धियों को, शासन की नीतियों को, जनता तक ले जायं और जनता की जो समस्यायें हैं, उनसे शासन को अवगत कराना रहे। जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह जनता और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करता है। एक ऐसा कार्य करता है जिससे जनता और शासन के बीच सामंजस्य स्थापित रहे।

इसकी कई शाखायें हैं, कई रूपों में यह जनता की सेवा करती है। मैं इसकी कुछ मुख्य शाखाओं और उनकी उपलब्धियों की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। माननीय सदन को यह अवगत कराते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि लगभग हर शाखायें विगत वर्षों से अधिक कुशलता के साथ अपनी कार्य क्षमता बढ़ाकर जन सेवा में जुटी हुई हैं। हम जहां पुराने जो हमारे रास्ते थे, हम उन पर चल रहे हैं, वहीं वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण पर भी चल रहे हैं, ताकि और जनता की सेवा करने के लिये अग्रसर हों। हमारे विभाग का महत्वपूर्ण अंग पत्र सूचना शाखा है। इसके द्वारा संवाद प्रेषित किये जाते हैं, और संवाद ग्रहण किये जाते हैं। मुझे इसकी बाबत बतलाने में प्रसन्नता हो रही है कि पहली जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक 2,484 संवाद हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रसारित किए गये हैं। इसी कार्यकाल में 1600 से अधिक प्रेस नोट तथा 630 संदेश भेजे गये हैं तथा 722 प्रेस नोट एवं संदेश प्राप्त किये गये। मान्यवर, अगर संवाद सही समय पर न पहुंचे अपनी एजेन्सियों तक, तो उनकी गंभीरता नहीं रह जाती है। इसको ध्यान में रखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया कि जहां 15 टेलीप्रिंटर लगे हुये हैं, उनमें 7 और ऐसे जिलों को चुना गया और जहां टेलीप्रिंटर लगाये जाने की सुविधा प्रदान होगी और इस प्रकार कुल मिलाकर अब हमारे प्रदेश में 22 ऐसे जिलों में यह व्यवस्था कर, छोटे अखबारों को सुविधा प्रदान कर दी गयी है। शासन का यह निश्चित मत है कि जब तक स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र का तकाजा पूरा नहीं होगा। इसके लिए शासन कृत संकल्प है कि स्वस्थ पत्रकारिता बनी रहे, स्वतंत्र पत्रकारिता बनी रहे। इस क्रम में प्रयास किया जा रहा है और जो धनराशि लगभग तीन लाख रूपए की पत्रकार कल्याण कोष में जमा है, उसके ब्याज के द्वारा, वक्त जरूरत पर पत्रकारों को सुविधा देने का ध्यान में रखते हुए, वह राशि दी जाती है। गत वर्ष इस कोष से 17 पत्रकारों में 25,500/-रु० की धनराशि वितरित की गयी। मान्यवर, इसके बाद कहना चाहूंगा कि इस विभाग का महत्वपूर्ण अंग है प्रकाशन ब्यूरो इसके द्वारा हम अपनी सामाजिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते रहते हैं, वहीं हम यह भी ध्यान रखे हैं कि जो प्रदेश और देश में मुख्य शख्सियतें हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, उन पर हम ध्यान खींचें। इसी संदर्भ में अभी मान्यवर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा देवी बख्श सिंह व फजल अली स्मृति का विशेषांक भी हमने प्रकाशित किया। इसमें दो और विशेषांक उल्लेखनीय हैं, जैसे इसमें फजल अली स्मृति विशेषांक, परिवार कल्याण स्वास्थ्य एवं मातृ शिशु कल्याण अंक और प्रौढ़ शिक्षा अंक-यह सभी इसी विभाग द्वारा लिखे जाते हैं।

इसी विभाग द्वारा, सूचना विभाग द्वारा, डायरी भी बनायी जाती है, जो कितनी मान्यवर लोकप्रिय है, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। मान्यवर, उर्दू पीछे न रह जाय, उसके विकास के लिए उर्दू पत्रों और पत्रकारों की

मांग पर एक उर्दू सेल की स्थापना कर चुके हैं। इसी विभाग की मान्यवर, निरीक्षा शाखा भी है, जिसका कार्य है, जो समाचार पत्रों में जो सूचनायें होती हैं, उनको एकत्र कर, प्रशासकीय विभागों और संबंधित माननीय मंत्रियों तक पहुंचाना। इसी संदर्भ में मान्यवर, मुझे कहते हुए।

(इस समय 12 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

हर्ष हो रहा है कि इस शाखा ने अपना कार्य नितांत सुचारु रूप से चलाया है और लगभग तीन लाख पचास हजार प्रेस की कतरनें संबंधित माननीय मंत्रियों और प्रशासकीय विभागों तक पहुंचायी हैं और ऐसा करके उस पर कार्यवाही करायी है निःसंदेह यह एक उपलब्धि है। क्षेत्र प्रचार योजना के तहत, लगभग 56 जिलों में जिला सूचना कार्यालय तथा 13 तहसील मुख्यालयों पर सूचना कार्यालय कार्यरत हैं जो मुख्य रूप से जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य का काम भी करते हैं और जनता की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

तहसील पीछे न रह जाय, इसलिए 13 तहसीलों का भी चुनाव किया गया है। पहाड़ी जिलों के संबंध में कह देना चाहता हूं कि वहां सूचना विभाग की उपलब्धियां पीछे न रह जायं, इसके लिए सामूहिक श्रवण योजना तथा सामूहिक प्रदर्शन योजना चलायी जा रही है। आज के जमाने में टेलीविजन का समाज में अजीब सा "क्रेज" हो गया है। इसके लिए केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में वर्ष के अन्त तक 19 टी0 वी0 रिले सेण्टर स्थापित करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग टी0 वी0 के मैप पर आ जायगा। इसका लाभ ग्राम सभाओं को शिक्षा संस्थाओं को मिले, इसके लिए एक हजार टेलीविजन सेट वितरित करने का विचार है।

विज्ञापन शाखा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा सभी देशों में विज्ञापन दिये जाते हैं। हर्ष है कि इस बार इसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और 70 प्रतिशत विज्ञापन हिन्दी में दिये गये हैं तथा उर्दू के लिये भी निश्चित प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। फिल्म और डाक्यूमेण्टरी विभाग द्वारा 12 न्यूज रील तथा 3 डाक्यूमेण्टरी फिल्मों का निर्माण किया गया है। भगवान राम से सम्बन्धित 3 स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित एक फिल्म भी है, जो कि चलचित्र निगम के द्वारा चलायी जाती है। इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ लाभ कमाने की दृष्टि से स्थापित नहीं किया गया था। मुख्य उद्देश्य यह था कि जहां पर व्यवसायी या उद्योगपति नहीं चाहते हैं, वे लोग फिल्मों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें अच्छी फिल्म देखने की सुविधा मिले। मूल स्थानों पर पिक्चर हाल बना रहे हैं, केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। 38 स्थानों पर हमारे चलचित्र निगम द्वारा स्थापित केन्द्र चल रहे हैं, छविगृह पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि सम्भवतः इनमें सुधार की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई आरगेनाइजेशन नहीं है, जिसमें सुधार की आवश्यकता न हो। इस संबंध में हमने कुछ सुधार किये हैं। हम छविगृहों की संख्या को 50 तक ले जा रहे हैं। कहा जाता है कि यह लाभ पर नहीं चल रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको लाभ के लिए नहीं बनाया गया था। इसको बनाया गया था उन स्थलों, उन क्षेत्रों के लोगों को, कस्बे के लोगों को, देहात के लोगों को, लाभान्वित

करने के लिए । हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । जहां हम प्रदर्शन करते हैं, उसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए जब तक वितरण अपने हाथ में न लें तब तक प्रदर्शन के कोई मायने नहीं हैं ।

अब हम वितरण के क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं । हमारी वितरण की जो नयी प्रणाली है, निश्चित रूप से लाभप्रद है । निगम घाटे पर न चले, विभाग की इसमें रुचि है । यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश से यह प्रयास किया गया है कि जो छवि-गृह घाटे पर चल रहे हैं, उन्हें लाभ पर चलाया जाय । इसके लिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक अभियान चलाया गया है कि जो छविगृह निगम द्वारा चलाये जाते हैं, उन पर जनरल मैनेजर से लेकर नीचे के अधिकारियों तक पर अचानक छापे मारें और यह देखें कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है । हम इसमें यहां तक सफल हुए हैं कि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच 23 प्रतिशत तक इनकम बढ़ गयी है । इससे स्पष्ट होता है कि यह अभियान लाभ प्रद है । सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा और हम निगम की आय को बढ़ायेंगे । वैसे तो मैंने सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें हैं, जिनको घोषित करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए उनको घोषित करना चाहता हूं ।

मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश सरकार जो कुछ करने जा रही है निस्संदेह यदि इस बात को अभी नहीं तो कई वर्षों बाद अगर ऐतिहासिक न कहेंगे तो इतना जरूर कहेंगे कि पत्रकारों की और जनता की जो तमाम समस्यायें थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इन सब में जो सबसे पहली सुविधा है वह यह कि दोहरी विज्ञापन नीति जो कई वर्षों से चली आ रही थी उसे समाप्त किया जा रहा है ।

पत्रकारों और समाचार-पत्रों की सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि प्रदेश में दोहरी विज्ञापन दरें समाप्त की जायं। 10 हजार से कम संख्या में छापने वाले समाचार पत्रों को भारत सरकार से डी0 ए0 वी0 पी0 की दरों की तुलना में करीब आधे दर पर सरकारी विज्ञापन दिये जाते थे, जिससे लघु समाचार-पत्रों को हानि उठानी पड़ती थी। इसलिए अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि दोहरी नीति को समाप्त कर सभी समाचार-पत्रों को डी0 ए0 वी0 पी0 की दर से विज्ञापन दिये जाएं, हालांकि इससे शासन पर भारी आर्थिक बोझ आयेगा तथा दूसरी जो सुविधा हमने पत्रकारों को दी है वह यात्रा संबंधी है । जनपद के पत्रकारों की यह मांग थी कि उन्हें मिलने वाली यात्राओं की सुविधा को और बढ़ाया जाए। इसलिए शासन ने अब दो हजार किलोमीटर की यात्रा को बढ़ाकर 3 हजार किलो0 मीटर की बस यात्रा का निर्णय लिया है, जब कि इससे भी निस्संदेह शासन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा ।

साथ ही शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को स्वस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता पढ़ने के लिए मिले और इस ओर पत्रकार भी सुरक्षित रहें और उनको किसी प्रकार की कोई हानि न उठानी पड़े इस पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों की समस्याओं पर विचार करने के लिए दो समितियां बना दी गयी हैं, एक तो जिला समिति जिसके सदस्य जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे और दूसरे प्रांत की समिति का भी गठन किया गया है । इससे होगा मान्यवर, यह कि जो भी समस्यायें पत्रकारों की जिला स्तर पर होंगी या प्रान्त स्तर पर उनका निराकरण वहीं

पर हो जायेगा और इससे यह होगा कि प्रदेश के किसी भी कोने के पत्रकारों का उत्पीड़न न होने पाये । इसी के साथ ही एक दूसरी सुविधा जो हम पत्रकारों को देने जा रहे हैं, उसकी घोषणा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है वह यह कि आज की इतनी महंगाई के दौर को देखते हुए लखनऊ के पत्रकारों को 200 भवन की एक कालोनी बनाने जा रहे हैं गोमती नगर में और इस ओर सरकार के शीघ्र ही प्रयास जारी हैं कि उन्हें यह भवन जल्द से जल्द उपलब्ध कराये जायें जिससे उनकी रहाइस की समस्या का तो निदान हो सके । इस प्रकार इस योजना से 200 श्रमजीवी पत्रकार लाभान्वित होंगे ।

मान्यवर, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घोषणा चलचित्र के संबंध में करना चाहूंगा । आज समाज को सिनेमा से अलग नहीं किया जा सकता है । आज भी इसका उदाहरण यहां देखा गया है कि माननीय अध्यक्ष जी ने एक फिल्म दिखाने के लिए आदेश किया है । तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी प्रतिभायें जो कि नाकामयाब हैं और इधर-उधर भटक रही हैं और सम्पत्ति इकट्ठा कर रही हैं । वे भले ही यहां की हों लेकिन कुछ कारणों से फलफूल नहीं सकी । आज उत्तर प्रदेश इस राष्ट्र में तीसरे नम्बर पर होने जा रहा है इसके लिए एक अश्वस्त फिल्म नीति हम निर्धारित करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, फिल्म के तीन अंग होते हैं फिल्मों का निर्माण, उसका वितरण और प्रदर्शन। अब हम यह करने जा रहे हैं कि यह फिल्मों का निर्माण, उसका वितरण और उसका प्रदर्शन तीनों अंगों को लघु उद्योग और मध्यम उद्योग की तरह ही सुविधायें प्रदान करने का विचार कर रहे हैं और उनके तीनों अंगों को यह सहायता हम प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक पैनेल बनायेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे और उनके पास मान्यता होगी और यह सारी सुविधायें उन्हें उपलब्ध करायी जायेंगी जो कि लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों को उपलब्ध हैं। इस नीति के द्वारा यह संभव हो जायेगा कि फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक और फिल्म के प्रदर्शक तीनों इस नीति के कारण लाभान्वित होंगे। इस फिल्म कारपोरेशन के द्वारा 20 लाख रु0 तक का कर्जा फिल्म निर्माताओं को, फिल्म वितरकों को, और फिल्म प्रदर्शकों को हम देंगे। इससे मुझे आशा है और साथ ही पूरा विश्वास है कि इस नीति के बन जाने के बाद फिल्म के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन का यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा। इस 20 लाख रु0 के कर्जे पर रेट आफ इन्टरेस्ट वही होगा जो कि लघु उद्यमियों से और मध्यम उद्यमियों को देय होता है यानी उन्हें यह सुविधा 8 परसेन्ट ब्याज पर दी जायेगी। यह स्पष्ट है कि फिल्म निर्माण के लिये अन्य जगहों से इससे दुगने और तिगुने रेट आफ इन्टरेस्ट पर धनराशि प्राप्त होती है इस नीति के अंतर्गत उन्हें तामाम प्रकार की सुविधायें हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उनको हम इस तरह से मदद देने जा रहे हैं, उनको हम इस तरह से सहयोग प्रदान करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम यह भी करने जा रहे हैं कि शूटिंग के लिये कैमरा और साउन्ड सिस्टम अपनी तरह से उन्हें हम उपलब्ध करायेंगे। इस तरह से वे प्रतिभायें जो दूसरे प्रदेशों में ठोकरें खा रही थी, वह यहां आयेंगी और इससे लाभ उठायेंगी। आगे चल कर मनोरंजन कर के रूप में जो राशि हमें मिलेगी इससे उत्तर प्रदेश का लाभ होगा।

अभी तक मान्यवर, 6 क्षेत्र हैं फिल्म वितरकों के, अब हम उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने जा रहे

हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्मों का निर्माण इस तरह से एक स्वतंत्र व्यवसाय हो जायेगा और इससे उत्तर प्रदेश में होने वाले कार्यों को फायदा होगा। यहां लखनऊ में ही इन्दिरा नगर में एक महत्वपूर्ण चलचित्र निगम था उसे हम व्यापारिक संस्थान बनाने जा रहे हैं। यहां से वे व्यापार करेंगे और उसका हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा।

इस तरह से एक नई फिल्म नीति का सृजन करके हम आशा करते हैं कि इससे निश्चय रूप से फिल्म के निर्माण में, वितरण में और प्रदर्शन में शासन को सहयोग मिलेगा। जो फिल्म का निर्माण शुरू करेंगे या छविगृहों का निर्माण करेंगे उनको भी यह राशि उपलब्ध करायेंगे। यह नीति उत्तर प्रदेश में यदि बहुत सफल नहीं हुई तो भी हमें आशा है कि फिल्म के निर्माण वितरण और प्रदर्शन में हमारा प्रदेश दूसरे या तीसरे नम्बर पर जरूर उभर कर सामने आयेगा ।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मैंने कुछ बातें कहीं हैं, आप अपने अमल्य सुझाव दें । हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं, वह बहुत ही कम हैं । जो सुविधायें हमें देना चाहिए वह हम नहीं दे पा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सभी लोग अपने सुझाव दें जिससे प्रदेश का हित हो सके, मैं माननीय सदस्यों के विचारों को सुनूंगा और उनका कार्यान्वयन करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना विभाग का जो बजट है, इसको सवा दो बजे तक समाप्त करना है। इसलिए कटौती का प्रस्ताव करने वाले मा0 सदस्य 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करें और जो अन्य सदस्य हैं वह अपनी बात 3-3 मिनट में समाप्त करें ।

*श्री कन्हैया लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, अपने वाक् चातुर्य से बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी गलती को छिपाने का प्रयास किया है और बहादुरी दिखाते हुए इसको प्रस्तुत किया है । मैं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, कहना चाहता हूं, तिवारी जी नए आदमी हैं, और शायद नए होने के कारण ही मा0 मुख्य मंत्री जी ने इनको पसन्द किया है, वरना बेहतर होता कि ब्रह्मदत्त जी इसमें सम्मिलित होते । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वतंत्र पत्रकारिता की बात कही है, मैं जानता हूं कि जब विज्ञापन दिया जाता है तो कुछ अखबारों को मुश्किल से विज्ञापन की सूची में रखा जाता है । जिन अखबारों को यह विज्ञापन देते हैं, वह अखबार अगर सरकार विरोधी कोई बात कहता है, या लिखता है, तो यह सरकार उनसे नाराज हो जाती है और उस अखबार का विज्ञापन बन्द कर देती है, यह बड़ी ही गलत बात है । इनके पास विज्ञापन को बन्द करने की और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया है और नियम है । उनके अनुसार इनको नोटिस देना चाहिए, उनका जवाब मांगना चाहिए, और उनको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना चाहिए । जो प्रक्रिया है वह नहीं अपनाते हैं और एक सेकेन्ड में विज्ञापन को समाप्त कर देते हैं । इसलिए उनका उद्देश्य अखबारों की स्वाधीनता को समाप्त करना रह गया है । अब स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं रह गयी है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पहले विज्ञापन हिन्दी में दिए जाते थे, फिर उर्दू में दिए जाने का प्राविधान किया गया और अब अंग्रेजी में दिए जाने लगे हैं। विज्ञापन अंग्रेजी में नहीं देना चाहिए, विज्ञापन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिए जाते हैं। यह चीज हमारी नीति और संविधान के विरुद्ध है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको देखें कि अंग्रेजी में विज्ञापन कैसे दिए जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले यह विज्ञापन अखबारों को सीधे दिए जाते थे और अब इन्होंने विज्ञापन देने के लिए एजेन्सियां बना दी हैं। दस-दस और पांच-पांच लाख के विज्ञापन, दो-दो चार-चार लाख के विज्ञापन इन एजेंसियों के माध्यम से दिए जाते हैं। पहले ही छोटे अखबारों को कम पैसा मिलता है और फिर इसके माध्यम से 25-30 प्रतिशत तक ये एजेन्सियां ले लेती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने किस तरह से यह परंपरा डाली है और किस तरह से इन एजेंसियों को माध्यम बनाया। कहां तो आप उनको स्वाधीन बनाना चाहते हैं और इस तरह से व्यवस्था करके उनका शोषण कर रहे हैं और उनका आधा हिस्सा कटवा देते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब दें। पहले जो छोटे अखबार होते थे वे अपनी मर्जी के मुताबिक जो सूचना उन्हें मिलती थी उनको इकट्ठा करके वे छापते थे। उनके जो एजेन्ट थे वे थानों में भी जाते थे, कलेक्टर के यहां जाते थे, एस0 पी0 के यहां जाते थे और जो सूचनायें उन्हें वहां मिलती थीं उनको वे छापते थे और वह भी स्वतंत्रतापूर्वक छापते थे। सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला कि कोई भी अधिकारी स्वतंत्र रूप से प्रेस कांफ्रेन्स नहीं ले सकता। कोई चीज छापनी हो तो वह पहले कलेक्टर को लिखे, वह स्क्रूटिनाइज करेगा और तब प्रेस को जायेगा। इसका नतीजा यह होता है कि जो जनता की आवाज है, जो उसका दुख है, जो उसकी तकलीफ है जिनको उजागर करना सूचना विभाग का काम है, उसमें अंकुश लगा दिया। आपने 29-4-82 को एक सरकुलर जारी किया और रोक लगा दी प्रेस कांफ्रेन्स में सब जगह।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त विज्ञापन देने में जो व्यवहार उनके साथ किया जाता है उससे चीप पत्रकारिता को बढ़ावा मिलता है। जो छोटे-छोटे अखबारों को ब्लैक मेल करते हैं उनको इससे बढ़ावा मिलता है और जो फन्डामेंटल नीति है उस पर कुठाराघात होता है। इसके अलावा पत्रकारों को इन्होंने सुविधा देने की बात कही। इन्होंने कहा कि तीन लाख रुपया जमा करके 15 हजार ब्याज आता है। उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में कितने पत्रकार हैं। इसे 3 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कीजिए जिससे एक जिले में एक पत्रकार को कम से कम 1 हजार मिल सके। अन्यथा इस तरह से कैसे आप उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं? ऐसा करके आप चीप पापुलरिटी गेन करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। आपने कहा कि हमने उनको पास दे दिया। पालेकर रिपोर्ट कहां लागू की गयी? आज स्थिति यह है कि जिलों में जो पत्रकार हैं वे नंगे-भूखे घूम रहे हैं। इस पालेकर अवार्ड को आप लागू करें तो उनको कुछ फायदा हो सकता है। जो आपके अपने अखबार हैं उर्दू और हिन्दी के "उत्तर प्रदेश पाक्षिक" उनके बारे में आपने बताया कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में केवल 2-3 अंक ही निकले। बाकी क्या हुए? जैसे 'कौमी आवाज' है 'पाक्षिक उत्तर प्रदेश' है। यह सब सरकार की चापलूसी से भरे होते हैं। होना तो यह चाहिए कि जो

जनता का दुख है उनको भी सामने लायें। तो सरकार की विफलता या जनता की तकलीफ किसी अंक में दिखायी गयी हो यह आप दिखवा लें एक भी जनता के दुख दर्द की बात नहीं होती केवल झूठी सरकार की तारीफ होगी जिससे यह प्रसन्न होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं ।

आपने एक उर्दू शाखा बना रखी है सूचना विभाग में यह इस किताब में भी लिखा है आखिर यह क्यों इससे पहले तो यह नहीं था । हमें कोई एतराज नहीं है उर्दू शाखा बनायें लेकिन कोई हिन्दी शाखा नहीं है जो देश की भाषा है इसकी शाखा भी होनी चाहिए । आप उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं ठीक है लेकिन हिन्दी को पिछाड़ना देशद्रोह है ।

आपके यहां एक निरीक्षण शाखा है जो दुर्घटनायें होती हैं या दैवी आपदायें आती हैं या जनता के ऊपर महंगाई का असर है उन सब बातों को सरकार तक पहुंचाने का उसका काम है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस निरीक्षण शाखा ने कितने आंकड़े इस प्रकार के आपको दिए जिसमें बताया गया हो कि जनता को यह तकलीफ है या जनता का यह दुख दर्द है । एक भी नोट ऐसा नहीं होगा जिसमें जनता के दुख दर्द की बात कही गयी होगी । यह निरीक्षण शाखा केवल चापलूसी करती है ।

छोटे अखबारों की बात आपने कही । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराते समय इस बात को देखा जाना चाहिए कि वह किस स्तर का अखबार है, उसकी भाषा का स्तर क्या है, नियम में आता है या नहीं, एक पेज छाप दिया और उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया और जो 100 पेज निकालता है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया कुछ इनमें ऐसे अखबार हैं जो ब्लैकमेल करते हैं चाहे वह आफिसेस का हो या राजनीतिज्ञों का हो । कितने ही अखबार ऐसे हैं जो नियमित रूप से छपते नहीं हैं या एक पर्चा छापते हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं है कि किस प्रकार की भाषा वह प्रयोग करेंगे । इसके साथ ही कुछ बड़े अखबार हैं एक हमारे आगरे से भी निकलता है जिसमें विज्ञापन ज्यादा होता है । इसी तरह से बहुत से अखबार हैं अगर 8 पेज का अखबार है तो 6 पेज में विज्ञापन होता है और 2 पेज केवल पढ़ने की सामग्री होगी तो क्या कभी आपके इस सूचना विभाग ने कोई इन अखबारों को सुझाव दिया कि इस प्रकार से विज्ञापन क्यों देते हैं अगर इतने पेज विज्ञापन के लिए देने हैं तो उसी हिसाब से पढ़ने की सामग्री भी बढ़ायें । इसके लिए कोई रोशियो होना चाहिए । (लालबत्ती होने पर) अभी तो मान्यवर मैंने शुरू किया है ।

श्री अधिष्ठाता –

दो बजे तक का इसमें समय है इसलिए आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री कन्हैया लाल –

मैं सूचना विभाग में कहना चाहता हूं कि आपका सूचना विभाग जो है इसको अगर हरिजन विरोधी विभाग कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । आपके पूरे डायरेक्टोरेट में एक भी हरिजन अधिकारी नहीं है । इसका कारण हमारे डायरेक्टर साहब हों या दूसरे इस प्रकार के लोग रहे हैं । एक दूसरी बात और है कि आपके यहां अभी तक कोई सर्विस रूल्स नहीं बने हैं ।

मान्यवर, यह बड़ी बुरी परम्परा है और शासन के लिए शर्म की बात है कि इतना बड़ा विभाग जिस पर देश और प्रदेश का तमाम प्रचार निर्भर करता है उसमें सर्विस रूल तक नहीं है । मेरी जानकारी है कि बहुत से लोग वहां डाइरेक्टोरेट में चपरासी, फर्राश जो थे वह

आज इंफरमेशन आफिसर बने हुये हैं। देखने में आया है कि इन्होंने लोक सेवा आयोग को लिखा कि इतने आदमी छांट कर दें तो आयोग से उनकी सूची भेज दिया लेकिन इन्होंने उस सूची में से एक को भी नियुक्त नहीं किया और पुराने लोगों को 6-6 महीने का इक्सटेंशन दे रहे हैं जबकि केन्द्र सरकार की नीति है कि किसी को इक्सटेंशन, सेवा वृद्धि न की जाय। लेकिन दिल्ली में पब्लिक रिलेशन आफिसर को 6 महीने का इक्सटेंशन दिया और दूसरे मुख्य मंत्री के पी0 आर0 ओ0 को 6 महीने का इक्सटेंशन दिया जबकि यह नीति के विरुद्ध है। इसलिए जो यह भाई भतीजावाद की नीति अपनाई जा रही है उसको जबतक मंत्री जी ठीक नहीं करेंगे तो आप भी उसी श्रेणी में चले जायेंगे जिसमें डायरेक्टर साहब हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि चल चित्र निगम का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है और जनता को अच्छा मनोरंजन देना है। जो पुस्तक आपने दिया है उसमें लिखा है कि कुछ चल चित्रों को पट्टे पर देने के लिए हम तैयार हैं। कहां आपका मुनाफा न कमाने का उद्देश्य है और फिर पट्टे पर देने की बात कर रहे हैं, तो यह छोटी बात नहीं है, इससे चल चित्र निगम की और इनके विभाग की अक्रमण्यता साबित होती है कि वह मुनाफे में नहीं चला पा रहे हैं इसलिए पट्टे पर चलायेंगे जो इनको पैसा देगा और अपनी कमाई भी करेगा। इससे साफ है कि चल चित्रों में घपलेबाजी है। आपने यह भी बताया कि 1 मार्च से 15 मार्च तक चल चित्रों में चेकिंग किया जिससे 23 प्रतिशत मुनाफा बढ़ा। तो यह आपने 15 दिन की चेकिंग क्यों किया, साल भर की चेकिंग क्यों नहीं किया जिससे साल भर इतना मुनाफा बढ़ता और घाटे में आपके चल चित्र न जाते। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि जो बजट इनको दिया उसका इस्तेमाल करने में यह फेल हुए हैं और बजट को जनहित में इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इनको एक भी पैसा न दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता –

श्री काशी नाथ मिश्र आप केवल 3 मिनट बोलें।

*श्री काशी नाथ मिश्र –

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और इस आदरणीय सदन से यह कहना चाहूंगा कि यह सूचना विभाग निश्चित रूप से दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के दिमाग साफ होने चाहिए कि, यह बिल्कुल राजनैतिक विभाग की तरह है। जिस पक्ष की सरकार है उसकी नीतियों को उजागर करना और उनको जनसाधारण के बीच पहुंचाने का काम इस विभाग का है। और अन्य प्रदेशों में ऐसा होता है। जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योर्तिबसु की सरकार है तो वहां इस विभाग में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रखे गये हैं और उनकी जो नीति है, इस शर्त से रखे गये हैं कि 5 वर्ष तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी तो वह उसका प्रचार, उनकी योजनाओं का प्रचार करेगा। इस तरह से मैं प्रमोद कुमार जी से चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस की नीति है और जो उसके प्रोग्राम हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका वह अधिक से अधिक अपने विभाग के माध्यम से प्रचार करें ।

उन्होंने कहा है कि यह विभाग हरिजन विरोधी है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है । यदि कोई विभाग है तो वह सूचना विभाग है जो हरिजन और दरिद्रतम व्यक्ति के लिए है । हरिजन कल्याण सम्बन्धी जो कांग्रेस की नीति है, उसका जनता में प्रचार करना इसका काम है और वह यह काम बखूबी कर रहा है । समाचार पत्रों की जो आपकी पालिसी है, उसमें कैसी नीति होनी चाहिए । पूंजीपतियों और बड़े बड़े अखबार वालों की जो नीति है, उसमें आप सट रहे हैं, उसके समीप पहुंच रहे हैं जो नहीं होना चाहिए । नव-भारत टाईम्स और टाईम्स आफ इंडिया, यहां से लखनऊ से अभी हाल में प्रकाशित होना शुरु हुए हैं । उसको आपने विज्ञापन देने के लिए कहा है । जबकि आपने नियम बनाया है कि किसी ऐसे समाचार पत्र को 6 महीने तक सफलतापूर्वक प्रकाशित होने पर ही यह सरकारी विज्ञापन दिये जायेंगे । तो आपने इनके साथ अपनी उस नीति का पालन नहीं किया है। जबकि आपने नार्दन इंडिया पत्र के बारे में स्वयं कहा है और अपनी उस नीति को लागू किया है ।

टाईम्स आफ इंडिया और नवभारत टाईम्स जो दिल्ली की कम्पनी के अखबार हैं उसको आप लाखों रुपये के विज्ञापन दिये जा रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । छोटे छोटे अखबार जिनके माध्यम से हम अपनी बात जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे अखबारों की फौज शासन को अपने साथ खड़ी रखनी चाहिए, जो आपकी नीति को उजागर करते हैं । उन अखबारों को सरकारी मदद देने की बात हमारे समझ में नहीं आती है जो हमसे पैसा भी लें और हमारे खिलाफ निकालें । उनको कोई प्रचार सामग्री नहीं मिलनी चाहिए । तो आप इस संबंध में एक निश्चित पालिसी बना लें । जो आपका मौजूदा विभाग है जो पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करता है उसने जो दो किताबें प्रकाशित की हैं, उसके लिए मैं विभाग की तारीफ करता हूं । यह पुस्तकें हैं "उत्तर प्रदेश में गांधी जी" और "उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी" इन दोनों प्रकाशन के लिए इस विभाग की जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है । मोहनसिंह जी जैसे विद्वान जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो स्वतः ही वह इस विभाग की यहां पर प्रशंसा करेंगे । जहां विभाग में हरिजन अधिकारी रखने की बात है, उसके बारे में मुझे कहना है कि पिछली बार भी इस बारे में काफी कहा गया था और केवल राम के बारे में कहा गया था । लेकिन उसमें आजतक कुछ नहीं हुआ । ठाकुर प्रसाद जी को इसी सन्दर्भ में हटना पड़ा था, फिर भी वह नहीं हुआ है । पिछली बार सदन में इस बारे में आश्वासन दिया गया था । ऐसे जो भी अधिकारी हैं, चाहे वह हरिजन हों या अन्य कोई, उनका विभाग में ध्यान रखा जाए । जो आपके संगठन में हैं उनका पूरा ध्यान आप रखें और उनकी सूचना अधिकारी के पद पर रखें । हाउस में दोनों बार आश्वासन दिया गया है । सेहरा जी ने भी दिया था और हमने भी दिया था ।

सूचना विभाग ने फिल्म निर्माण के बारे में जो बात कही है कि प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने की उसकी नीति है तो एक अच्छी बात है । जब हमारे यहां के प्रतिभावान व्यक्ति बम्बई में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं तो यदि आप उनको यहां हर तरह की सुविधा

और प्रोत्साहन दें तो वह अवश्य ही यहां अच्छा काम कर सकते हैं। वह यहां पर नई बम्बई बसा दें तो यह बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के निर्जापुर क्षेत्र में यदि यह नया बम्बई नगर बसा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा, मिर्जापुर में तमाम प्राकृतिक सौन्दर्य बिखरा पड़ा है . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र–

आपका विभाग सबसे पहले अपनी फिल्म तैयार करें, जो आप पैसा देकर दूसरों से तैयार कराते हैं।

*श्री खैरूल बशर–

श्रीमन्, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जहां तक सूचना विभाग का सम्बन्ध है जनता तक पहुंचाने का यह साधन है और सरकार ने जो साधन बनाया है वह सक्षम नहीं है। सरकार का केवल इतना काम नहीं है कि अपनी तरफ से सूचना और प्रचार का माध्यम बनाए और चलचित्र बनाए। हमारे देश में आज जो फिल्म बन रही हैं, जैसे पेन्टर बाबू बनी है। इस तरह के अश्लील चित्र अगर दिखाये जायेंगे और इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा तो जो अपराध और असामाजिक तत्व आज बढ़ रहे हैं उनको आप रोक नहीं पायेंगे। ऐसे चित्रों की वजह से ही दिन पर दिन यह अपराध बढ़ रहे हैं। इनसे जनता का स्टैन्डर्ड गिर रहा है। एक चित्र मैंने ऐसे देखा जिसमें एक लड़की टेबिल पर बैठी है और उसकी साड़ी खुली हुई है। स्टूडियों में ऐसी फिल्मों को दिखाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यह किस घर की सभ्यता है? क्या यह हमारे मुख्य मंत्री या श्रीमती इन्दिरा गांधी के घर की सभ्यता है? (व्यवधान) और फिल्मों में इस प्रकार बहू बेटियों को नंगा करके दिखाया जायेगा तो हमारा नैतिक पतन होगा और उसका प्रभाव समाज पर बुरा होगा। यह हमारे घर की सभ्यता नहीं है, यह इस प्रदेश की जनता की सभ्यता नहीं है, यह तो बड़े-बड़े पूंजीपति लोगों की सभ्यता है जो पैसे से खरीद कर सिनेमाघरों में इन चीजों को देखते हैं और समाज को गन्दा करते हैं। यह हमारे देश की सभ्यता के खिलाफ है, यह तो हालीवुड की सभ्यता है, उपनिवेष की सभ्यता है, यह हमारे आचरण और हमारे मनोबल को गिराने वाली सभ्यता है। इस पर अंकुश लगाना चाहिये। आप अपने प्रचार के साधनों को जनवादी बनाइये।

मान्यवर, अभी माननीय मिश्रा जी ने बंगाल का उदाहरण दिया, बंगाल में, वहां की सरकार जानती है कि जनता क्या चाहती है, वह जनता की बातों को ही जनता तक पहुंचाती है और जनता की भाषा में। जनता को बढ़ावा देने के लिये, जनता की बातों को, आप इस सूचना विभाग के माध्यम से बढ़ाइये, आपका स्वागत होगा।

एक बात मैं उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं। दुनिया की कोई भी भाषा हो, हमें उसका स्वागत करना चाहिये। उर्दू हिन्दी की बहन है, दोनों एक दूसरे की बहिनें हैं। उर्दू से हिन्दी का हित होगा, अहित नहीं होगा, उससे हिन्दी को शक्ति मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

इस बजट के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। अगर हम पिछले 30 वर्ष पुराने बजट को देखें और आज के बजट से उसकी तुलना करें, तो हमें विदित होगा कि आज का बजट बहुत ही कम है। (व्यवधान) हर चीज की लागत 30 वर्षों में कई गुना अधिक बढ़ गयी है, जबकि यह बजट बहुत कम बढ़ा है। इस बजट को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 19 टी0 वी0 रिले सेन्टर्स अपने यहां प्रदेश में खोले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन 19 सेन्टर्स में गोंडा जनपद का भी नाम है? यदि वहां पर भी सेन्टर खोल दिया जाये, तो वहां पर भी टी0 वी0 का रिसेप्शन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके न होने से पिक्चर बहुत धुंधली दिखलायी देती है और रिसेप्शन अच्छा नहीं हो रहा है।

मान्यवर, गोंडा की स्थिति यह है उसको न तो पूर्व से जोड़ा जाता है और न पश्चिम से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि वह मध्य में पड़ता है। तो मेरा कहना है कि गोंडा टी0 वी0 रिले सेन्टर खोलने के लिये बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। मैं आभारी हूंगा यदि गोंडा में टी0 वी0 रिले सेन्टर खोलने की कृपा करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रचार के माध्यम हैं ग्राम सभा और गांव स्तर तक पहुंचने चाहिये क्योंकि हमारा प्रदेश ग्राम बाहुल्य प्रदेश है। यदि हमारी प्रचार व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंचती है तो जो हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारी नीतियां हमारे कार्य विकास की सूचना गांव तक पहुंचे उसमें कमी रह जायगी।

अभी माननीय मिश्र जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य शासन की नीतियों को इस विभाग के माध्यम से जनता में प्रचार करना है। तो इसका उद्देश्य यह भी होना चाहिये कि हमारे शासन के प्रति, हमारी नीतियों के कार्यान्वयन के प्रति जनता पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर क्या रियक्शन हो रहा है इसकी भी जानकारी हमें मिले जिससे कि हम इसमें और सुधार कर सकें। एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके कार्यकाल में, चूंकि यह प्रगतिशील व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी तूफानी गति से प्रगति किया है तो यह विभाग भी इनके अन्तर्गत कार्य करते हुए प्रगति करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कुबेर भंडारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको सूचना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जैसे आदमी जो लोकतंत्र और समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाले हैं जबसे मंत्री पद छोड़ा है तबसे उनको क्या हो गया है। मान्यवर, पहली पंक्ति में लिखा है कि सूचना विभाग लोकतांत्रिक ढांचे को मज़बूत करता है। लेकिन वह कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल का प्रचार

करता है। तो उनको क्या हो गया है। मान्यवर, जब देश में जनता पार्टी का शासन हुआ था तो जनता पार्टी ने रेडियो पर विरोधी दल के नेताओं को आमंत्रित किया था कि हमारा विरोध आप करें। इनकी सरकार के भूतपूर्व सूचना मंत्री माननीय काशीनाथ मिश्र कहते हैं कि केवल सरकारी साधनों का उपयोग करने के लिये सूचना विभाग है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश की प्रधान मंत्री महिला हैं। आज सारे देश में जो नग्न चित्र सिनेमाघरों में दिखाये जा रहे हैं उससे क्या असर हो रहा है। विधान सभा के गेट के सामने एक फिल्म लगी थी बलात्कार। तो इस तरह से नग्न चित्र दिखाये जा रहे हैं और सूचना मंत्री जी कहते हैं कि प्रगतिशील हैं। मान्यवर, जैसा कि खैरुल बशर साहब ने कहा कि यदि ऐसे चित्र दिखाये जायेंगे तो देश की संस्कृति को नष्ट किया जायगा तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो मैं कम से कम यह चाहता हूं कि जो नग्न चित्र दिखाये जा रहे हैं इन पर रोक लगायी जाय। मान्यवर, जहां तक बुद्धि की बात है तो आप जानते हैं कि हर जगह बुद्धि मिलती है। मंत्री जी हाईकोर्ट में रहा करते थे और वहीं वह 420 करते थे। आपकी समझ में आना चाहिये मान्यवर, यह तो विधान सभा है। अगर न समझ पायें तो मैं क्या कहूं। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि नग्न फिल्मों पर रोक लगायी जाय।

*श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सूचना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, सूचना विभाग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रसार का एक माध्यम है, जो जन साधारण तक सरकारी नीतियों को पहुंचाता है। यह प्रथा काफी समय से चल रही है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी बड़े योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं एवं प्रगतिशील हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वे खाली सरकारी नीतियों को ही नहीं जनता तक पहुंचायेंगे, बल्कि जनता की भी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का माध्यम इस विभाग को बनायेंगे। यह मेरी उनसे प्रार्थना है। इनकी जो सूचना विभाग की सबसे छोटी इकाई है, वह जनपद सूचना अधिकारी है, उनके यहां इतनी अव्यवस्था है, जैसे कहीं मोटर नहीं, कहीं जैनरेटर नहीं और कहीं उनको चलाने वाला आपरेटर नहीं है। अतः इन कमियों को दूर करके जिला सूचना कार्यालय और जिला सूचना अधिकारी को सक्षम बनाना चाहिए, जिससे वह सरकारी नीतियों का और विशेषकर बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार कर सकें। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो जिला सूचना कार्यालय और जो सूचना अधिकारी का उत्तरदायित्व है, उनका निर्वहन करने के लिए उनके पास संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से इनकी बातों की ओर विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपदों में विशेषतौर से जो प्रेस कांफ्रेंसेज होते हैं और वहां पर बहुत सी बातों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी प्रकाश डालते हैं, मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए और प्रेस कांफ्रेंसेज का एक स्तर होना चाहिए कि किस स्तर के लोगों को कांफ्रेंस करनी चाहिए यह नहीं कि जो चाहें बुलाये ले रहा है छोटे-छोटे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों द्वारा कांफ्रेंसेज जो आयोजित की जाती हैं, उससे स्तर गिरता है। इसका स्तर तय हो जाना चाहिए कि कौन लोग कांफ्रेंस बुलायें। इसके साथ-साथ जो जघन्य अपराध होते हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना प्रसारण में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों में, उनके सम्बन्ध में सूचनाएं छपने से फिर वे छिप जाते हैं, क्योंकि सूचनाओं के प्रसारण के कारण उन्हें जगह-जगह पर सूचना मिलती रहती है और वे उनसे लाभ उठाते हैं। पुलिस के अधिकारी अपनी वाह वाही लूटने के लिए ऐसे समाचार छपवाते हैं जिससे अपराधियों को लाभ मिलता है। तो मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि ऐसी रीति नीति अपनाई जाय कि जिससे उन सूचनाओं से अपराधियों को लाभ न मिल सके। प्रदेश में दो तरह के अखबार छपते हैं। एक बड़े और एक छोटे। जिलों में छोटे स्तर के अखबार निकल रहे हैं। देश के स्तर पर बड़े अखबार निकल रहे हैं और जनपद स्तर पर छोटे अखबार निकल रहे हैं। इसमें जो जनपद में विज्ञापन देने का तरीका है, वह अब तक ऐसा चला आ रहा है, जिससे छोटे अखबारों को असुविधा होती है। छोटे और बड़े अखबारों को समान रूप से विज्ञापन देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान चल-चित्र निगम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां-जहां पर ये चलचित्र गृह, छविगृह बनाये गये हैं, वे चल सकते हैं या नहीं, इनको व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिए। जहां पर वे चल सकते हैं, वहीं पर स्थापित किये जाने चाहिए। जो छविगृह इस समय चल रहे हैं उनमें सरकारी छविगृहों में भी वही हालत है और वहां पर भी पैसा वसूलने का काम होता है। उसमें भी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी के प्रयत्न से यह विदित है कि उनके द्वारा छविगृहों पर रेड किये गये हैं, कुछ छानबीन और निरीक्षण किये गये हैं, जिससे 20-25 प्रतिशत उसकी आय बढ़ गयी है। तो इसमें और प्रयत्न होना चाहिए और इस विभाग को ज्यादा उपयोगी बनाने की चेष्टा होनी चाहिए। यह मेरा उनसे नम्र निवेदन है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, सूचना विभाग के बारे में काशीनाथ मिश्र जी ने जो बात कही थी कि यह केवल सरकारी प्रचार का एक माध्यम होता है, मैं नम्रतापूर्वक इससे असहमत हूं। मेरे ख्याल से इस प्रदेश के अन्दर, जो कुछ सुन्दर हो, चाहे शासन करे या शासन से बाहर रहने वाले लोग करें, उसे उजागर होना चाहिए। शासन वाले इस आदरणीय सदन में गैर सरकारी सदस्य अगर कोई अच्छी चीज कहता है, तो कौन-सा हर्ज है, सूचना विभाग को उसे जनता को बताने में। बताना चाहिये क्योंकि प्रदेश की 12 करोड़ की जनता का यह हक है कि वह जाने कि प्रदेश की विधान सभा में क्या होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो काशीनाथ मिश्र जी ने बात कही है, उसके बारे में सरकार की नीति को मंत्री जी स्पष्ट करें। एक चीज के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब 'टाइम्स आफ इण्डिया' और 'नवभारत टाइम्स' यू0 पी0 के अन्दर आ रहे थे तो मैंने प्रश्न किया था और सरकार ने कहा था कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। अब वह आये और ऐसा आये कि सरकार को बन्धक बनाकर रख दिया। अगर यह मंत्रिमण्डल 'टाइम्स आफ इण्डिया' को पट्टे पर दे देते, तो इनसे अच्छा शासन वह चलाते। जितने विज्ञापन हैं, सब आपने उनको आते ही आते दे दिया। जो

छोटे अखबार हैं उनकी आप पुलिस और सी0 आई0 डी0 से 6 महीने जांच कराते हैं। बड़े लोगों के जो अखबार हैं उनको सरकार विज्ञापन देती रही है। तीन-तीन साल के जो पुराने पत्रकार हैं, उनकी आवास की समस्या हल नहीं हुई, लेकिन जो नये अखबार आये, उनको भवन का एलाटमेंट कर दिया।

पालेकर एवार्ड उत्तर प्रदेश में कितनों में लागू किया गया कितनों में नहीं किया गया। हमारे प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े मगरमच्छ के अखबार थे, उनके जो पुराने संवाददाता थे उनको हटा दिया सुन्दर लाल बहुगुणा 30 साल से बिड़ला के 'हिन्दुस्तान' में काम कर रहे थे। पालेकर एवार्ड लागू करने के पहले उनको हटा दिया। चलचित्र निगम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश गन्ना मजदूरों की दुर्दशा के बारे में 11 लाख की लागत से एक फिल्म बनाई गई, लेकिन वह फिल्म दिखायी नहीं जा रही है, क्योंकि वह गरीबों पर बनी है। मैं मांग करता हूं कि 11 लाख की इस फिल्म को दिखाया जाय। सूचना विभाग ने एक डाकूमेन्टरी फिल्म जांनसार बावर के बारे में बनायी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, 'आज का एम0 एल0 ए0' दिखाने के बजाय अगर उसको दिखाते तो हमारी तबियत प्रसन्न हो जाती।

श्रीमती महारानी दोहरे— मानवीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सूचना मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी हृदय से आभारी हूं। मानवीय मंत्री जी के बजट का मैं समर्थन करती हूं और मेरे भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मुझे बड़ा खेद है। मैं सूचना विभाग को प्रदेश के विकास के लिये, प्रदेश की प्रगति के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूं। एक तरफ जहां समाचार पत्रों का प्रश्न उठता है, जिससे हमारे शिक्षित लोग उसका लाभ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर चलचित्र निगम के द्वारा गांव, ब्लाक में हमारे जो ग्रामीण अशिक्षित महिलायें, बहनें, कृषक भाई हैं, वह भी सरकार की कार्यशैली, सरकार की योजनाओं, तथा प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति से उनको अवगत कराया जा रहा है। मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं, जो यह दोहरे विज्ञापन की समस्या 30 वर्षों से चली आ रही थी इस गुत्थी को इस बजट के माध्यम से सुलझाया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं।

मैं अपनी बात कहने के पहले माननीय मंत्री जी को एक-दो सुझाव देना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने पूर्ण रूप से प्रदेश के उत्थान और गांव की जनता तक अपनी योजनायें पहुंचाने के लिए, इस विभाग की कार्यशाला के लिए जो प्रगति के कार्य किए हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन चूंकि हम गांवों के क्षेत्रों से संबंधित हैं उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जो कस्बों और देहातों में काम किया जा रहा है उसमें मेरी जानकारी है कि आपके विभाग में स्टाफ कम है उसमें स्टाफ बढ़ाने की कृपा करें। जो चलचित्र भवन बनाये जाते हैं उसमें स्टाफ कम होने की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो समाज के उत्थान के लिए कार्य होने चाहिए उसमें व्यवधान हो रहा है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसके बजट को बढ़ाना चाहिए। सब चीजों को देखते हुए यह बजट कम है।

तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, कि नारी हूं और मां के स्तर की मैं भी हूं

कुछ ऐसी फिल्में देखने में आती हैं जिसमें महिलाओं के अश्लील चित्र अर्ध-नग्न चित्र जिसमें आजकल के नवयुवक और नवयुवतियां ऐसा करने में अपना गौरव समझते हैं दिखाये जाते हैं। बड़ी शर्म आती है जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ फिल्म देखते हैं और अश्लील गीत फिल्मों में दिखाये जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है। मैं चाहूंगी कि इस पर रोक लगाइए नहीं तो आगे चलकर हमारे समाज में क्या स्थिति आएगी कहा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों की बात आती है। समाचार पत्रों के लिए जो माननीय मंत्री जी ने सुविधा दी है। दो हजार किलोमीटर पर बस की सुविधा थी वह तीन हजार बढ़ा दी है तो समाचार पत्रों के बारे में कहना चाहूंगी कि समाचार पत्र निश्पक्ष होने चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का इतिहास देखें इससे पूर्व हमारे देश में बहुत से समाचार पत्र केसरी, अर्जुन आदि आए जिन्होंने देश भक्ति की भावना प्रकट की। इसके अलावा हमारे प्रदेश में बहुत सी कुरीतियां थीं जैसे बाल विवाह प्रथा आदि। इसमें श्री राजा राम मोहन राय और श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने इस प्रथा को हटाने की कोशिश की। आजकल समाज में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है तो जरूरी है कि इसको कन्ट्रोल किया जाए तथा समाज में नारी को और समाज में आने वाली संतानों को अपना दायित्व मिल सके ऐसी फिल्में बनाई जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी –

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं सरकार की नीति के बारे में कहना चाहूंगा किस प्रकार से उन्होंने इस विभाग को हथियार बना दिया है यह माननीय काशीनाथ मिश्र जी जो भूतपूर्व मंत्री हैं उनके भाषण से जाहिर हो गया है। जो चलचित्र निगम के मंत्री जी ने जिक्र किया इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है और जो इसका उद्देश्य था कि ऐसे क्षेत्रों में सिनेमाघरों का निर्माण कराने की सुविधा उपलब्ध करायें जहां सिनेमाघर नहीं हैं। लेकिन मान्यवर, कहीं भी, सारे पर्वतीय क्षेत्र में और दूरदराज के जो क्षेत्र हैं वहां इस तरह के छविगृहों का निर्माण नहीं किया गया। मान्यवर, इन्होंने हमारे देश में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौन्दर्य काफी सुन्दर है उस पर कोई ऐसी डाकुमेन्ट्री नहीं बनाई जिससे देश के लोग प्रदेश के लोग और विदेशी लोग जान सकें कि यहां ऐसे भी सुन्दर स्थान हैं ऐसे भी ऐतिहासिक स्थान हैं। . .

ऐसे प्रकृति के सौन्दर्य से भरपूर स्थान हैं। मान्यवर, जैसे चमोली में है। बद्रीनाथ के बारे में डाकूमेन्टरी बनी है। उसके आगे सतीपन्थ या स्वर्गारोहिणी जैसे बहुत सारे स्थान हैं, जिनकी किसी को जानकारी नहीं है। फूलों की घाटी के बारे में बनी है। लेकिन उसके आगे वेदनी, कुंआरी, पंवालीकोण आदि उससे भी सुन्दर स्थान हैं। इसके बारे में भी डाकूमेंटरी फिल्म बने।

लोक नृत्य के बारे में आपके विभाग ने कुछ नहीं किया है। पर्वतीय क्षेत्र में गोचर, बागेश्वर, माघमेला, उत्तरकाशी पर डाकूमेन्टरी बनायें। चमोली जनपद में नीति घाटी में भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा गमसाली में 15 अगस्त बड़े भव्य और सुन्दर ढंग से मनाया जाता है। सारे भारत में 15 अगस्त ऐसा कहीं नहीं मनाया जाता है। वे इसको होली दीवाली के समान उत्साह से मनाते हैं। सुन्दर

झांकियां निकलती हैं । इस पर भी डाकूमेंटरी बननी चाहिए । अभी नौटियाल जी ने बताया कि देहरादून के पास जौनसार बावर स्थान है, वहां की जो रीति-नीति है, जो वहां के अनुभव हैं, उनके बारे में डाकूमेंटरी बननी चाहिए । इससे लोगों को पता चलेगा कि वहां के क्या रस्म और रीति रिवाज हैं । इससे पर्यटकों में वृद्धि होगी और उनमें आकर्षण पैदा होगा और लोगों को जानकारी होगी । इसके बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जरूर ध्यान दें । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि टेलीविजन दिखाने के लिए सामूहिक व्यवस्था कर रहे हैं, तो मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश जनपद ऐसे हैं जो टेलीविजन की रेंज में आते ही नहीं । जब टेलीविजन की रेंज ही नहीं है तो दिखायेंगे कैसे । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र के इण्टीरियर को इस सुविधा से भी जोड़ा जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं उत्तर प्रदेश सरकार और अपने युवक मंत्री जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण और कारगर घोषणायें सदन में की हैं । जैसे कि आपने पत्रकार बन्धुओं के लिए यात्रा की सुविधा 2 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर तीन हजार किलोमीटर कर दी है । चल चित्रों द्वारा ब्लाक स्तर पर लोगों को दिखाने हेतु सिनेमागृह का निर्माण किया है । मान्यवर, निश्चित रूप से यह अपने प्रदेश को बहुत लाभ पहुंचायेगा। गांव में रहने वाले लोगों को ज्ञान होगा और जानकारी होगी और प्रदेश का विकास होगा। इसी प्रकार और भी कल्याणकारी और जनहितकारी योजनायें मंत्री जी ने बताई हैं । मान्यवर, जो इन्होंने घोषणा की कि फिल्म निर्माण को उद्योग मानेंगे, यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम प्रदेश के रीति रिवाजों और संस्कृति को जान सकेंगे । अभी साल डेढ़ साल पहले एक फिल्म बृजभूमि आयी थी । लखनऊ में भी प्रदर्शित की गयी । माननीय विधायकों ने भी देखा होगा । उससे महसूस किया कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह अवगत हो सकते हैं । इस फिल्म को देखकर जान सके कि बृज की परम्पराओं और रीति रिवाजों के बारे में। हम लोग जाने बृज के बारे में इसी प्रकार पूर्वान्चल और अवध के लोग भी जान सकें ।

किस तरह से बृज की दशा थी और किस तरह से बृज के लोगों का रहन-सहन था। इस तरह से आज हम अपने यहां, जो बाम्बे में हमारे अच्छे टेलेन्ट्स रह रहे हैं तथा प्रदेश के बाहर हमारे जो अच्छे टेलेन्ट्स रह रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में आमंत्रित कर रहे हैं कि वे लोग हमारे प्रदेश में आयें और अपनी कला का प्रदर्शन करें। ये सभी घोषणायें बहुत अच्छी हैं।

श्रीमन्, इस मौके पर मैं यह कहना जरूर उचित समझूंगा कि ऐसे अखबारों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो गलत समाचार देकर हमारे देश को कमजोर करते हैं और देश की अखण्डता को खत्म करते हैं। इसके कुछ ऐसे नार्म्स बनाये जाने चाहिए, जिन नार्म्स के तहत अखबार सही बैठें। छोटे और मध्यम स्तर के जो अखबार हैं, जो जिला स्तर के अखबार हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले व्यक्ति तक समाज की बात को पहुंचाते हैं, उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की तरफ ध्यान दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कन्हैया लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मेरे कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। साथ ही साथ मैं उनका आभारी हूं। अभी श्रीमती महारानी दोहरे ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया था और माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह स्वयं एक हरिजन हैं। मुझे दुख है कि....

श्रीमती महारानी दोहरे—

मान्यवर, मैंने इसलिए कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया, जहां शिक्षित लोगों की समाचार-पत्रों के जरिये से सरकार की नीतियों, उसूलों तथा प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर चल चित्र निगम द्वारा हमारे जो अशिक्षित लोग हैं तथा कृषक भाई हैं, उन्हें प्रदेश की स्थिति से जानकारी दी जाती है।

(समय 2 बजकर 5 मिनट)

श्री कन्हैया लाल—

आज चलचित्र निगम में कितने हरिजन लोगों को इम्पलायमेंट दिया गया है, इसे जरा आप देखें। क्लास वन में 7 पोस्टों में से एक पोस्ट दी गई है, क्लास तृतीय में 68 में से 4 पोस्टें हरिजनों को दी गई हैं। क्लास चतुर्थ में केवल 8 हरिजनों को पोस्टें दी गई हैं। इस प्रकार का रिप्रिजेन्टेशन हरिजनों का इस विभाग में है। आप चाहे कितनी ही तारीफ कर लें, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है।

श्रीमन्, 45 सिनेमागृह के प्रबंधकों में से ही हरिजनों को केवल 4 पोस्टें दी गई हैं, जबकि यह भी कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है। सहायक प्रबंधक एक भी नहीं है, बुकिंग क्लर्क 12 हैं और आपरेटर केवल 4 हैं। इस प्रकार इस विभाग में हरिजनों का इम्पलायमेन्ट है। आपके शुक्ला जी ने अपने कार्यालय से 2 हरिजनों को टरमिनेट कर दिया। उसमें से एक का नाम महाराजदीन है और दूसरा कोई कौल है। एक को तो प्रमोशन नहीं दिया गया और दूसरे को टरमिनेट कर दिया गया। आपकी यह हरिजन विरोधी नीति बिलकुल सही नहीं है।

श्रीमन्, हरिजन विरोधी नीति इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि दो फिल्में बनाने का सुझाव था इस विभाग द्वारा। इन फिल्मों के लिए 8-8 लाख रुपए मंजूर भी हो गए। पिछले साल माननीय श्री गुलाब सेहरा जी ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि एक हरिजन फिल्म तैयार होने जा रही है, परन्तु वह अभी तक नहीं बन पाई। अब आपने लिखा है कि किसी डाइरेक्टर को इसका कन्ट्रेक्ट दे दिया है और किसी कथाकार को इसका कंट्रेक्ट दे दिया है। इन सारी चीजों को आप देखें तभी श्रीमती दोहरे जी, आप मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करें। आप हमारी बात नहीं मानते हैं, तो अपनी श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात मानिए। उन्होंने टी0 वी0 के टैक्स को कम कर दिया है ताकि गांव-गांव में और शहर-शहर में प्रचार किया जा सके। उनकी बात भी आप नहीं मान रहे हैं। पहाड़ों पर टी0 वी0 टावर कहीं पर भी नहीं है। मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और एटा में टी0 वी0 टावर नहीं है। आप इसी के माध्यम से कुछ प्रचार करते ताकि इसे देखकर ही कुछ लोग आपके पक्ष में हो जाते, परन्तु इसे भी आप नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नाम मैंने गिनाये हैं, यहां टी0 वी0 का आप पहाड़ों में तथा जिन 4-5 जिलों का टावर लगवाने की व्यवस्था आप करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, इसी प्रकार रेडियो स्टेशनों के बारे में मैं कहना चाहता हूं । बड़ा पक्षपात आप करते हैं । नेता सदन को तो आप रेडियो स्टेशन पर बोलने के लिए 20 मिनट का समय देते हैं तो नेता विरोधी दल को भी उतना ही समय दिया जाता है, परन्तु शासक दल के लोग विरोधी दल के लोगों को रेडियो स्टेशन पर टाइम नहीं देते हैं । 10 साल पहले जब मैं विधान सभा का मेम्बर शासक दल की ओर से था तो मुझे रेडियो स्टेशन पर बोलने का टाइम दिया जाता था, किन्तु आज मैं विरोध दल से आया हूं, और 4 साल मुझे हो गए हैं, मुझे कोई टाइम नहीं दिया गया है । तो यह जो पक्षपातपूर्ण बात रेडियो स्टेशन पर हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें ।

श्री कन्हैया लाल–

टी0 वी0 टावर की बात कह रहा हूं, उसकी बाबत कहा गया था कि आगरा का सुझाव है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह वहां नहीं होना चाहिए, मथुरा में होना चाहिए । क्योंकि मथुरा में रेडियो स्टेशन भी है, मथुरा वृन्दावन रेडियो स्टेशन आप सुनते ही होंगे, तो वहां पर यह लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

समय नहीं है । जल्दी समाप्त करें ।

श्री कन्हैया लाल–

एक बात और कहना चाहूंगा । जो आपका डायरेक्ट्रेट है, सूचना डायरेक्ट्रेट है, इसमें कुछ ऐसा उपक्रम चला है कि अधिकारियों की तनख्वाहें रोक लेते हैं, उसमें अनावश्यक विलम्ब करते हैं । इसकी बाबत तीन अधिकारी तो मर गए बेचारे। जिनकी तनख्वाहें उन्होंने 11-11 महीने तक रोक रखी थी । उनका ट्रांसफर ऐसी जगह किया गया और वहां चार्ज भी नहीं दिया गया, उसकी बाबत कलेक्टर को भी नहीं कहा गया और न ट्रेजेरी आफिसर को वहां के उसकी बाबत सूचना दी गयी कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इससे बेचारे को तनख्वाह नहीं मिली, वह बीमार हुआ और मर गया, चार महीने केवल उसके रिटायरमेन्ट में थे, वह बेचारा तनख्वाह के अभाव में मर गया । दूसरा अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी था, उसको डिमोरलाइज किया गया, हतोत्साहित किया गया, उसको तंग किया गया। यह सब आपके इसी डायरेक्ट्रेट की बातें हैं, कोई मिलीभगत है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यों का .....।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है। मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश पत्रिका प्रकाशित होती है सूचना विभाग के द्वारा, यह इस विभाग की सबसे बड़ी देन है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भाषण न करें । सवाल करें ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

कहना यह है कि इस पत्रिका का क्या उद्देश्य है ? मैं समझता हूं कि इस पत्रिका पर जो परिव्यय होता है, इसमें जो लेख आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । माननीय मंत्री जी आपका आशय समझ गए होंगे । अभी उनका भाषण हो रहा है । आप लोग इस तरह से बीच में सवाल न करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी, मान्यवर, मैं आभारी हूं दोनों पक्षों के सदस्यों का जिन्होंने

अपने विचार प्रकट किए । कुछ शंकायें कुछ बिन्दु उठाये गये हैं । मान्यवर, समय कम होने के कारण मैं सबका जबाब नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो सुझाव हैं, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैंने उन्हें बहुत गम्भीरता से नोट किया है।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का संवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई ऐसी नई चीज नहीं है, जिस पर व्यवस्था की बात आ गयी हो । आप बैठें ।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, दो बातें कहीं गयी हैं । मान्यवर, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे हैं। आप बैठें । कोई नई बात नहीं पैदा हुई है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

आप स्पष्टीकरण के रूप में कोई बात पूछ सकते हैं । लेकिन अभी भाषण हो रहा है, उसके बाद आप स्पष्टीकरण के रूप में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं । अभी बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, उनको मैंने गम्भीरता से नोट कर लिया है । जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन पर विभाग, अपने सीमित साधनों के होते हुए भी कार्यवाही करेगा । एक मसला मान्यवर, इधर के सदस्यों ने तथा उधर के सदस्यों ने भी उठाया, जो हरिजनों का आरक्षण पूरा न होने के संबंध में था । मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं इसको दिखवाऊंगा । इसके रास्ते में जो दिक्कतें हैं, वह दूर की जायेंगी और हरिजनों के लिए आरक्षित स्थान, उन्हीं के द्वारा, भरे जायेंगे । ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं । एक बात मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने विज्ञापन के संबंध में कही है ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार समय बर्बाद हो रहा है बाद में आप पूछियेगा, अभी आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

ज्यादातर मा0 सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है, वह मान्यता के संबंध में है कि इसमें भेदभाव बरता जा रहा है। विज्ञापन में जो भेदभाव था, शासन ने उसे स्वयं ही महसूस किया। छोटे पत्र और मध्यम वर्ग के पत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं, दोहरी मान्यता को समाप्त कर रहे हैं। भेदभाव इस नई नीति के कारण स्वतः समाप्त हो जायगा। आप लोगों ने कहा है विज्ञापन सीधे दिये जायं, तो शासन के पहले से ही निदेश हैं कि सीधे दिये जांय। कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत कम समय में देना होता है तभी एजेन्सियों का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रकरण बतायेंगे, तो जानकारी प्राप्त करूंगा। विज्ञापन में कोई भेदभाव न हो, इसीलिये नीति लायी गयी है, आप प्रतीक्षा करें, इसको लागू होने दें, इसके बाद यह सब कुछ स्वतः समाप्त हो जायगा। सजावटी विज्ञापन की बात कही गयी, तो सजावटी विज्ञापन तो केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ही दिये जाते हैं। इसमें भेदभाव नहीं होगा, इसका माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

सूचना विभाग शासन की ही नीतियों की प्रशंसा करता है, ऐसा कहा गया। इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारी निरीक्षा शाखा है, जिसमें जनता अपनी बात समाचार-पत्रों के माध्यम से उठाती है, तो निरीक्षा शाखा कार्य कर रही है।

सिनेमा गृहों को पट्टे पर देने पर आपत्ति उठायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि हमनें यह कभी नहीं कहा कि जो छविगृह हम बनायेंगे, उन्हें हम ही चलायेंगे। हमारा उद्देश्य है कि वहां पर छविगृह होना चाहिये, जहां नहीं है। जब नियमावली इस सम्बन्ध में बनायी गयी थी, उसमें ही यह प्राविधान था कि आवश्यकता समझेंगे तो पट्टे पर चलायेंगे, हो सकता है कि बेच भी दें। हमारे साधन सीमित हैं, अगर पैसा फंसता चला जायगा तो ब्लाक हो जायगा। इसीलिये यह नीति बनायी गयी थी। मा0 कुबेर भण्डारी जी ने अपने भण्डार में से ऐसा हीरा निकाला है, जिसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी फिल्में बनायी जाती हैं, जिसमें सेंसर की कमी है। सेंसर का मतलब प्रदेश सरकार से नहीं है, इसका मतलब केन्द्र सरकार से है। आगामी जीवन में यदि वे संसद सदस्य हो जांय तो अपनी बात केन्द्र सरकार के सामने रखें।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्टीकरण आप तभी दे सकते हैं जब माननीय मंत्री जी बैठ जांय। वे खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं आप बैठे।

श्री प्रमोद कुमार–

राज्य सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को लिखेगी, विश्वास दिलाता हूं। माननीय उपाध्याय जी ने बात कही गोण्डा के संबंध में। टी0 वी0 रिले सेण्टर दिल्ली में है, लेकिन जो दो पड़ौसी जिलों में बन रहा है, उससे गोण्डा उस मैप में आ जायगा। श्रीमती महारानी दोहरे ने भी कहा था कि अश्लील फिल्मों पर रोक लगायी जाय और समाचार पत्रों के विज्ञापन में भेदभाव न बरता जाय। विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही किया जायगा।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, कुछ प्रतापगढ़ के बारे में...

श्री अधिष्ठाता–

अब समय नहीं रहा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं वरिष्ठ सदस्य श्री लाल प्रताप सिंह जी के जिले के बारे में पूरा ध्यान रखूंगा। एक दूसरे सदस्य जो बहुत वरिष्ठ हैं श्री काशीनाथ मिश्र जी ने एक सुझाव दिया जिसके बारे में मुझे अफसोस है कि पूर्ण नहीं कर सकूंगा क्योंकि केवलराम नामक आदमी को जिला सूचना अधिकारी के रूप में आफिसियेट करवाया गया था परन्तु वह लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। दूसरी बात मान्यवर, हमारे पास माननीय सदस्यों के सुझाव तो बहुत हैं लेकिन समय कम होने के कारण मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। वैसे मैंने हर एक के सुझाव नोट कर लिये हैं और प्रयास करूंगा कि इन्हें लागू करूं। दूसरी बात अभी इसी 26 जनवरी को एक झांकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी थी, जिसे संपूर्ण देश ने संपूर्ण राष्ट्र में पसन्द किया गया है और उसे गोल्ड मेडिल का यश भी प्राप्त हुआ है, जिससे मैं सूचना सचिव, सूचना निदेशक व अन्य लोगों का जिनका भी इस ओर सहयोग रहा है, उनके प्रति आभारी हूं। साथ ही मा0 सदस्य कन्हैया लाल जी से अनुरोध करूंगा जैसाकि उन्होंने स्वयं कहा कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो उन सारे सुधार को करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूं, इसलिए वह कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, कोरम नहीं है, जब नान आफिशियल प्रस्ताव आता है तो कोरम की आवश्यकता है, इसलिए कोरम का होना बहुत जरूरी है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

(श्री कन्हैया लाल से क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल—

नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,13,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,98,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, साढ़े तीन बजे तक यह ग्रान्ट पास करनी है इसलिये आप कम से कम समय लें तो अच्छा हो।

श्री राम नरेश शुक्ल—

अधिष्ठाता महोदय, न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के साथ ही साथ यह आवश्यक होता है कि कम समय में और कम खर्च में नागरिकों को न्याय मिल सके। स्वतंत्र न्याय का जहां तक सम्बन्ध है, यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि चाहे अपने प्रदेश की बात हो या देश की न्यायपालिका हो, आज पूरे देश की न्यायपालिकायें पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष, किसी भी तरह से चाहे वह विरोधी पक्ष हो या चाहे शासन पक्ष हो, न्याय के मामले में कहीं से भी मदाखलत नहीं की जाती है।

सस्ते न्याय के सम्बन्ध में हमने विकेन्द्रीकरण की नीति को स्वीकार किया है यानी कि न्याय करने के लिये जनता के नजदीक न्याय करने वालों को हम भेजते हैं एसी व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में 38 जिलों में और 45 तहसीलों के मुख्यालयों में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित कर दिये गये हैं। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 7 नई तहसीलों में मुन्सिफ

के न्यायालय स्थापित किये गये हैं। यह इस वर्ष हो गये हैं। 43 जगहों पर न्यायालय के भवन निर्माणाधीन हैं। जब इनका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तब मुन्सिफों के न्यायालय यहां स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ ही साथ 15 अतिरिक्त मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। सस्ते न्याय के साथ ही साथ निर्धन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, उसको भी न्याय देने के लिये व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत जिसकी आय (वार्षिक) 5,000 रुपये तक की है उसको निःशुल्क न्याय देने की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में गत वर्ष प्रदेश में 53 शिविर लगाये गये और उसके जरिये से 20,680 मामलों का निस्तारण स्थल पर ही किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से मामलों में विधिक परामर्श भी दिया गया जिसके फलस्वरूप 28,049 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इन सब कार्यों का निस्तारण भाईचारे के वातावरण में हुआ।

इस विभाग की और भी अनेक उपलब्धियां हैं जिसको मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

पर्वतीय क्षेत्र में जितने तहसील मुख्यालय हैं, वहां पर मुन्सिफ न्यायाधीशों के बैठने के स्थान घोषित कर दिए गये हैं और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों को एक स्टाफ कार दे दी गयी है ताकि वह तहसील मुख्यालयों पर जाकर न्याय कर सकें। मान्यवर मैदानी क्षेत्र में, जिला जजों को 150 रुपया प्रति माह वाहन भत्ता 1 जनवरी, 1984 से प्रदान किया गया है। मान्यवर, एक मांग बहुत दिनों से की जा रही थी कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको ड्रेस और रोब प्रदान की जाये। इस पर शासन ने निर्णय लिया है और इसके लिए 75 रुपये प्रति माह विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता एक जनवरी, 1984 से देने की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लोग तहसील मुख्यालय पर जाना नहीं पसन्द करते हैं, और वहां पर रहना नहीं चाहते हैं, इसके लिए तहसील पर नियुक्त मजिस्ट्रेटों को 75 रुपया प्रति माह की दर से विशेष वेतन 1 जनवरी, 1984 से स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में वरिष्ठतम् अपर जिला जज, सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुख्य महानगरी मजिस्ट्रेट कानपुर के आवासों पर टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, शासन इस बात से चिंतित है कि मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। इस पर शासन ने विचार किया है और एक संयुक्त निबन्धक (वर्गीकरण) का एक नया पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सृजित किया गया है, वह एक तरह के मुकदमों को छांटेगा और उनका वर्गीकरण करेगा और सारे मुकदमों को एक ही न्यायाधीश के पास भेज देगा। एक ही बिन्दु और एक ही प्रकार के मुकदमे जो होते हैं उनका वर्गीकरण किया जायेगा, जिससे एक ही प्रकार के मुकदमें बार-बार निर्णीत होने के लिए न जायें। होता यह है कि एक ही प्वाइन्ट के 100 मुकदमे 100 बार हियरिंग के लिए जाते हैं। इसलिए एक नया पद संयुक्त निबन्धक का बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही करने हेतु 50 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है ताकि मुकदमों का

शीघ्र निस्तारण किया जा सके और डकैती उन्मूलन के अन्तर्गत, डकैती से प्रभावित जिलों के लिए 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है। आबादी की वृद्धि के कारण मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। जनता में जागृति आयी है, नागरिकों को अपने अधिकार की जानकारी हुई है, इससे मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अधिष्ठाता महोदय, शासन एक बात से बहुत चिंतित है और मैं विशेष रूप से बहुत दुखी हूं कि आज कल आये दिन हमको और आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि न्यायालयों में हड़ताल और नारे बाजी होती है, कहीं अधिवक्ता हड़ताल करते हैं और कहीं पीठासीन अधिकारी हड़ताल करते हैं और कहीं कर्मचारी करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको भी सहयोग करना होगा जिससे जो न्याय मन्दिर हैं वहां पर इस तरह की चीजे न हों, छोटी-छोटी बातों पर इस तरह की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, उनको आपस में बैठकर और विचार विमर्श करके तय करना चाहिए। इस बारे में शासन मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर रहा है कि कैसे इस स्थिति को समाप्त किया जा सकता है कि न्याय-मंदिर वास्तव में न्याय मंदिर बन जाये, जिससे जनता को निष्पक्ष भाव से न्याय मिल सके।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

तब तो राम राज्य हो जायेगा।

[समय 2 बजकर 35 मिनट]

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—28 निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या—29 न्याय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का सूक्ष्म बजट भाषण बड़े गौर से सुना। उन्होंने जो बजट भाषण दिया उसमें उन्होंने लगभग वही बातें कहीं जो पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में कहीं थीं। मान्यवर, आजकल जुडीशियरी के सामने एक गम्भीर संकट है और उसी के बारे में मैं पहले दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे संविधान के अन्तर्गत हमारी न्याय-पालिका और विधायिका व कार्यपालिका की वेल-डिफाइन्ड पोजीशन है। उसकी स्थिति सुस्पष्ट है। लेकिन समय-समय पर उग्रवादी लोग, उग्रवादी तबके के लोग यह कह रहे हैं कि जन साधारण को न्याय देने के लिये संविधान को बदलना होगा और न्याय की पद्धति को बदलना होगा। इस तरह के विचार हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी दिये। मान्यवर, उग्रवादी विचार कभी-कभी उन्होंने भी व्यक्त किये हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन विचारों को उन्होंने तब व्यक्त किया है जब प्रधान मंत्री की कुर्सी को खतरा पैदा हुआ था। सबको मालूम है कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट उनके बारे में हुआ था तो उन्होंने यह कहा था कि न्यायपालिका को बदलना चाहिए।

इसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के बारे में न्यायपालिका और संविधान की धज्जियां उड़ायी गयी। उनके लिये एक स्पेशल कोर्ट मुकर्रर किया गया लेकिन जस्टिस शोले ने अंतुले के ऊपर चलाये गये इस मुकदमे

को नाफिस कर दिया और यह कहा कि उनके ऊपर मुकदमा और जांच तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि इस तरह का कोई प्रस्ताव वहां की विधान सभा के पास न हो । जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ललकारा और यह कहा कि यह बड़े दुख की बात है जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था उसका निस्तारण पहले होना चाहिए था । मान्यवर, इस तरह से सत्ता पक्ष के लोग न्याय पालिका पर बराबर आक्रमण करते रहते हैं । चाहे श्रीपति मिश्र की सरकार हो, जगन्नाथ मिश्र की सरकार हो । आपको एन0 टी0 आर0 का उदाहरण लेना चाहिए उन्होंने अपने मंत्री को ट्रेप करके उनको अपने पद से हटा दिया । लाक हीट कांड में जापान के प्रधान मंत्री को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी और एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी किया था। लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि न्याय पालिका को बदल दिया जाय या संविधान में तबदीली कर दी जाय । इतना ही नहीं केवल न्यायपालिका और संविधान के ऊपर ही खाली अटैक नहीं हुआ न्यायमूर्तियों के ऊपर भी अटैक हुआ है, उनको सुपरसीड भी किया गया और स्थानान्तरण भी उनका किया गया । इस तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर और प्रदेश के अन्दर न्याय पालिका संकट में है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस चीज को यहां न रोका गया तो प्रजातंत्र का यहां पर खात्मा हो जायेगा और भविष्य में इतिहासकार जब इसका विश्लेषण करेंगे तो इस देश की सरकार को, इंदिरा गांधी को दोषपूर्ण ठहराया जायेगा ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आम जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी भूल गये दिल्ली में 6 मार्च को 49 देशों के अपीलेट जजों की कान्फरेंस हुई थी जिसमें 26 राष्ट्रकुल देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुये थे ।

उस कानफरेंस का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने कहा था दि प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज नोव्हायेर टू हियर दि सोशल जस्टिस, वी एम फार इन दि कान्सटीट्यूशन प्रधान मंत्री ने विदेशी जजों के सम्मुख कहा था कि हम गरीबों को न्याय देने के मामले में अभी कोसों दूर हैं न्याय देना अलग रहा । आगे उन्होंने फिर कहा है –

शी काल्ड फार ए जुडीशियल रिफार्म मूवमेंट इन दि कन्ट्री एंज दि इझिस्टिंग लीगल प्रोसेज सीम टु फेवर दि हैव्स उन्होंने यह तस्लीम किया कि गरीबों को न्याय देने में हम कोसों दूर हैं उसके साथ ही हमारी न्याय प्रणाली जो है उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को न्याय मिल पाता है जो सुविधा संपन्न हैं जो हैब्स हैं उन तक ही न्याय पहुंचता है हैब्स-नाट तक नहीं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनता तक न्याय पहुंचाने के लिए विकेन्द्रीकरण करेंगे लेकिन 45 तहसीलों में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट सिर्फ नियुक्त किये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 37-38 साल के बाद भी प्रदेश के 242 तहसीलों में केवल 45 तहसीलों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पाये हैं । पिछले दिनों जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चला जो महीनों चलता रहा और जब आंदोलन उग्ररूप धारण करने लगा और मांग होने लगी या तो प्रदेश को बांटो या हमें उच्च न्यायालय की बेंच दो तो उसके लिए एक कमीशन बैठा दिया

गया और कह दिया कि जो कमीशन की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर हाईकोर्ट की बैंच होगी और अगर बैंच नहीं देने की बात होगी तो वह भी कमीशन तय करेगा और स्थान के लिए भी वही तय करेगा लेकिन आज तक उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

मैं उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी जहां विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं और जनता को सस्ता न्याय सुलभ करने की बात कर रहे हैं वहीं उच्च न्यायालय की बैंच की घोषणा पश्चिमी जिलों के लिए करेंगे । लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी यह न समझें वह आंदोलन समाप्त हो गया है । आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता शनिवार को हड़ताल रखते हैं वह आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर हाईकोर्ट की बैंच देने की बात मान नहीं ली जाती ।

माननीय मंत्री जी ने गरीबों को बात की न्याय दिलाने के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं जो हरिजनों को भूमि के पट्टे दिये गये उसमें उनको कब्जा दिलाने के लिये जमींदारी विनाश एक्ट की धारा 198(1) में एमेंडमेंट हुआ कि जो जमीन का कब्जा नहीं देगा उसको 3 साल की सजा और फाइन किया जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन को हुए कितने वर्ष हो गये लेकिन आज तक एक भी आदमी को कानून के तहत बंद नहीं किया है । मेरी सूचना है कि सारे प्रदेश में एक भी हरिजन को पट्टे की भूमि में कब्जा नहीं मिला है लेकिन इस धारा के अनुसार किसी भी आदमी को आपने बंद नहीं किया । आप गरीबों को न्याय देने की बात करते हैं और उसके लिए कानून में संशोधन भी हुआ लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ । इसलिए गरीबों को न्याय देने की बात खोखली है । इसी तरह आवासीय भूमि देने के लिए नियम 115 जमींदारी एबोलीशन एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। शहरों में या दूसरी जगह हरिजनों को आवासीय सुविधा देने की बात आप करते हैं आज तक किसी भी गरीब हरिजन को आवासीय भूमि का कब्जा नहीं मिला है।

जिस तरह से आज माननीय मुख्य मंत्री जी के लड़के ने हरिजन की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन वह हरिजन न्यायालय में जाकर कब्जा नहीं ले सकता है । तो जब तक जमींदारी एबोलीशन एक्ट में एमेंडमेंट नहीं होगा तब तक कब्जा नहीं मिलेगा। यह जो संशोधन आपने किया है यह अधूरा पड़ा हुआ है इसलिए इसमें संशोधन किया जाय । आवासीय भूमि पर भी कब्जा न देने वालों को 3 साल की सजा या फाइन करने का प्राविधान होना चाहिए ।

पिछले वर्ष के इस विभाग के बजट में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारी केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है कोर्टफीस समाप्त करने के लिए उसे समाप्त करने की बात तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि इसे रेशनलाइज अवश्य किया जायेगा । और हमारे ला मिनिस्टरों की दिल्ली में कांफ्रेन्स होने वाली है लेकिन एक साल बीत गया और आपका भाषण ज्यों का त्यों रखा है । गरीबों के साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म होते जा रहे हैं और अदालतों में कोर्ट फीस के नाम पर न्याय मंहगा है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि कोर्ट फीस को आप समाप्त करें, जैसा कि भाषण में कहा था या कोर्ट फीस को रेशनलाइज करें ।

मान्यवर, गरीबों को सस्ता न्याय देने की बात मंत्री जी ने कही है लेकिन मेरा मन कहता है कि हिन्दुस्तान में गरीब आदमी सबसे ज्यादा है और वह मेहनती

हैं जिसका फल उनको नहीं मिलता है जिससे वह अपनी मेहनत के लिए न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जाता है किन्तु न्यायालय के दरवाजे उसको बंद मिलते हैं चूंकि न्याय मंहगा है। आपने जो न्यायिक सेल कायम किया है तो वह कहीं काम नहीं कर रही है और वह गरीबों के साथ आप धोखा देने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, पेंडिंग केसेज के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। हमारे प्रदेश के अन्दर हाई कोर्ट में कम से कम 2 लाख केसेज पेंडिंग हैं और 1/5 केसेज की संख्या ऐसी है जो 15 साल के ऊपर के हैं और इसी प्रकार से 8 लाख के ऊपर केसेज जिला न्यायालयों में पेंडिंग हैं जिनके निस्तारण के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में 20 हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति होना है लेकिन उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मालूम हुआ है कि उसके अन्दर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रखने की कोशिश की जा रही है और सुल्तानपुर के वह लोग हैं। जो मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं 10 साल से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं प्रैक्टिस नहीं चलती है उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जायगा तो सुल्तानपुर के एक व्यक्ति ने अपना नाम इस हेतु लिस्ट में रखवा लिया है। यह अफसोसजनक बात है।

मान्यवर, न्याय प्रक्रिया में विलम्ब और लम्बित केसेज के बारे में 2-3 कारण होते हैं। एक तो जजेज की कमी, दूसरे हमारा ला डिफेक्टिव है जिसमें सुधार की आवश्यकता है और तीसरी चीज प्रोसीजर डिफेक्टिव है। यदि प्रोसीजर को सुधारा जाय तो बहुत से वाद न्यायालय में नहीं आयेंगे। मान्यवर, एक प्रोपोजल हमारी सरकार और केन्द्र की सरकार के विचाराधीन है कि कांस्टीट्यूशनल इश्यूज के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में अलग अलग व्यवस्था हो जाय तो आम जनता के वादों को निपटाने में हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट अपना समय लगायेंगे।

श्री अधिष्ठाता –

अब आप समाप्त करें। श्री राम कुमार भार्गव। आप तीन मिनट में बोलें।

श्री राम कुमार भार्गव–

अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद कि इस बजट पर बोलने का मुझको मौका दिया। मान्यवर, मैं न्याय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से न्याय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक मुंसिफ न्यायालय हमारे यहां खोला है हालांकि उसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मान्यवर, समय कम है, इसलिए मैं केवल दो पहलुओं पर वकील होने के नाते कहना चाहूंगा-एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरा कानूनी जिसमें अक्सर मांग की है कि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के बारे में कहना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष से यहां पर उच्च न्यायालय में 19 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं जिससे 3 वर्ष का कार्य पिछड़ गया है, 1982 में दो जजों की नियुक्तियां फौजदारी में हुई, इलाहाबाद और लखनऊ में वह बैठे। सिंगिल अपीलें 8 महीने में आ जाती हैं और अब हालत है कि पिछले 3-4 वर्षों की अपीलें 1984 में आ रही हैं। मान लीजिए किसी को पांच साल की सजा हो गई तो 2/3 वर्ष तो उसके इसी में लग जाते हैं। कानून के बारे में जो यहां पर मांग होती रही है, आज कानून की यह परिस्थिति हो गई है कि बड़े लोगों के लिए यह एक सुविधा की चीज हो गयी है और छोटे लोगों को

उससे दिक्कत होती है, जिसके पास पैसा नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि वक्त के साथ कानून में परिवर्तन होना चाहिए। आपका जो दहेज विरोधी अधिनियम है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। यह आज का एक गर्म विषय है। केवल 6 महीने की सजा का इसमें प्राविधान है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसको कठोर बनाया जाना चाहिए।

बालात्कार के मामले में आपने जो कानून और प्रक्रिया रखी है, उसमें दो-तीन प्रतिशत लोगों को ही सजा होती है और जिनकी सजा होती है उसमें से 90 प्रतिशत लोगों को मुश्किल से 2/3 साल की ही सजा होती है। उसमें जब उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान है, तो आप उसमें मिनिमम 6-7 साल की सजा का प्राविधान जरूर कीजिए।

यह जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट है, उससे आज हर आदमी प्रभावित हो रहा है। मकान रहते हुए भी आज लोग किरायेदारों को मकान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। आपके कानून में है 6 माह की अवधि में इसका फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन आज अधिकांश मामले दसों-बीसों वर्ष चलते रहते हैं और दोनों पक्ष उसमें परेशानी में फंसे पड़े रहते हैं। यहां अमीनाबाद में हमारे घर के पास, पड़ोस में पाहवा साहब एक प्रत्रकार हैं, उनका भी रेन्ट कन्ट्रोल का केस बहुत लम्बे समय तक चलता रहा और 5 साल से लड़ा गया और अब जाकर हाई कोर्ट से उन्होंने जीता है। तो इस वक्त इस कानून से अविश्वास की जो दीवार खड़ी हो गयी है, उसको दूर किया जाना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि अविश्वास की बनी यह दीवार दूर हो जाए और इतना लम्बा समय इसमें नहीं लगना चाहिए।

लोकसेवा अधिकरण के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह नौकरी पेशा लोगों के लिए है। इसमें पांच ट्रिब्युनल हैं, लेकिन इस समय इसमें केवल एक ट्रिब्युनल काम कर रहा है। 1979 की अपीलें आज 84 तक यह पूरी नहीं कर पाया है। वहां पर जो आई0ए0एस0 अधिकारी मौजूद हैं, वह यह समझता है कि हमको यहां सजा के रूप में पोस्ट कर दिया गया है। जुडिशियल अफसर और आई0ए0एस0 अफसर के बीच में वहां तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिससे काम में बाधा पड़ती है और इसी के चलते हजारों मामले बहुत दिनों से वहां पेंडिंग पड़े हैं। इसलिए अपने इन सुझावों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इन सुझावों को स्वीकार कर लेंगे।

श्री फखरे आलम–

न्याय मंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार किया है, जो मैं पिछले 3 साल से बराबर कहता आ रहा था कि जजों को वेहिकिल दी जाए और उनको स्पेशल एलाउन्स दिया जाए। मैं तो समझता था कि आपने हमारी बात सुनी अनसुनी कर दी लेकिन आपने हमारी बात को माना। लेकिन हमारे बहुत से सुझाव हैं जिनको आपने नहीं माना। तो मैं पुनः उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री जी जनता को सही और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है कि न्याय पालिका मजबूत हो, हमारे जजों में इस बात का कान्फिडेंश हो कि वह मजबूती के साथ कोई काम कर सकते हैं और अगर वह किसी मुकदमे का फैसला करेंगे तो उसे माना जाएगा और उसका सही तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन बहुत से

मामलों में ऐसा हुआ है कि जूडिशियरी का एक फैसला हुआ, लेकिन एक्जीक्यूटिव के फैसले से उसको नल एण्ड वायड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप न सिर्फ नाइंसाफी करेंगे, बल्कि कान्टेम्प्ट आफ कोर्ट भी हो रहा है। जो कानून के बनाने वाले और उसके रखवाले हैं, यदि उनकी तरफ से ऐसा होने लगे तो वही छिनरे, वही डोली के संगे वाली कहावत होती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 21 वैकेन्सीज हैं जो पिछले कई सालों से भरी नहीं गयी हैं। उनके एप्वाइन्टमेंट के लिये स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिकमन्डेशन भेजती है, पर चूंकि सेन्टर की मर्जी के अनुसार लोग नहीं होते, जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। आप अपनी मर्जी के लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, जो इस काबिल नहीं हैं कि हाई कोर्ट के जज बन सकें, उनको आप बनाना चाहते हैं, इसलिये यह पोस्ट भरी नहीं जा पा रही है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, आपने ऐसे-ऐसे लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाया, जो जिला जज के योग्य भी नहीं हैं। इसके कारण आज हालत यह हो गयी है कि इंसाफ को सड़कों पर रौंदा जा रहा है। अगर यही हालत रही तो भविष्य में इन्साफ नाम की कोई चीज रह ही नहीं जायेगी। जो वैकेन्सीज हैं यह भी भरी नहीं जा सकेगी।

आपने सरकारी वकीलों को भी पालिटिकलाइज्ड कर दिया है। माननीय न्याय मंत्री जी ने जब इस पद को ग्रहण किया, इनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि यह न्याय करेंगे, मगर हमने देखा कि जब भी सरकारी वकीलों की नियुक्ति का मामला आया, आपने सबसे पहले यह सवाल किया कि यह किस पार्टी का आदमी है। क्या आप उससे अपनी पार्टी के आदमियों का मुकदमा करवायेंगे? क्या वह जो अपनी राय देगा वह आपकी पार्टी के आदमी के लिये दूसरी देगा और अन्य किसी व्यक्ति के लिये दूसरी देगा। मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने तरीके बदलने होंगे। मैं भी वकील हूं और माननीय मंत्री जी भी वकील हैं, इसलिये ऐसी बात कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मंत्री होता तो शायद मैं यह न कहता।

अब मैं एक सुझाव डेट रिलीफ एक्ट के बारे में और एक सुझाव अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट के बारे में देना चाहता हूं। डेट रिलीफ एक्ट में रूरल एरिया में रहने वालों के लिये जो कन्डीशन्स और सुविधायें हासिल हैं, वह अर्बन एरिया में रहने वालों के लिये नहीं हैं। दोनों में अन्तर है। आप इस अन्तर को, जो उसमें दोनों में है, उसे खत्म करके, एक सा उसे कर दीजिये। मार्जिनल फार्मर तथा स्माल फार्मर जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको जो सुविधायें हैं वह सुविधायें अर्बन एरिया में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को मिलना आवश्यक है।

एक दो सुझाव मैं अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट के बारे में देना चाहता हूं। जो खाली जमीन मकानों के साथ एटैच है उसको आपने हाफ कर दिया है, मेरा सुझाव यह है कि उस हाफ की जगह आप उसे 3/4 कर दीजिये, इससे मकानों की जो कमी है वह काफी दूर हो सकेगी।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि आपने कोर्ट्स के लिये बड़ी-बड़ी इमारतें बना दीं, मगर उनमें बैठने वाला कोई नहीं है। वहां मुकदमों का फैसला करने वाला कोई नहीं है। 4-4 करोड़ की बनी हुई वह इमारतें बेकार पड़ी हैं, उनमें कोर्ट्स हो ही नहीं रहे हैं। इस तरफ भी आप ध्यान दें।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में बजाय इंसाफ होने के नाम पर इंसाफ का खून हो रहा है। यह कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जिन माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। मुझे अफसोस है कि हर चीज में विरोध पक्ष के लोग श्रीमती इन्दिरा जी का नाम जोड़ने लगते हैं, जब कि वे इन्दिरा जी के व्यक्तित्व को समझते ही नहीं हैं। क्या उनका जीवन रहा है, किस तरह से उन्होंने न्याय पालिका की प्रतिष्ठा को और उसके गौरव को बढ़ाया है, वे उसे समझते ही नहीं हैं। मान्यवर, एक निवेदन मैं करूंगा कि गहराई से बिना सोचे समझे ऐसी चीज किसी पढ़े लिखे समाज में नहीं कहना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, कुछ खास बातें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका की जो छवि है वह कुछ धूमिल सी होती जा रही है, गिरती जा रही है। इसका क्या कारण है इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मैंने भी वकालत शुरू किया, लीगल रिमेंबरेंसर लांबा जी उस समय हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट जज थे। मैंने बहुत से मुकदमें किये। मैं सिविल साइड में मुकदमें किया करता था। वह बहुत अच्छे जज थे, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। निष्पक्ष, इम्पार्शियल, जैसा जज होना चाहिये वह वैसे थे। आज के वक्त में जब हम देखते हैं तो तब और आज में बड़ा फर्क महसूस होता है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन इसको मैं लीगल रिमेंबरेंसर, माननीय मंत्री जी पर छोड़ता हूं और आपके माध्यम से मान्यवर, न्यायाधीशों से निवेदन करूंगा कि वह खुद ही आत्म निरीक्षण और आत्म विश्लेषण करें और जो आज आलोचनायें हैं उन पर ध्यान देकर इस काम को पूरा करने की कोशिश करें।

मान्यवर, अभी दो सम्मेलन हुए। एक तो न्यायाधीशों का सम्मेलन दिल्ली में में हुआ जिसका उद्घाटन माननीय इंदिरा जी ने किया। दूसरा राष्ट्रकुल सम्मेलन हुआ। तो वहां पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सामाजिक न्याय का क्या तरीका हो? क्या तरीका अपनाया जाय कि जिससे जो शोषित पीड़ित गरीब जनता है उसको न्याय मिल सके। मान्यवर, अमेरिका में न्यायाधीश एक नियमित समय के अन्दर बैठते हैं और विचार-विमर्श करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी न्यायाधीशों को नियमित समय के अन्दर बैठना चाहिए। कम से कम 4-6 न्यायाधीशों को बैठकर इस समस्या पर विचार करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। इस तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यह हो जाय कि न्याय पालिका में फेथ, विश्वास न रह जाय तो फिर कुछ नहीं रह जायगा और लोकतांत्रिक मर्यादायें कमजोर होती चली जायंगी। न्याय कुछ भी हो, तथ्य कुछ हो सकते हैं। निष्पक्ष न्याय दिया गया है ऐसा मालूम होना चाहिये, यह बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि 30-35 साल मैंने वकालत किया, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। यह महसूस नहीं हुआ कि कभी कोई किसी अफसर पर अंकुश तुलवाई कर सके। जिला कचहरियों में एक दूसरे किस्म का वातावरण है। इसलिये इस पहलू को देखने की आवश्यकता है। लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, इसको सदन नहीं देखेगा। इसको जजेज देखेंगे उनको देखना चाहिये और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म विश्लेषण उनको करना चाहिए।

दूसरी तरफ अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिवक्ताओं के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर, उस समय न कोई बिल्डिंग थी न कोई बैठने की सुविधा थी। पेड़ों के नीचे हम लोग बैठते थे और किराये के मकान में सिविल कोर्ट चला करते थे। लेकिन आज पहले से सुविधायें बहुत ज्यादा हैं। हर जिले में बिल्डिंग हो गयी है, हर जिले में बैठने का स्थान हो गया है। लेकिन इसके बावजूद गरिमा में क्यों गिरावट आ रही है यह बड़ा भारी प्रश्न आज उपस्थित हो गया है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वकीलों को इस सवाल पर खुद विचार करना चाहिये। न्यायपालिका और वकीलों में तालमेल नहीं होगा तो न्याय मिल नहीं सकता है। मान्यवर, दो बातें मैं और कहना चाहता हूं। कुछ ऐसे प्रश्न भी पैदा हो जाते हैं जब न्यायपालिका में या कार्यपालिका में या विधायिका में टकराव हो जाता है। अखबार में मैंने देखा, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक आदमी को अरेस्ट करने का आदेश दिया लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया। तो कभी कभी इस तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी न्याय पालिका को विधायिका या कार्यपालिका में दखल नहीं देना चाहिए। इनका एक दूसरे से टकराव नहीं होना चाहिये। यह आप कह सकते हैं कि जेल में गंदगी है, आप कह सकते कि जेल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिये लेकिन हमारा न्यायाधीश जाय और जेल का निरीक्षण करे यह उचित नहीं है। यह मैंने आपको मिसाल दिया कि इस तरह की कुछ ऐसी मिसालें हैं, जिससे कि टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमारी न्यायपालिका को देखने की जरूरत है। बहुत से एडिशनल जजेज की जगहें खाली हैं। क्या कारण है कि वे जगहें खाली हैं? उनको नहीं भरा गया? इससे काम में रूकावट पड़ती है। उनको भर देना चाहिए। इधर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और केसेज जो ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा हो गये हैं, उनके फैसले उचित ढंग से होने चाहिए। इन्हीं शादों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी न्यायपालिकायें उस गौरव और गरिमा तक पहुंचेंगी, जैसे अमेरिका आदि की न्यायपालिकायें हैं, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके।

श्री दामोदर शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मान्यवर, यह बहुत पुरानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है कि पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों द्वारा ऐसी अभूतपूर्व हड़ताल हुई, जिसमें न रिक्शा चला न कोई दुकान खुली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों की हड़ताल हुई और हड़ताल के बाद जसवन्त सिंह आयोग बैठाया गया और यह कहा गया कि जसवन्त सिंह आयोग वहां पर हर जिले में जा-जाकर जनता और वकीलों की बात सुनेगा। आयोग का समय नहीं बढ़ाया गया और न ही उसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित की गयी। विलम्ब का क्या कारण है? कई बार यह चर्चा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में चली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मेरठ बेंच मेरठ में खोली जायगी। अगर वहां पर हाई कोर्ट की बेंच खोली जाय, तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारी शासन की नीति है, जो हम जनता को न्याय सुलभ कराना चाहते हैं, अगर मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोल दी जायगी, तो न्याय सस्ता और सुलभ मिल सकेगा। जो लोग यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आगरा में हो या बरेली में हों, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच खोली जाए।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हाई कोर्ट में जो जजेज नियुक्त किये जाते हैं, क्या उन जजेज में अनुसूचित जाति के जजेज को सेवा का मौका दिया जाता है कि वे भी हाई कोर्ट में जजेज की श्रेणी में आवें। मेरा विश्वास है कि अभी उस रोशियो में, हाई कोर्ट अनुसूचित जाति के जजेज नहीं हैं और अगर नहीं हैं, तो मैं माननीय न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति के जजेज को भी सेवा का अवसर दिया जाय और जो कब्जा सम्बन्धी हरिजनों के विवाद न्यायालयों में लम्बित हैं, अगर पट्टा की भूमि पर कब्जा नहीं हुआ और उनके सम्बन्ध में जो न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं, जो मुकदमें लम्बित पड़े हुए हैं, उनके लिए एक विशेष अदालत हर जिलों में खोल दी जाय, जिससे भूमिहीन हरिजनों को, जो कब्जा नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द कब्जा मिल जाय और इस प्रकार के मुकदमों का फैसला ताकि शीघ्र हो सके।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रत्येक जिले में लीगल एन्ड सेल खोल रखे हैं, उनमें, कचहरी में, उनके बोर्ड लगाये जाय, जिससे गरीब हरिजन व मजदूर वर्ग के लोग न्याय पाने के लिए लीगल एण्ड सेल में पहुंच सकें। मान्यवर, मैं माननीय न्याय मंत्री जी से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें तेजी लाने के लिए लीगल एन्ड सेल जो है, जिससे गरीब आदमी की जो, न्याय पाना चाहता है, उसे न्याय मिल सके। मेरा आपके माध्यम से मान्यवर, न्याय मंत्री जी से निवेदन है कि लीगल एन्ड सेल के बोर्ड प्रत्येक जिले की हर कचहरियों में लगाए जायं।

श्री कुबेर भण्डारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं

आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। यह सरकार गरीबों को न्याय दिलाने का ढिंढोरा पीटती है। इस सरकार के पूंजीवादी व्यवस्था के चलते गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बातचीत कम करें।

श्री कुबेर भण्डारी–

यहां का गरीब न्याय का मुहताज है। संविधान में अमेरिका और स्विट्जरलैंड का सहारा लिया है, वहां की न्याय व्यवस्था को लिया है। मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या अमेरिका और स्विटजरलैंड की तरह के आदमी यहां हैं। अगर इसी तरह का न्याय रहेगा तो गरीब रोज मारे जायेंगे। सी0आर0पी0सी0 को अंग्रेज बनाकर चले गये, आज तलक हम उसको देख नहीं पाये। उस पर विचार नहीं कर सके। किसी के घर में कोई रात में मारा जाता है तो उसके घर का आदमी गवाही नहीं दे सकता है, बाहरी लोग गवाही देंगे। क्या कोई किसी की रखवाली करता है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में सस्ता न्याय आप नहीं दिला सकते हैं। हाई कोर्ट में 6–7 साल से केसेज पेंडिंग हैं। हत्या हो जाती है अपराधी छूट जाते हैं। गवाह मेल कर लेते हैं अपराधी छूट जाते हैं। चूंकि मुकदमें में देरी होने से अपराधी छूट जाते हैं। लोगों को आप पट्टा कर देते हैं लेकिन कोर्ट से स्थगन आदेश लेकर उस जमीन को हड़पे हुये हैं। भूमिहीनों को आपने कब्जा नहीं दिया केवल पट्टा दे दिया। इससे न्याय मिलने वाला नहीं है।

श्री माधव प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने न्याय विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। किसी राष्ट्र के लिये या किसी प्रदेश के विकास के लिये, कुशल प्रशासन के लिये न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रजातंत्र में न्याय का अलग स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 31 में यह कहा गया है कि सभी को न्याय समान मिले और कोई भी न्याय से वंचित न रहे। इन्हीं चीजों को देखते हुए संविधान में न्याय की व्यवस्था की गई है। लेकिन मुकदमों की अधिकतम संख्या होने के कारण न्याय में कठिनाई हो रही है। जिस पर मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि न्यायालय का विस्तार करें, जिससे मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सके। वैसे हमारे शासन ने मुकदमों की वृद्धि के साथ-साथ उच्च न्यायालय में एक संयुक्त निबन्धक की व्यवस्था की है। जिससे मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सके। 24 जनवरी, 1981 को शासन ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिये कानूनी सहायता करने हेतु प्रदेश स्तर पर समिति का गठन किया है जिसके द्वारा जिला स्तर पर समिति का निर्माण किया गया है। उन समितियों के द्वारा 82 में निर्बल वर्ग के लोगों के 20 हजार 680 मुकदमें दायर किये गये जिनका निस्तारण स्थल पर जाकर किया गया, 3 हजार 369 मुकदमों का 53 कैम्पों के माध्यम से निस्तारण किया गया। मेरा सुझाव है कि इस व्यवस्था को तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कैम्प लगाकर विकेन्द्रीकरण की योजना को कड़ाई से लागू किया जाय। जिससे मुकदमों का निस्तारण हो सके और गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सके। आपका विवाह अधिनियम शारदा एक्ट जो है यह तो पास हो गया लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है इससे फायदा हो सकता था, जो 21 वर्ष विवाह की उम्र रखी गई है यह पूरा हो सकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको

कड़ाई से लागू करायें और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए गरीबों में प्रचार और प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बुनियादी संस्थायें हैं न्याय पंचायत स्तर की वह माननीय मंत्री जी बनी नहीं हैं मैं चाहता हूं कि न्याय पंचायतों का पुनर्गठन कर दें। एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसमें सजा का प्राविधान है इसमें साल छः महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जाती है इसमें सजा बढ़ाकर कम से कम दस साल की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एन्टीसिपेटरी बेल के बारे में कहना चाहता हूं एन्टीसिपेटरी बेल बन्द कर दी गयी है। जमानत दिया जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें पुलिस हमारा रुपया खा जाती है दूसरे पक्ष से पैसा लेकर उसको हथकड़ी बांधकर ले जाती है जिससे आदमी की बेइज्जती होती है, चमोली में सी0एम0 ओ0 के पास जीप थी उसकी जीप छीनकर देहरादून भेज दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत न्याय अनुदान के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार ने जो न्याय दिलाने के लिए दस बारह न्यायालय कक्ष के निर्माण की व्यवस्था हर जिलों में की है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष न्यायालय की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त समाज के निर्बल वर्ग को निःशुल्क परामर्श एवं सहायता देने की व्यवस्था की है तथा न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग तथा यू0 पी0 कोड का प्रकाशन हुआ है ये हमारी सरकार के सराहनीय कार्य हैं जो सस्ते और शीघ्र न्याय की व्यवस्था के गुण हैं, हमारे यहां सस्ता व शीघ्र न्याय नहीं मिल रहा है। उच्च न्यायालयों में 1972 से 1983 तक 1,85,842 मुकदमें लम्बित हैं, सेसन कोर्ट के 1972 से 1982 तक 36181 मुकदमें लम्बित हैं। इसी तरह से अन्य फौजदारी के मुकदमें 1972 से 1982 तक 7,75,046 मुकदमें लम्बित हैं इसी तरह से अधीनस्थ न्यायालयों में 1972 से 1982 तक 2,82,503 मुकदमें लम्बित हैं। यह जो मुकदमें हैं यह न्याय की विभीषिका को दर्शाते हैं लिहाजा शीघ्र परामर्श देने वाले और सस्ते न्यायालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तहसील स्तर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स नहीं हैं और मेरा सुझाव है कि जो ये समरी ट्रायल्स कानून बने हुए हैं, ऐसे कानून बनाए जायं और इनकी सीमा बढ़ा दी जाय, ताकि जो मुकदमें चलते हैं, शीघ्र समाप्त हो सकें। मान्यवर, मैं यह और कहना चाहता हूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जो कैदी है, अगर वह कत्ल करता है, तो उसको मृत्यु दण्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को मृत्यु दण्ड अवश्य मिलना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दण्ड हटाकर लीनिएन्ट व्यू लिया है।

*श्री राम अंतार दीक्षित—

मान्यवर, प्रजातंत्र में न्यायपालिका का बहुत महत्व है। न्यायपालिका के लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कितनी सुविधायें हैं, वह अभी माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में सुनने को मिलीं कि कुछ सुविधायें हैं, उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि न्यायपालिका को, जिसको किसी भी प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता निहित होती है, उनके पास पर्याप्त सुविधाएं रहनी चाहिये। आज मामूली से बी0 डी0 ओ0, मामूली से डिप्टी कलेक्टर के पास आवागमन के इतने साधन हैं, कि चाहे जितना भी दुरुपयोग करे, कम हैं, लेकिन हमारे न्यायपालिका के अन्दर जो जज हैं, उनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो अगर स्पाट निरीक्षण भी करना चाहे तो अपने साधन से जा सके। दूसरे मान्यवर, मुकदमों के निस्तारण के बारे में कहा जाता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट बेंच के अन्तर्गत 16 जजों की कमी है, वह 16 जज अभी तक क्यों नहीं पूरे किये जा रहे हैं। मुकदमों के निस्तारण के लिए इन जजों का होना आवश्यक है। जब तक 16 जजों की हाईकोर्ट के अन्दर कमी है, तब तक किस तरह से मुकदमों का निस्तारण होगा। कितना ओवर बर्डेन है, प्रत्येक जज पर मंत्री जी जानते होंगे। तीसरी बात मुझे यह कहना है कि न्यायपालिका के अन्तर्गत किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी न्यायपालिका पर कहीं पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण हो।

आज मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि न्यायपालिका में भी कम से कम 5 से 10 परसेन्ट हस्तक्षेप शुरू हो गया है। जो न्यायपालिका के लिए बिल्कुल अनुचित है। तो इस तरह से ये दो तीन मुद्दे हैं, समय कम है। मैं चाहूंगा कि इन चीजों को माननीय मंत्री जी सोचें और उन पर विचार करें और ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सके हमारे हाईकोर्ट के जजों की जो कमी है, जिनकी वजह से हाईकोर्ट में मुकदमें अनिस्तारित पड़े हैं, उनके पदों को भरने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। मान्यवर, जिस प्रकार से जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। इस प्रदेश की जनता को न्याय समय से नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट और जिलों की अदालतों में जो लम्बित वाद हैं, उनसे यह स्पष्ट जाहिर हो जाता है। मैं जजों की संख्या बढ़ाने का सुझाव देते हुए, जजों की सुख सुविधाएं बी0 डी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 से ऊपर ले जाने के लिए सुझाव देते हुए उनके दुख और तकलीफ को समझते हुए सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने बजट में कहा है कि हमने उनका भत्ता बढ़ा दिया है और भी अन्य चीजें हमने उनकी बढ़ा दी हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब पिछले वर्ष जजों का आन्दोलन हुआ, तो उनकी जो मुख्य मांगें थी, उनमें से एक भी मांग को माननीय मंत्री जी ने नहीं माना। मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए भी बजट देने से मना करूंगा कि जो सुख-सुविधायें जजों को उनके द्वारा दी जानी चाहिए

थी, वह नहीं दी गई, ताकि वह न्याय दे सकें, ईमानदार रह सकें और उनका जीवन स्तर कम से कम बी0 डी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 के लेवल से ऊपर हो सके। इस पर माननीय मंत्री जी ने नहीं सोचा।

श्रीमन्, इसके अलावा भी मान्यवर, हमारे कानून में बहुत खामियां भी हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। हमारे प्रदेश में एक कानून बना, जमींदारी एबोलिशन एक्ट का। मान्यवर, इसके बारे में विधि वक्ताओं का, विधि को बनाने वालों का और न्यायाधीशों का यह मत है कि यह अपने आप में कानून नहीं है। न इसको बनाने वाला समझ सकता है और न ही न्याय देने वाला समझ सकता है। अभी पिछले वर्ष नैनीताल में एक कन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक इमीनियन्ट जूरिस्टस ने अपनी राय जाहिर की थी कि जब मैं यू0 पी0 जेड0 ए0 एल0 आर0 को पढ़ता हूं तो मैं यह महसूस करता हूं जैसे भांग का अंटा लगा लिया है। इस तरह तमाम कानून को आप कन्सोलिडेटेड के रूप में रखें और इसको पुनरीक्षित करें, क्योंकि इसके रूप में, इसके अमन्डमेंट में बेसिक लोसेस अधिक हो चुके हैं। एक खामी बहुत बड़ी है। यह सेन्टर ला में और स्टेट ला में टकराव पैदा करता है। जैसे किसी गांव में एक तालाब है, किसी को पानी लाने का अधिकार है और किसी को मिट्टी लाने का अधिकार है मगर आपका एस0 डी0 एम0 धारा 171 के तहत उसका पट्टा कर देता है और वह आदेश कर देता है कि इसमें मछली पाल लें तो 5 साल का पट्टा हो जायेगा, परन्तु जो 20 साल से उस तालाब से . . .

श्री अधिष्ठाता–

जब आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपनी बात 3 मिनट में समाप्त कर दें, तो भी आपने समय का ध्यान नहीं दिया। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह–

तो मैं कह रहा था कि इण्डियन इजमेंट एक्ट के तहत वह सिविल कोर्ट में चला जाता है। अपनी सुख-सुविधाओं का अधिकार जजी से लेने हेतु है। एस0 डी0 एम0 के आदेश के कारण स्टेट और सेन्ट्रल में कनफिलक्ट हो जाता है। इस तरह मेरे पास काफी सुझाव हैं। जो सुझाव बाकी रह गये हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के पास उन्हें लिखवाकर भेज दूंगा।

श्रीमन्, जब पिछली बार माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उस समय साढ़े दस करोड़ रुपए निर्वाचन प्रणाली के लिए पेश किया था और उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रानिक मशीनें खरीदी जायेंगी। साढ़े बावन सौ रुपए की एक मशीन आ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एम0 एल0 ए0 के चुनाव को इसी आधार पर निरस्त किया था कि वहां पर इस मशीन से चुनाव कराये गये थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि न तो आपने ब्लाक पंचायतों के चुनाव कराये, न जिला परिषदों के चुनाव कराये और न ही नगरपालिकाओं के चुनाव कराये और न ही आपने इलेक्ट्रानिक मशीनें खरीदी, तो आखिर आपने यह साढ़े दस करोड़ रुपया कहां खर्च किया। पिछली बार मैंने स्वयं देखा, पैसा अनाप-सनाप खर्च किया गया और गुण्डों और लोफरों को चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का प्राविधान करें और जो पार्टियां इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकगनाइज्ड

हैं, उनके लिए आप एक निश्चित फण्ड बना दीजिए, ताकि उस फण्ड से वे रिकगनाइज्ड पार्टियां चुनाव लड़ सकें। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, जहां तक कटौती के प्रस्ताव का प्रश्न है और जिस माननीय सदस्य ने इस कटौती के प्रस्ताव को रखा है, उन्होंने इस बजट का एतराज इसलिए किया है कि इलेक्ट्रानिक मशीनें इसलिए नहीं खरीदी गयीं कि जब केरल में चुनाव हुए थे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, इसीलिए हमने भी उन्हें यहां पर नहीं खरीदा। दूसरी बात यह है कि आपने अपने इस कटौती के प्रस्ताव में यह मांग की है तस्वीर लगायी जाय और परिचय पत्र दिया जाय, तो इसका परीक्षण कुछ लोक सभा चुनाव में सिक्किम में, नागालैण्ड आदि कुछ जगहों पर पूरब की तरफ हो रहा है, उसकी विवेचना के बाद, इसके अनुभव के बाद ही, इलेक्शन कमीशन इस चीज को तय करेगा और, जहां तक माननीय सदस्यों के सुझावों का सम्बन्ध है, उस विषय में दो एक बातें कहनी हैं। जो सुझाव इन्होंने दिये हैं, समय कम होने की वजह से, उसका जवाब देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन उस पर शासन पूर्ण रूप से विचार करेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ थोड़ा सा भ्रम है, उसका निवारण कर दूं। कुछ कानून राजस्व विभाग से बनते हैं, कुछ और विभागों से बनते हैं, तो उन कानूनों के बारे में आज के बजट पर चर्चा करना कोई बहुत मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जिस प्रकार लाल प्रताप जी ने कहा कि कुछ जगहें खाली हैं कोर्ट्स में, उसका कारण यह है कि वरीयता के प्रश्न पर अधिकारी जो हमारे जज साहेबान हैं, उनमें मतभेद हुआ और वे जाकर स्टे ले आये हुये हैं। जब स्टे आ गया, तो उनका भरना सम्भव नहीं है उनके बिन्दु से। दूसरे बिन्दु के तहत कहना चाहूंगा कि दूसरा बिन्दु जुडिशियल आफिसर की तरफ से होता है, उसमें कुछ नियुक्तियां करते हैं। जुडिशियल आफिसर के स्थानों की बाबत अधिष्ठाता महोदय, जो लोग कचेहरियों में जाते हैं, उन्हें मालूम ही होगा कि उनकी तादाद बहुत कम है, 2–4 ही रह गये हैं और इन दो चार में ही उन पर इन्क्वायरी की बात है। उससे नहीं हो सकता है। तीसरा बिन्दु हम वकीलों की तरफ से लेते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज में, 7 वर्ष वकालत कर लेते हैं इनका कम्पटीशन होता है, प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, वह कार्यवाही आरम्भ हो गयी है। तो यह जो जगह खाली हैं, उनको नियमानुसार शीघ्र पूरा किया जायेगा।

जहां तक हाई कोर्ट की बेंच का सवाल है, इस विषय में भी अधिष्ठाता महोदय यह तो आजका बजट कायदे कानून का है और यह मुझसे कोई अगर उम्मीद करे कि मैं आज बेंच का एलान कर दूं जैसा कि कुछ लोग आज पीछे बैठे हुए कह रहे थे कि आज बेंच की स्थापना के बाबत एलान हो जाता, तो कोई बात बनती। मैं कहना चाहूंगा कि उस पर कमीशन विचार कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद वह केन्द्र सरकार के पास जायेगा, उसे राष्ट्रपति तय करते हैं, यहां से उसका क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि गोरेलाल शाक्य जी ने कहा कि अभी तमाम तहसीलें बाकी हैं। हमने इससे कब इन्कार किया। लेकिन, जो वित्तीय

संसाधन हमारे हैं, उसके आधार पर देखें, तो 38 जिलों में 83 मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 45 तहसील मुख्यालयों पर हुई है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें जज नहीं हैं, इसी प्रकार कचेहरियों की इमारत की कमी है, लेकिन जिस बिल्डिंग को माननीय सदस्य ने देखा होगा, मैं कहना चाहूंगा कि वह अभी हमको हैण्ड-ओवर नहीं हुई है। हम तो स्वयं इस बात की लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि जल्दी से बिल्डिंग हैंड ओवर हो और मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वहां कर दें।

(व्यवधान)

इसी प्रकार से जो नियमों के बनाने की बात कही गयी है, तो जिन-जिन विभागों से यह सम्बन्धित है, वहां भेजेंगे और वह इस पर विचार करेंगे।

जहां तक जजों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया वहीं होती है। यह प्रक्रिया जारी है और जैसे ही वहां से नियुक्ति हो जायगी, वैसे ही यह रिक्तियां पूरी हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त और भी जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उस पर शासन पूरे तौर से गौर करेगा, जो समिति है और जो कायदे कानून के अन्दर आता है, जो वित्तीय संसाधन से हम पूरा कर सकते हैं, उनको हम जरूर पूरा करेंगे। मैं उन सब सदस्यों को, जिन्होंने पक्ष या विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया है, धन्यवाद देता हूं।

श्री दामोदर शर्मा–

माननीय मंत्री जी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना की बात कही गयी थी, इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह बता दें कि कब खोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अगर आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो आप जबर्दस्ती जवाब नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है और सदन की कार्यवाही चल रही है। पहले कोरम तो पूरा कीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिये घण्टी बजायी जाय।

(कोरम के लिये घण्टी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री किरन पाल सिंह–

स्पष्टीकरण चाहता हूं। ऐसा है कि हाईकोर्ट के जज के पद पर नियुक्ति के लिए 10 साल का वकालत का अनुभव और इन्कम टैक्स पेई होना चाहिए, ऐसा मांगते हैं। मैंने सुझाव दिया था और फिर देता हूं कि "इन्कम टैक्स पेई" की शर्त हटाकर यह जोड़ा जाय कि उनकी डीलिंग आफ केसेज कैसी हैं और फाइल्स कितनी हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल–

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, हमारा प्रश्न यह है कि जजेज की जो नियुक्ति होती है, जिसकी क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि 10 साल का इक्सपीरियेंस प्लस इन्कमटैक्स पेयी हो, तो मान्यवर, ऐसा है इन्कम टैक्स पे तो

व्यापारी गण ही करते हैं और उसमें बहुत से ऐसे भी वकील हैं जिनकी एक पैसे की भी प्रैक्टिस नहीं है, वह व्यापार करते हैं, इसलिए टैक्स पे करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा था कि क्या मा0 मंत्री जी इन्कम टैक्स के आधार को खत्म करके उनकी डीलिंग के केसेस को नियुक्ति

श्री राम नरेश शुक्ल–

श्री राम नरेश शुक्ल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि प्रश्नकर्ता को कम से कम इस बात को तो अवश्य जान लेना चाहिए कि जजेज की नियुक्ति संविधान के अनुसार प्रदेश सरकार नहीं करती है इसे केन्द्र सरकार करती है। प्रदेश सरकार केवल इसके प्रासेस को देखती है।

श्री दामोदर शर्मा–

मान्यवर, हरिजन जजेज का कितना कोटा है और क्या वह पूरा है, इसकी भी जानकारी मा0 मंत्री जी ने नहीं दी है। इसकी जानकारी दिलवा दीजिए।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28-निर्वाचन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों, को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,13,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29–न्याय विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,98,23,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत कृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मा0 ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने यह लिखकर दिया है कि मद संख्या 7 व 8 पर होने वाले विचार को आज के लिए स्थगित कर दिया जाए परन्तु उन्होंने इसके कारणों का उल्लेख नहीं किया है, यदि आदरणीय सदन की राय हो तो इसे स्थगित कर दिया जाए।

(कोई आपत्ति न होने पर)

ठीक है, फिर मद संख्या 7,8 व 9 को स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक एक विधेयक लाया गया है जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनका लेखा परीक्षण तो होता था लेकिन उनको कोई कानूनी अधिकार न होने के कारण उनको बहुत सी सुविधायें नहीं मिल रही थीं। जो परीक्षण वे करते थे उनके बारे में कम्पलायेन्स रिपोर्ट बहुत बाद में मिलती थी जिसके कारण वसूली नहीं हो पाती थी और इससे आर्थिक हानि होती थी। यह विधेयक इसीलिये लाया गया है कि यह काम प्रभावशाली ढंग से हो जाय। इसलिये मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने की अनुमति दें।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को पहले इस बात की बधाई दे दूं कि इन्होंने कम से कम कुछ लाज माननीय सदन की और इस सत्र की रख ली है। यह पहला विधेयक है जो कि बिना अध्यादेश के मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो बराबर अध्यादेश पर अध्यादेश ही पास कराये चले जा रहे थे।

श्रीमन्, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें दो राय नहीं कि जरूरी था और बहुत ही आवश्यक था। लेकिन हमने इस पर इसलिये प्रवर समिति के लिये संशोधन रखा है क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे, इसलिये कि यह विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने कवाल टाउन्स, नोटीफाइड एरियाज तथा टाउन एरिया इन सबका आडिट होता था और उसके बाद वह इतना प्रभावशाली नहीं था जिस तरह से रेगुलराईज करके जो आब्जेक्शन्स हैं, उस पर कोई कार्यवाही हो सके। इसी बात की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मंत्री जी यह चीज ले आये हैं। परन्तु श्रीमन् यह देखने में आया है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं स्थानीय निकाय की तो केवल यह ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनमें गवर्नमेन्ट का पैसा लगता है, हर तरीके से सरकार के बजट का पैसा बल्कि मनी उसमें दिया जाता है, इनका आडिट भी होता है। उनका भी हश्र यही होता है कि लाखों रुपए के घोटाले और गड़बड़ियां वहां पायी जाती हैं। उनके बारे में कोई प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसीलिये मेरा कहना है कि अगर इसे आप प्रवर समिति को विचार करने के लिये भेज देंगे तो

---

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मुनासिब रहेगा । म्यूनिस्पिल एरिया, टाउन एरिया तथा कवाल टाउन में जैसे इस विधेयक को लाने की जरूरत है, इसी तरह से इनमें भी इसकी जरूरत है । इसीलिये मैं यह संशोधन लाया हूं कि जो पब्लिक मनी का इन्वेस्टमेन्ट है, जो गड़बड़ियां और घोटाले होते हैं, वहां भी प्रभावशाली ढंग से उन पर हाथ रखा जा सके । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो कदम माननीय मंत्री जी ने उठाया है उसकी परिधि को बढ़ाकर, चाहे मुनासिब समझें तो इस सदन में लाकर जो हमने अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं को किसी भी रूप में पैसा दिया है, तो उस पैसा का आडिट जब होता है, जो घपला है, जो घपला करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इसलिए उनको इस परिधि में लाया जाय और आप इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि बैठकर एक महीने में विचार हो जाये । अगर इस अवधि को कम करना चाहते हैं तो कम कर दें और 15 दिन कर दें, जिस से इन पर शासन का प्रभावशाली कन्ट्रोल हो सके और मेरे इन सुझावों को मानने की कृपा करें ।

श्री ब्रह्म दत्त–

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं, इस से विस्तृत परीक्षण की जरूरत होगी, संविधान के अनुसार यह बनते हैं और उनका परीक्षण कराने में काफी समय लगेगा और देरी हो जायेगी । 20-22 अप्रैल तक तो यह सदन ही है, तो देरी बहुत हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस पर विचार कर लें और जो उनके सुझाव हों उनको लिखकर भेज दें मैं उन पर विचार कर लूंगा और जो जो सुझाव आवश्यक होंगे उनके लिए संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, लेकिन इस समय अनावश्यक देरी हो जायेगी, इस लिए मैं अनुरोध करता हूं कि प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर मा0 सदस्य बल न दें ।

श्री रियासत हुसेन–

माननीय मंत्री जी ने मेरे काम को और बढ़ा दिया कि लिखकर दे दूं, माननीय मंत्री जी ने यह एहसास नहीं किया कि शासन का इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है । उनमें पब्लिक मनी लगती है, उनमें, बहुत अधिक घोटाला है, और उसके लिए आप कहते हैं कि लिखकर दे दें । अगर मंजूर नहीं है तो वोट करा दें ।

श्री ब्रह्म दत्त–

विभिन्न संस्थायें विभिन्न कानूनों के मातहत गठित होती हैं । जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं, उनका मैं परीक्षण करा लूंगा ।

श्री रियासत हुसेन–

मैं अपने प्रस्ताव पर बल नहीं देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि श्री रियासत हुसेन अपने प्रस्ताव पर बल नहीं दे रहे हैं, अतः प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसेन के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। (कोई आपत्ति न होने पर)

(सदन की सहमति से श्री रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 20 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध या नियंत्रण में स्थानीय निधियों और कतिपय निगमित और अनिगमित निकायों की निधियों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा—परीक्षा अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में, —

(क) ''लेखा परीक्षा'' के अन्तर्गत सांकेतिक लेखा—परीक्षा, समवर्ती लेखा—परीक्षा, शत प्रतिशत लेखा-परीक्षा और विशेष लेखा-परीक्षा और धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण भी है;

(ख) ''लेखा-परीक्षक'' के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी है;

(ग) ''निदेशक'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है; जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदान की जायं ;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका या नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद् क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी से है जिसे स्वायत शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजन के लिये गठित किया गया हो या जो नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिमान्य रूप से हकदार हो जो जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या अनिगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से, स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो,

(ङ) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, ''प्रधान अधिकारी'' का तात्पर्य उसके ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;

(च) (एक) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, ''विशेष लेखा परीक्षा'' का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदों की श्रेणियों की जिसमें सर्वांगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा से है जो राज्य सरकार के आदेश से या स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी के अनुरोध पर की जाय,

(दो) ''सांकेतिक लेखा परीक्षा'' का तात्पर्य प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा-परीक्षा से है जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के

जिसका चयन लेखा परीक्षक द्वारा अलंकित रूप से किया जाय, लेखा का हो और जिसका संचालन उसके विवेकानुसार शत प्रतिशत आधार पर किया जाय;

(तीन) "समवर्ती लेखा परीक्षा" का तात्पर्य समय-समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योत्तर लेखा परीक्षा और लेखा के सामान्य समीक्षा से है।

(चार) "शत प्रतिशत लेखा परीक्षा" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों के कार्योत्तर लेखा परीक्षा से है;

(छ) "विहित प्राधिकारी" का किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किसी अधिकारी या निगमित निकाय से है।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3-(1) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का निदेशक होने के लिये एक व्यक्ति की और उनकी सहायता के लिये निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जायगी, अर्थात्-

(क) उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,

(ख) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,

(ग) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा,

(घ) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा,

(ङ) लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा,

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायं निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, नियुक्त कर सकती है और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायं या उन पर आरोपित किये जायं।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, जो सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की श्रेणी से नीचे न हो, धारा 4 की उपधारा (4) या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदत्त कर सकती है।

लेखा जिसकी परीक्षा की जायगी और लेखा परीक्षा फीस का भुगतान

4-(1)-राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके लेखा की परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमिति में, जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबंधित रीति से की जायगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी जिसके लेखा की परीक्षा उपधारा (2) के अधीन की

जानी है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन उद-ग्रहणीय लेखा-परीक्षा फीस का ज्ञापन प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी द्वारा सरकारी कोषागार में लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान न किया जाय तो राज्य सरकार या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से जिला मजिस्ट्रेट इस निदेश के साथ बैंकर या उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि है, आदेश दे सकता है कि वह ऐसी निधि से सरकारी कोषागार में, चाहे एक मुश्त या किस्तों में जैसा आदेश में निर्देशित हो, लेखा परीक्षा फीस की धनराशि का भुगतान कर दे और बैंकर या ऐसे अन्य व्यक्ति आदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा। ऐसा न करने पर लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायगी।

लेखा परीक्षा के लिये अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

5—ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का जिसके लेखा की परीक्षा धारा 4 के अधीन की जानी है प्रमुख अधिकारी लेखा-परीक्षा के लिये सभी लेखा, विवरणियां, रजिस्टर, पत्रावलियां और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज को जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये लेखा परीक्षक की अपेक्षा करने की शक्ति

6—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ, कोई लेखा परीक्षक—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी से ऐसा बाउचर, विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे लेखा परीक्षक उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहां लेखा परीक्षक निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है,

(ख) लिखित रूप में—

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से जो ऐसे बाउचर, विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है, या

(दो) ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निर्देशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है,

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखा की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहां लेखा परीक्षक निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो,

लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है (2) लेखा परीक्षण उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्तियुक्त अवधि निर्धारित कर सकता है जो कम से कम तीन दिन की होगी जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायगा।

(3) लेखा परीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगा;

परन्तु लेखा परीक्षक, अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुये, लेखा-परीक्षा स्वप्रेरणा से प्रारम्भ कर सकता है और राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ करेगा।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकार होगा:—

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी के, जो उसके लेखा परीक्षा प्रभार में हो, लेखा का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है,

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, बही, पत्रादि और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से जिसकी लेखा-परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, संबंधित या उसका आधार हो या अन्यथा उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जायं,

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना जिसे वह लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करे।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिये शास्ति

7—(1) कोई व्यक्ति जो उससे धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अधियाचन की जान बूझकर उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इन्कार करता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं की जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी स्वीकृति देने के पूर्व निदेशक उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जानी हो, यह कारण बताने को कहेगा कि स्वीकृति क्यों न दी जाय।

(4) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायगी

8—(1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायगा, अर्थात्

(एक) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(दो) आपत्तियों का विवरण-पत्र जिसमें गौण और प्राविधिक अनियमितताओं से संबंधित अशोधित आपत्तियां दी गयी हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

9–(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर समबद्ध स्थानीय प्राधिकारी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायगा और विनिश्चय किया जायगा।

(2) प्रधान अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक तत्परता से कर दिया जाय।

(3) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी युक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरुद्ध की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित की जायगी। लेखा-परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र-व्यवहार सीधे स्थानीय प्राधिकारी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायगा।

(4) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चर्चित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में–

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्ति का निपटारा कर सकता है; या

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त अन्वेषण अगली लेखा-परीक्षा में या किसी और पूर्वतम दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारणा कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है जो आवश्यक समझी जाय, अर्थात्---

(1) किसी ऐसे व्यक्ति का अभि-

योजन जो, यथास्थिति, त्रुटि या अनियमितता के लिए उत्तरदायी हो;

(2) स्थानीय प्राधिकारी का विघटन,

(3) स्थानीय प्राधिकारी का अतिक्रमण,

(4) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को सहायता-अनुदान का निलम्बन,

(5) स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच।

(6) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी का हटाया जाना।

(6) उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही की संस्तुति करते समय, निदेशक ऐसी किसी सूचना की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करेगा जिससे उसे यह प्रतीत हो कि वह ऐसे आपराधिक दुर्विनियोग के आरोप या कपट का समर्थन करता है या जिस पर उसकी राय में विशेष ध्यान देना या तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित है।

निदेशक अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगायेगा

10-(1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो स्थानीय प्राधिकारी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिए न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर ब्याज सहित भुगतान करें:

परन्तु प्रथमतः किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात या उसके स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं दिया जायगा:

परन्तु द्वितीयतः यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणामस्वरूप हुआ हो तो वसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी हैं जिसके सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी या उसकी समितियों या उप समितियों के कार्यवृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के संबंध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर-बराबर बांट दिया जायगा:

परन्तु तृतीयतः अतिक्रमित स्थानीय निकायों की स्थिति में, यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए दी जायगी:

परन्तु चतुर्थतः किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो ।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायगा कि उसने उसे उस दिन प्राप्त कर लिया है जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था ।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सम्यक् रूप से तामील किया गया है ।

अधिभार के आदेश के विरुद्ध अपील

11–(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस क्षेत्र के जिसमें स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान कार्यालय स्थित हो, अधिकारितायुक्त आयुक्त को विहित रीति से अपील कर सकता है ।

(2) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवायी करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपील में आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

भू-राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली

12–यथास्थिति, धारा 10 या धारा 11 के अधीन अधिभार के आदेश में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा, और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाय तो उसे निदेशक के आवेदन-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और स्थानीय प्राधिकारी की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा।

प्रभार आदि का भुगतान

13–धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन लेखा परीक्षक द्वारा या धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक द्वारा की गयी किसी अभिचायन के अनुपालन में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया समस्त व्यय उस स्थानीय प्राधिकारी की निधि से देय होगा ।

निदेशक, लेखा परीक्षक, आदि लोक सेवक होंगे

14–निदेशक और उसके अधीन कार्यरत और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी और लेखा परीक्षक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे ।

वाद पर रोक

15–जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर

आपत्ति करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

सद्भाव से किये गये कार्यों का संरक्षण

16—राज्य सरकार, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, लेखा परीक्षक या निदेशक के अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही के ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित हो ।

निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

17—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है ।

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए कोई निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर ----

(क) निदेशक लेखा परीक्षक या लेखा-परीक्षा की कार्यवाहियों के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर सर्वदा किसी परिसर या स्थान में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हों, लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के संबंध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिए उसी स्थल पर किसी व्यक्ति से परिप्रश्न कर सकता है,

(ग) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों के कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अभिलेख या पत्रादि को, जो आवश्यक हो, अभिग्रहीत कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है,

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो विहित की जायं ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिससे उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक द्वारा कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाय, यह समझा जायगा कि वह भारतीय दन्ड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत वैध रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य है ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथा सम्भव, उपधारा (1) के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किये गये किसी वारन्ट के प्राधिकार से की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते हैं ।

प्रकीर्ण

18—इस अधिनियम के अधीन किसी परीक्षा या लेखा—परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक के लेखा परीक्षक और अपील के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो निम्न-

लिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कमीशन जारी करना ;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अपवाद

19—(1) अधिभार से संबंधित किसी ऐसी कार्यवाही का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचाराधीन हो, निस्तारण, और किसी ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश का प्रवर्तन, उस विधि के अनुसार इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं थे ।

(2) जैसा कि उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अधिभार से संबंधित सभी कार्यवाहियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न और निस्तारित की जायंगी।

नियम बनाने की शक्ति

20—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को, जिसके लेखा की परीक्षा निदेशक द्वारा की जानी है, अधिसूचित करने का कार्य विनियमित करना ;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन लेखा की परीक्षा के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा-परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और उसकी वसूली की रीति ;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जायगा ;

(घ) लेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य और लेखा-परीक्षा करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह समय जब और स्थान जहां पर ऐसी लेखा-परीक्षा की जायगी ;

(ङ) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(च) अधिभार के संबंध में जांच, अपील और वसूली ;

(छ) निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि खंडों में कोई संशोधन नहीं है, अतः प्रश्न यह है कि खन्ड 2 से

20 तक खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विधेयक, 1984 पारित किया जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद बुलन्दशहर में औरंगाबाद बादशाहपुर तालाब नामक प्रस्तावित ड्रेन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

श्री किरन पाल सिंह–

हां, मान्यवर।

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, इसको पढ़ लें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री प्रमोद कुमार–

[जिला बुलन्दशहर के जहांगीराबाद ब्लाक में ग्राम औरंगाबाद-बादशाहपुर तालाब में एक 23 कि0 मी0 लम्बा नाला निकाला जाना प्रस्तावित है। यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की प्राविधिक परामर्शदात्री समिति की 54वीं बैठक दिनांक 17-1-77 एवं राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 23-3-1978 की हुई बैठक में रु0 19.98 लाख की लागत पर स्वीकृत हो चुकी है तथा दिनांक 4-5-77 को इसकी प्रशासनिक स्वीकृति एवं शासन द्वारा दिनांक 13-10-1978 को व्यय हेतु स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

2–प्रश्नगत नाला औरंगाबाद कस्बे से निकाला जायेगा तथा पुट्ठी गांव के निकट काली नदी में गिरेगा इस नाले में जिला बुलन्दशहर के मुख्यतः 19 ग्रामों का 663 हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा तथा 10,000 आबादी को राहत मिलेगी। नाले के निर्माण हेतु 21 ग्रामों की 46 हैक्टेयर भूमि ली जायेगी जिसमें 32 हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य होगी।

3–औरंगाबाद-बादशाहपुर तालाब से नाला निकालने की योजना के संबंध में तत्कालीन सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह) ने विधान परिषद् में दिनांक 28-3-78 को यह आश्वासन दिया था कि यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की प्राविधिक परामर्शदात्री समिति की 54वीं बैठक में अनुमोदित हो चुकी है तथा स्थायी संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) द्वारा इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायेगा।

4–सिंचाई विभाग द्वारा उक्त आश्वासन के अनुपालन में सूचित किया गया कि राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनांक 23-3-78 को हुई बैठक द्वारा औरंगाबाद-बादशाहपुर की योजना अनुमोदित कर दी गयी है तथा नाले के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के कागजात अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, बुलन्दशहर द्वारा भूमि अध्याप्ति अधि-

नोट–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारी को भेज दिये हैं। भूमि सिंचाई विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध होते ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

5—नाले के निर्माण के सबंध में स्थानीय जनता द्वारा विरोध उत्पन्न होने लगे तथा नाले के निर्माण के संबंध में तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र) ने दिनांक 23-7-78 को एक प्रत्यावेदन दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत नाले से न तो किसी को लाभ होगा और कृषकों की भूमि व्यर्थ चली जायेगी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री के उपरोक्त प्रत्यावेदन पर योजना एवं स्थिति का पुनः अध्ययन किया गया और विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रश्नगत नाले का निर्माण जनहित में होगा किन्तु जमीन जाने के कारण 19 ग्राम सभाओं के प्रधानों में से 17 ग्राम सभाओं के प्रधान इस नाले के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। अतः शासन ने सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस नाले की उपयोगिता के विषय में आवश्यक जानकारी देने हेतु आदेश दिये। शासन ने विचारोपरान्त दिनांक 4-8-81 को प्रश्नगत नाले का निर्माण तुरन्त कराने के आदेश दिये। तद्नुसार संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनांक 27-8-81 को अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़ को तुरन्त कार्य आरम्भ कराने के आदेश दे दिये गये।

6—मार्च, 1980 तक भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास रु0 12 लाख की धनराशि निम्नलिखित चेकों द्वारा जमा करा दी गयी थी :—

1—चेक संख्या 28/135088 दिनांक 26-10-78

2—चेक संख्या 489/135088 दिनांक 29-11-78

3—चेक संख्या 26/156046 दिनांक 26-2-78

7—नाले के निर्माण में विरोध उत्पन्न हो जाने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिकारी से यह अनुरोध किया गया कि वे भूमि के मुआवजे के वितरण को कार्यवाही न करें। शासन से नाले के निर्माण के आदेश दिनांक 4-8-81 के पश्चात् प्राप्त होने पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पुनः आरम्भ कर दी गई। अब तक सिंचाई विभाग को 30 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का कब्जा मिल चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस भूमि के लिये परियोजना में प्रस्तावित 4,22,280 रुपये के विरुद्ध रु0 13,11,751 का प्रतिकर बांट दिया है।

8—इस संबंध में शासन को दिनांक 28-3-82 को पुनः यह आख्या प्राप्त हुई कि सभी ग्रामों की बनी समिति के अध्यक्ष ने यह प्रार्थना की है कि समस्त ग्राम सभाओं ने उनसे यह अनुरोध किया है कि यह नाला न बनाया जाय। अतः शासन से यह भी अनुरोध किया गया कि शासन पुनः विचार कर ले कि उक्त विरोध के उपरान्त भी नाले का निर्माण किया जाय या नहीं। शासन ने अपने पत्र दिनांक 22-4-82 द्वारा सूचित किया कि जिला अधिकारी, बुलन्दशहर से जानकारी की गई थी तथा जिलाधिकारी ने बतलाया कि संबंधित ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने के लिये नाले को बनाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है तथा मुख्य अभियन्ता से तकनीकी दृष्टि से स्पष्ट विचार मांगे गये। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा शासन को सूचित किया गया कि इस नाले को बनाने की योजना

की स्वीकृति राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस योजना पर पुनः विचार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की सलाहकार समिति द्वारा ही दिया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता ने शासन को यह भी अवगत कराया कि प्रबल विरोध को दृष्टिगत रखते हुए इस नाले के निर्माण में अनेकों कठिनाइयां आयेंगी तथा यह एक कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या भी बन सकती है। एक ओर कृषकों का प्रबल विरोध है तथा दूसरी ओर तत्कालीन सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह) द्वारा विधान परिषद् में दिनांक 28-3-78 को यह आश्वासन दिया जा चुका है कि परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त यह कार्य करा दिया जायेगा। इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाना है कि इस नाले का निर्माण कराया जाना है अथवा नहीं।

9—शासन ने अपने पत्र 23-10-82 द्वारा सूचित किया कि विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि नाले का निर्माण तुरन्त करा दिया जाये।

10—इसी बीच अध्यक्ष, विधान सभा, (श्री धर्म सिंह) लखनऊ ने दिनांक 21-2-1983 को इस नाले के न बनाने के संबंध में सिंचाई मंत्री को एक पत्र दिया। इस पर शासन ने आदेश दिये कि "अभी रोक कर रिपोर्ट दें"। इस पत्र पर प्रतिवेदन भेजते समय शासन को सूचित किया गया कि यद्यपि नाले के निर्माण के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया जा चुका है किन्तु शासन ने कार्य रोकने के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में इन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर शासन स्तर पर विचारोपरान्त दिनांक 24-6-1983 द्वारा यह आदेश प्राप्त हुए कि कथित नाले का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो इसके बारे में जिला प्रशासन की मदद भी ले ले। किन्तु वर्ष 1983-84 में बाढ़ कार्यों के लिये बहुत कम धन प्राप्त होने के कारण इस योजना पर कोई कार्य नहीं किया जा सका। इस बीच अध्यक्ष, विधान सभा, का एक पत्र माह दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुआ जिस पर इस नाले का निर्माण कार्य स्थगित कर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर अपनी संयुक्त आख्या से शासन को अवगत कराने के आदेश दिये गये। इस संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 5-4-1984 निर्धारित हो चुकी है एवं इनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अभी तक इस नाले पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है और केवल भूमि प्रतिकर के रूप में 13,11,951 रुपये बांटे गये हैं।

11—यह परियोजना 1976 के मूल्यों पर आधारित है एवं इस पर वर्तमान मूल्यों पर लगभग 50 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है। भूमि प्रतिकर के रूप में ही तीन गुने से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान मूल्यों पर लाभ लागत अनुपात 2.83 से घटकर 1.13 रह जायेगी। जैसा कि उस समय के नाले 5 क्यूसेक्स प्रति वर्गमील की जल निकासी के लिये बनाये जाते थे यह नाला भी उन्हीं मानकों पर प्रस्तावित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में नाले लगभग 10 क्यूसेक्स प्रति वर्ग मील की निकास क्षमता के लिये बनाये जाते हैं और यदि इस परियोजना को वर्तमान मानकों के अनुसार बनाया गया तो इससे अधिक भूमि और धन की आवश्यकता होगी।

12—इस 23 किलोमीटर लम्बे नाले के लिए कुल 21 गांवों में 30 हेक्टेयर

भूमि का अर्जन किया गया है ? जिसमें किसी भी कृषक की सम्पूर्ण भूमि नहीं है। इसी प्रकार नाले के सम्पूर्ण समरेखन में कोई नलकूप या छिद्रण नहीं आया है और न इसके लिये किसी प्रकार के प्रतिकर का ही भुगतान किया गया है। सम्भवतः इस प्रश्न में नलकूपों के बेकार होने का आशय यह है कि यदि नलकूप एक ओर और उससे सिंचित भूमि दूसरी ओर चली गई तो नलकूप की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी। ऐसी परिस्थिति में नलकूप से सिंचित होने वाली भूमि के लिए गूल क्रासिंग बनाई जा सकती है जिसकी लागत परियोजना द्वारा वहन की जाय । इससे परियोजना के मूल्य में आंशिक वृद्धि होगी जिससे कि लाभ लागत अनुपात घट कर लगभग 1 के निकट हो जाने की सम्भावना है।

वर्णित परिस्थितियों में जिलाधिकारी बुलन्दशहर एवं अधीक्षण अभियन्ता की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।]

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इस वक्तव्य के अन्त में लिखा हुआ है बुलन्दशहर एवं अधीक्षण अभियन्ता की संयुक्त रिपोर्ट आने पर ही आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। अभी तक कोई पता नहीं है कि वहां पर नाला बनेगा या नहीं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस नाले के विरोध स्वरूप एक जन आन्दोलन शुरू हुआ था और जब उनको यह मालूम हुआ कि आजकल विधान सभा चल रही है, आश्वासन मिलेगा इसलिए उन्होंने अपना आन्दोलन उन्होंने स्थगित किया हुआ है। क्या आपको यह मालूम है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन रिपोर्ट मिलने पर जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, अवश्य की जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

अभी रिपोर्ट आनी है।

श्री रियासत हुसैन–

व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि यह सिंचाई मंत्री का वक्तव्य है। क्या आपके पटल पर सिंचाई मंत्री का यह लिखकर आया है कि चूंकि मैं नहीं रहूंगा कोई दूसरा मंत्री इस विषय को देखेगा?

श्री ऊदल–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और उसके बाद स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। यह वक्तव्य सिंचाई मंत्री से संबंधित है। उनको यहां पर होना चाहिए। यह पढ़ा हुआ मान लिया गया और अगले दिन जब सिंचाई मंत्री होंगे तब स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न किये जा सकेंगे। इसलिये इसे स्थगित किया जाता है। अब हम उठते हैं और सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 58 मिनट पर सोमवार, 2 अप्रैल, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
31 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

(परिवरण दाखिल नत्थी के पृष्ठ 83 पर।)

नत्थी 'क' (देखिये पीछे पृष्ठ 82 पर)

औरंगाबाद, बादशाहपुर तालाब ड्रेन के लिए अध्याप्ति भूमि का विवरण :

क्रम सं0	ग्राम का नाम	अध्याप्त की गई भूमि एकड़ में	क्रम सं0	ग्राम का नाम	अध्याप्त की गई भूमि एकड़ में
1	पुठरी खुर्द	3.460	13	जाठ	1.003
2	चितसौन	7.039	14	मिलक मकनपुर	1.197
3	रसूलपुर	4.171	15	सैदपुरा	0.043
4	रिझौड़ा	2.881	16	चरौरा मुस्तफाबाद	1.039
5	चिरचिटा	7.309	17	बादशाहपुर तालाब	5.942
6	पौंडरी	5.861	18	कोड़ा शमशाबाद	3.267
7	जुलेपुरा	5.003	19	औरंगाबाद	2.029
8	कुछेजा	0.962	20	सुलतानपुर खादर	1.863
9	दोहली	2.003	21	खैरपुर	4.109
10	अड़ौली	7.578			
11	मिर्जापुर-अगरपुर	4.219		कुल योग :– 75.136 एकड़	
12	आलमगीरपुर सैनसुख उर्फ छोटी-सराय	4.158		अथवा 30 हेक्टेयर	

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 100 विधान सभा (47)–1985--8131

विधान सभा
प्रवर प्रदेश